खण्ड-322, अंक-4
सोमवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1898
(10 मई, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 322 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य		241–243
प्रश्नोत्तर		243–279
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975–76) का आठवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)		279–280
श्री डी० पी० बरूण के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति के सदस्यों पर कथित दबाव डालने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)		280
मांडन बेकरीज इन्डिया लिमिटेड, कानपुर द्वारा निर्मित डबल रोटी के निर्धारित वजन में कमी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..		280–284
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया)		284
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)		284
1976–77 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान—अनुदान संख्या 57—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 82—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..		285–337
नत्थियां		338–360

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 10 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 2 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—217

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति ,श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री

दुर्योधन; श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर; श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल; श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह; श्री
भीखा लाल, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री (एडवोकेट)
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणधीर सिंह, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद क्षीनेरिया, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टैन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री

रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार (10 मई, 1976)

तारांकित प्रश्न

देवरिया के ग्राम मझौली राज में पड़ी डकैती से संबंधित अभियुक्त श्री रमा शंकर सिंह की रिहाई

*1—श्री हरि केवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे जिला देवरिया, थाना सलेमपुर, ग्राम मझौली राज में गत 28 फरवरी, 1975 को डकैती पड़ी जिसमें श्री रमाशंकर सिंह, ग्राम मलपुरवा, थाना सलेमपुर मुलजिम था जो 22 अगस्त, 1975 से 18 सितम्बर, 1975 तक देवरिया जेल में बन्द रहा ? यदि हां, तो उसे एकाएक किन परिस्थितियों में 18 सितम्बर, 1975 को रिहा कर दिया गया ?

*2—क्या यह सही है कि उक्त मुलजिम दिनांक 18 फरवरी, 1975 को जिला कारागार सीवान (बिहार) में बन्द था जिसके कारण मुलजिम को रिहाकर दिया गया ? यदि हां, तो फर्जी मुकदमा कायम करने वाले अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मझोली राज, थाना सलेमपुर, देवरिया में 18-2-75 को नहीं बल्कि 16/17-2-75 की रात में पड़ी एक डकैती के मुकदमें (अपराध सं0 38/75 अन्तर्गत धारा 395/397 भारतीय दंड विधान) की विवेचना के दौरान गिरफ्तार किए गए दो अभिभुक्तों ने नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त अपने अन्य सह-अभियुक्तों के नाम बताये जिनमें रमा शंकर सिंह का भी नाम था। अत: उसकी तलाश की गई परन्तु वह नहीं मिल सका। थाना खामपार की पुलिस ने एक अन्य डकैती अपराध सं0 58/75, धारा 395/397 भारतीय दंड विधान के संबंध में रमा शंकर सिंह को दिनांक 26-7-75 को गिरफ्तार करके जेल भेजा। रमाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना थाना सलेमपुर में प्राप्त होने पर अपराव सं0 38/75 के सम्बन्ध में न्यायालय से उसका वारन्ट हिरासत 22-8-75 को जारी कराया गया जो उसी तिथि से प्रभावी हुआ। इस वारन्ट हिरासत के विरुद्ध अभियुक्त रमाशंकर सिंह ने न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि थाना सलेमपुर की डकैती की तिथि को वह सीवान (बिहार) जेल में बन्दी था। जांच से इसकी पुष्टि होने पर 16-9-75 को हिरासत रद्द करने हेतु न्यायालय में रिपोर्ट दी गई और दिनांक 18-9-75 को न्यायालय के आदेशों पर उसे रिहा किया गया। मुकदमा अपराध सं0 58/75 में उसकी रिहाई के आदेश अगस्त, 75 में ही हो गये थे।

रमाशंकर सिंह के विरुद्ध थाना सलेमपुर की पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया था बल्कि मुकदमें में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के बयानों से उसका नाम प्रकाश में आने पर उसको हिरासत में रखे जाने हेतु वारन्ट बनवाया गया था, किन्तु जैसे ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हुई उसे रिहा करा दिया गया। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई, सांडी नगरपालिका के अध्यक्ष की भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तारी

*3—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 2 सितम्बर, 1975 या उसके आस पास किसी दिन हरदोई जिले की सांडी नगरपालिका के अध्यक्ष को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि हां, तो गिरफ्तार करने के क्या कारण थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन है।

*4—श्री मोहम्मद रफी खां—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 पर उत्तरित।]

संडीला थाने के अन्तर्गत स्पेशल रिपोर्टवाली चोरी की घटनाएं

*5—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या पुलिस मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के अन्तर्गत संडीला थाने में जनवरी, 1974 से 10 जुलाई, 1974 तक कितनी चोरियां 5,000 रुपए से ज्यादा (जिसमें

स्पेशल रिपोर्ट जाती हैं) हुई और उसमें कितनी चोरियों का पता पुलिस ने लगाया और कितने चोर पकड़ कर चालान किए गए ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार हरदोई जिले के थाना संडीला क्षेत्र के अन्तर्गत जनवरी, 74 से 10 जुलाई, 74 तक 5,000 रुपये से अधिक की कोई भी चोरी की घटना नहीं हुई।

*6—श्री हरिकेवल—

[विस्तीणता के आधार पर निरस्त ।]

*7—श्री ऊदल—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर उत्तरित ।]

*8—श्री ऊदल—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित ।]

*9—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित ।]

*10—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित ।]

कानपुर के थाना नवाबगंज के सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध लिखाई गयी रिपोर्ट

*11—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगें कि कानपुर शहर के श्री राम सेवक यादव ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 को थाना कोतवाली, कानपुर में श्री धर्मराज सिंह यादव, सब-इन्सपेक्टर, पुलिस थाना नवाबगंज, कानपुर के विरुद्ध धारा 323/504/506 के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई है ? और अभी तक उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों और इसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम सेवक यादव ने थाना नवाबगंज, कानपुर के सब-इन्सपेक्टर, श्री धर्मराज सिंह यादव के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत एक मुकदमा दिनांक 24-12-74 को थाना कोतवाली, कानपुर पर दर्ज कराया था। मामला अहस्तक्षेपीय होने के कारण मुकदमें की विवेचना नहीं की गई। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इसकी एफ0आई0आर0 क्या है, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर—

24-12-74 को लगभग साढ़े 6 बजे श्री मुन्नी लाल यादव ने एक रिपोर्ट लिखाई थी। और क्या जानकारी चाहते हैं ?

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या रिपोर्ट है, यह बताने की कृपा करें ।

श्री धर्मवीर—

रिपोर्ट यह थी कि उनकी ट्रक जा रही थी, तो सब-इन्स्पेक्टर ने ट्रक को रोक कर उसके ड्राईवर और उनको मारा पीटा है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

एक दरोगा ने एक नागरिक को मारा गलत ढंग से और उसके बाद थाने में घटना की रिपोर्ट लिखाई और पुलिस के उच्चाधिकारियों को दरख्वास्त लिखाई, तो दरोगा पर आज तक कोई उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री धर्मवीर—

वहां के क्षेत्राधिकारी महोदय ने जांच की और उसके बाद सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी के खिलाफ उन्होंने कार्यवाही की है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या कार्यवाही की हैं, यह साफ-साफ मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री धर्मवीर—

यह साधारण सा मामला था, इसलिये उनकी चरित्र-पंजिका में प्रविष्टि की गई है ।

हमीरपुर के कतिपय पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच

*12—**चौधरी रामपाल सिंह यादव—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के क्षेत्र घाटमपुर के वर्तमान विधायक द्वारा दिनांक 9 मार्च, 1973 को जिला हमीरपुर के अन्तर्गत हमीरपुर, भरुआ सुमेरपुर व कोरारी थाने के थानेदारों के विरुद्ध भ्रष्ट एवं अनियमित कारगुजारी सम्बन्धी गम्भीर आरोप-पत्र तत्कालीन कई माननीय सदस्यों की संस्तुति पर दिया गया जिस पर अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच कराई गई । यदि हां, तो इसकी जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और उसपर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर—

हमीरपुर जिले के कुछ पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के हमीरपुर स्थित मकान की गलत तरीके से तलाशी लेने, भट्ठे के मुनीम को पकड़कर ले जाने आदि शिकायतों से युक्त पत्र कुछ विधायकों की टिप्पणी के साथ शासन को 28–3–73 को प्राप्त हुआ था ।

उपरोक्त शिकायतों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, हमीरपुर द्वारा की गई थी । उक्त अधिकारी ने जांच से शिकायतों का सही होना नहीं पाया ।

पुलिस उपाधीक्षक, हमीरपुर की जांच से सन्तुष्ट न होने के कारण श्री शिवनाथ सिंह ने एक प्रार्थना पत्र, दिनांक 11–5–73 दिया जिस पर पुलिस महानिरीक्षक के आदेशों से पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण, कानपुर ने जांच की । पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण, कानपुर ने भी जांच से शिकायतों का सही होना नहीं पाया । पुलिस उपाधीक्षक; भ्रष्टाचार निवारण की जांच से सन्तुष्ट न होने के कारण पुलिस अधीक्षक, प्रशासन शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग ने स्वयं मामले की जांच की और पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों को सही पाया । पुलिस अधीक्षक, प्रशासन शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच रिपोर्ट शासन को 18–4–75 को प्राप्त हुई । पुलिस अधीक्षक की जांच से दोषी पाये गये पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 380/220/342, भारतीय दंड विधान तथा 5/2, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना की जा रही है । विवेचना के उपरान्त दोषी पाये गये पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध यथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या यह जो जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है, मंत्री जी इसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी तीन रिपोर्टें हैं, किस जांच रिपोर्ट को आप चाहते हैं ?

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

इसकी दो-दो रिपोर्टें दबा दी गयीं, तो एक ही रिपोर्ट तो अब है ।

श्री अध्यक्ष—

तो किस रिपोर्ट को आप चाहते हैं ?

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

मान्यवर, 18-4-75 को जो प्राप्त हुई है। अपराध अनुसंधान शाखा की चाहता हूं।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, प्रश्न में उल्लिखित है कि बार-बार जांच कराई गयी। सी० आई० डी० ने जो जांच की है, उसी के अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया है। जो सी० आई० डी० की जांच होती है, उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी जाती है। मान्यवर, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो जायगी।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मान्यवर, इन्होंने इन पुलिस के कर्मचारियों को दोषी पाया, तो इनको क्यों अभी तक मुअत्तल नहीं किया गया ? और अगर नहीं मुअत्तल किया गया तो क्या इनको तत्काल मुअत्तल करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको मुअत्तल होना चाहिये।

*13—श्री श्रीनारायण—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

*14—श्री श्रीनारायण—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

फर्रूखाबाद के विशुनगढ़ कस्बे में पुलिस चोकी की स्थापना की मांग

*15—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद के विशुनगढ़ कस्बे में पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री धर्मवीर—

फर्रुखाबाद जनपद के विशुनगढ़ कस्बे में पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि उक्त कस्बे में कोई विशेष अपराधिक समस्या इस समय नहीं है।

श्री अनवार जमील—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विशुनगढ़ जो है, यह मैनपुरी के बार्डर पर है और जो छिबरामऊ है, यह बिलकुल रिमोटेस्ट एरिया है। इसमें डाक्टर मारे जा चुके हैं और अभी हाल ही में सैनिटरी इंस्पेक्टर को मार दिया गया है। मान्यवर, यह गलत रिपोर्ट आपके पास आई है। इसलिये विशुनगढ़ में चौकी होना बहुत आवश्यक है। क्या माननीय मंत्री जी इन सब चीजों पर फिर से जांच करवायेंगे और वहां पर चौकी बनाने के लिये फिर से विचार करेंगे ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, सूचना के आधार पर मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जहां पर पुलिस की चौकियां स्थापित की जाती हैं वहां पर अपराधों को देखकर स्थापित की जाती हैं। मान्यवर, वहां पर अपराधों की संख्या बहुत कम है। मान्यवर, सन् 75 में केवल 4 अपराधों की वहां की रिपोर्ट है। मान्यवर, इस प्रकार से इस मामले में शासन ने पूर्ण रूप से विचार करके ही यह रिपोर्ट दिया है। वहां पर तत्काल, विशुनगढ़ में चौकी स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है।

फर्रुखाबाद विकास खंड कमालगंज में उद्योग स्थापना की मांग

*16—श्री अनवार जमील—

क्या भारी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, विकास खंड कमालगंज में सरकार इस पंचवर्षीय योजना में कोई उद्योग स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

भारी उद्योग राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

जी नहीं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई स्थापित करने की सामान्यतया शासन की नीति नहीं है। सीमित आर्थिक संसाधन तथा विद्युत् की कमी के कारण बृहत् क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

श्री अनवार जमील—

भारी उद्योग या कोई उद्योग लगाने के लिये सरकार की क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष—

बता तो दी है ।

श्री अनवार जमील—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर उद्योग लगाये जाते हैं ?

श्री अजीजुर्रहमान—

मीडियम और वृहद इन्डस्ट्रीज का जहां तक ताल्लुक है, ये कोआपरेटिव तथा ज्वाइन्ट सैक्टर्स में लगाये जाते हैं ताकि कोआपरेटिव को प्रोत्साहन मिले । स्माल इन्डस्ट्रीज का जहां तक ताल्लुक है, उन्हें प्राइवेट एन्ट्रीप्रिन्योर्स को सहायता देकर लगवाते हैं ।

श्री अनवार जमील—

मान्यवर, फर्रुखाबाद के पिछड़े क्षेत्र में कमालगंज का रेलवे स्टेशन है और वहां पर सड़क भी है । मैं बहुत से प्रोपोजल्स इस बारे में दे चुका हूं । तो क्या सरकार यहां पर इन्डस्ट्रीज लगाने पर ध्यान देगी ?

श्री अजीजुर्रहमान—

सरकार की हमेशा यह मंशा रही है कि जो जिले पिछड़े हैं, वे उभर कर ऊपर आयें। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल वहां पर स्थापित किया है, जिसने कार्य भी आरम्भ कर दिया है ।

नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गठित अभियोजन शाखा के लिये कार्य-संचालन नियमावली

*17—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के लागू होने के पश्चात् नव गठित अभियोजन शाखा (प्रासिक्यूशन ब्रान्च) के अधिकारियों के कार्य प्रणाली के लिये कोई नियमावली तैयार कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

क्या यह सही है कि नई दन्ड प्रक्रिया संहिता के भावनानुसार नयी गठित अभियोजन शाखा के अधिकारियों को महाधिवक्ता के नियंत्रण में नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अभियोजन शाखा (प्रासीक्यूशन अधिकारियों) की नियमावली तैयार की जा रही है। वैसे इस शाखा के कार्य संचालन हेतु एक नियमावली 27 मार्च, 1974 को संक्षेप में बनायी गयी थी ।

इस शाखा को महाधिवक्ता के नियंत्रण में रखने का कोई विचार नहीं है। नई दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्राविधान भी नहीं है।

बरेली के ग्राम पढ़रा निवासी श्री हमीद खां के मकान से अफीम की बरामदगी

*18--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को पता है कि बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी की पुलिस ने अक्तूबर, 1975 में ग्राम पढ़रा से कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास 84 किलो ग्राम अफीम व एक की धर्म पत्नी से 20,000 रुपया के नोट बरामद किए ? यदि हां, तो अफीम की मात्रा जो बरामद की तथा नकद रुपया जो बरामद किए उनका जिक्र रोजनामचा में क्यों नहीं किया और क्या पुलिस अधीक्षक ने अधिसूचना विभाग अथवा सी0 आई0 डी0 से जांच कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-10-75 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली ने थाने के अन्य कर्मचारीगण के साथ ग्राम पढ़ेरा निवासी हमीद खां के मकान पर दबिश देकर उसकी तथा अन्य गवाहान की उपस्थिति में उसके मकान से कुल 44 सेर अफीम नाजायज बरामद की तथा फर्द बरामदगी मौके पर बनाकर उसपर गवाहों के हस्ताक्षर बनवाये गये और बरामद किये गये माल को सर्व मोहर किया गया। इस मामले का उल्लेख उसी दिन थाने के रोजनामचा आम में किया गया तथा बरामद किये गये माल को अन्दर मालखाना रखा गया। अभियुक्त हमीद खां को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया तथा इस मामले के संबंध में अपराध अन्तर्गत धारा 9 अफीम ऐक्ट, 114 डी0 आई0 आर0 कायम कर पुलिस द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के उपरान्त दिनांक 3-3-76 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया और अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

उक्त अभियुक्त के अलावा किसी अन्य को बन्दी नहीं बनाया गया और न ही किसी की पत्नी से बीस हजार रुपये की धनराशि ही बरामद की गयी। मामले की जांच अभिसूचना विभाग अथवा सी0 आई0 डी0 से कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

*19--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[22 अप्रैल, 1976 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर उत्तरित।]

हरदोई जिले के ग्राम जासू निवासी श्री राम बहादुर सिंह को पीटे जाने की शिकायत

*20--श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस घटना की रपट धारा 395 में लिखी होने व एफ0 आई0 आर0 में नामजद गवाहों के अदालत में कलमबन्द बयान होने के बाद जांच कर्ता अधिकारी केवल मुलजिमानों के बयान के आधार पर धारायें परिवर्तन कर सकता है व एफ0 आई0 आर0 में अंकित मुलजिमानों को छोड़ सकता है ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार इस मुकदमें में नामजद गवाहों के अदालत में कलमबन्द बयान नहीं हुये थे बल्कि गवाहान कंधई व सीताराम के बयान हल्फी वादी ने अदालत में दाखिल कराये

थे। विवेचनाकर्ता अधिकारी ने इन गवाहों के बयान विवेचना के दौरान अंकित किये थे और तमाम उपलब्ध साक्ष्य के मूल्यांकन के उपरान्त केवल 6 मुल्जिमों जिनके खिलाफ सिर्फ धारा 147/323/325/342 भारतीय दंड विधान का ही जुर्म बनता पाया गया था, के विरुद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की। मुकदमा न्यायालय म विचाराधीन है।

शेष अभियुक्तों का नामांकन रंजिशन कराया जाना पाया गया। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

विवेचना के दौरान प्राप्त सामग्री के आधार पर विवेचनकर्ता अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत उचित अपराधों का उल्लेख करते हुए चार्जशीट लगाने को स्वतंत्र है

फर्रुखाबाद में कोतवाली के निर्माण में नगरपालिका भूमि का कथित अतिक्रमण

*21—**श्री** विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद शहर में निर्माणाधीन कोतवाली भवन के लिए जो भूमि में तार खींचे गए हैं उसमें नगरपालिका की नजूल जमीन को भी शामिल कर लिया गया है जिस पर बैठकर सैकड़ों बुनकर अपना हस्त-निर्मित कपड़ा गत 50 वर्षों से ऊपर से बेचते हैं? यदि हां, तो क्या इस विभाग में बुनकरों द्वारा प्रतिवेदन दिए गए हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं।

नागरिकों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 29 मई, 1974 दिया गया था। उस प्रार्थना-पत्र में यह भी शिकायत थी कि जुलाहों के बैठने का चबूतरा जो कोतवाली के पूरब में बना था उसको भी कोतवाली की हद में शामिल कर लिया गया है। उस शिकायत के सम्बन्ध में स्थल की नाप-जोख कराई गई तो नगरपालिका की भूमि पर कोतवाली फर्रुखाबाद के निर्माण के सिलसिले में किसी किस्म का अतिक्रमण नहीं पाया गया।

श्री बृजलाल, निवासी बाराबंकी, ग्राम उर्दनपुर के मकान पर डकैती

*22—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26/27 जनवरी, 1976 की रात को ग्राम उर्दनपुर, मजरे, सिसवारा, थाना देवा, जनपद बाराबंकी में बृजलाल के घर डकैती पड़ी थी और थाना देवा में नामजद रिपोर्ट भी हुई और धारा 395/397 में इल्जाम नं0 21 पर मुकदमा भी दर्ज हुआ परन्तु उसमें कार्यवाही पुलिस द्वारा न किए जाने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि पुलिस मामले को दबा देना चाहती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री धर्मवीर—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बृज लाल निवासी उर्दनपुर मजरे सिसवारा थाना देवा जिला बाराबंकी ने अपने यहां 26/27 जनवरी, 1976 की रात में डकैती पड़ने की लिखित सूचना थाना देवा में दिनांक 27 जनवरी, 1976 को दी थी जिसके आधार पर. अपराध संख्या 21 के अन्तर्गत धारा 395/397 भारतीय दन्ड विधान कायम करके विवेचना उसी दिन प्रारम्भ की गई।

उक्त अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो अभियुक्त नामजद थे तथा 12-13 अज्ञात अभियुक्त बताए गए थे। अभियोग की विवेचना से केवल 8 अभियुक्त प्रकाश में आए अब तक की विवेचना के फलस्वरूप दोनों नामजद अभियुक्तों सहित सात अभियुक्तों को जेल भेजा गया तथा शेष 3 के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही

हेतु रिपोर्ट दी गई है। दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 22 अप्रैल, 1976 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना जारी है।

उक्त सूचना से स्पष्ट है कि पुलिस के विरुद्ध मामले को दबाने का आरोप निराधार है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस दिन नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री धर्मवीर—

29 जनवरी, 1975 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, यह गिनती ठीक नहीं बैठ रही है। उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बताया कि विवेचना के बाद 8 व्यक्ति प्रकाश में आए। दोनों नामजद अभियुक्तों सहित सात अभियुक्तों को जेल भेजा गया तथा शेष 3 के विरुद्ध धारा 82/83 द० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी गई। फिर कहते हैं कि जो जो नामजद थे, उनके खिलाफ चार्जशीट भेज दी और बाकी जो 5 हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं भेजी ?

श्री धर्मवीर—

जो व्यक्ति फरार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही बाकी है। जिन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है, उनके खिलाफ चार्जशीट भेज दी गई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इस हिसाब से तो 11 हुए क्योंकि 7 को आपने पकड़ लिया और 3 को 82/83 की कार्यवाही के अन्तर्गत रखा और आप खुद कहते हैं कि विवेचना की गयी तो 8 व्यक्ति दोषी पाए गए, तो यह गणित समझ में नहीं आयी।

श्री धर्मवीर—

मैंने कहा था कि 8 में से पांच को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 3 के खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

जब एक साथ विवेचना हुई और गिरफ्तार आपने कर लिया तो 2 के खिलाफ ही चार्ज शीट क्यों चलायी गयी, औरों के खिलाफ क्यों नहीं दाखिल की, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मवीर—

चार्ज शीट भेजी जाएगी।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

धारा 82-83 की रिपोर्ट जो भेजी गयी है कार्यवाही के लिए वह कब भेजी गयी है?

श्री धर्म वीर—

तिथि तो मालूम नहीं है, लेकिन फरार अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास जारी है और 82-83 की रिपोर्ट भेजी गयी है न्यायालय के आदेश होने पर ही कार्यवाही हो पायगी।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

7 में से 2 की चार्जशीट गयी है; तो बाकी गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का इरादा तो नहीं है ?

श्री धर्मवीर—

ऐसा तो नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

7 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए, विवेचना पूरी हो गयी। विवेचना पूरी होने पर आपने अदालत में दाखिल की होगी। अगर पूरी नहीं हुई है तो चार्जशीट पहले क्यों दाखिल कर दी ? या तो यह कहें कि बाकी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता, फाइनल रिपोर्ट लगा दी और अगर विवेचना जारी है, तो इतनी जल्दी चालान दाखिल करने में क्यों की ?

श्री धर्मवीर—

एक तरफ प्रश्न यह है कि पुलिस दबा रही है और दूसरी तरफ यह है कि पुलिस कार्यवाही कर रही है ?

*23—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर उत्तरित।]

*24—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 39 पर उत्तरित।]

देवरिया के श्री मुजम्मिल हुसैन खां, सेवा निवृत्त पुलिस सब इन्सपेक्टर की पेंशन

*25—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

दिनांक 17 अप्रैल, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक पेन्शन देने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर—

पेन्शन से सम्बन्धित आदेश निर्गत नहीं हो सके क्योंकि सिविल सर्विस रेगूलेशन की धारा 351-ए के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस कार्यकर्ता को रिटायर हुए कितने दिन हो गए और पेन्शन के फैसले में कितने साल और लगेंगे ?

श्री धर्मवीर—

उपरोक्त कर्मचारी के खिलाफ चूंकि इतने डिपार्टमेंटल कैसेज चल रहे हैं, इसलिए पेन्शन के बारे में इतनी देरी हो रही है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

इसको रिटायर हुए 5-6 साल हो गए और अभी तक उसके पेन्शन के कागज तैयार नहीं हुए तो आप उनसे पूछिए कि इस तरह से 6 महीने की बात जो कही जाती है.....

श्री अध्यक्ष—

कहते हैं कि मुकदम ज्यादा हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

फिर मैं पूछता हूं कि आप किस अधिनियम के अधीन 5-6 साल बीतने पर भी पेन्शन रोके हुए हैं ?

श्री धर्मवीर—

मैंने कहा कि इनके खिलाफ जबसे 1928 से कांस्टेबिल होकर भर्ती हुए हैं और सब-इन्सपेक्टर रिटायर हुए तो 35 डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चालू हैं, उन में हर स्थानों से चीजें मंगाकर उस बारे में निर्णय लिया जा सकेगा। इसलिए देरी हो रही है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी होगा 351 की कार्यवाही ज्योंही समाप्त होगी, उनको पेन्शन दी जाएगी।

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा का लाभ–हानि का विवरण तथा सीजनल कर्मचारियों की सेवाओं की कथित समाप्ति

*26—हाजी मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा तथा कुन्दन शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, अमरोहा में दिनांक 8 अक्तूबर, 1969 में सरकार द्वारा रिसीवर की नियुक्ति की गई थी। यदि हां, तो रिसीवर की नियुक्ति के बाद कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा तथा कुन्दन शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, अमरोहा को प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजीजुर्रहमान—

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा रिसीवर के नियन्त्रण में दिनांक 8 अक्तूबर, 1969 से चल रही है। रिसीवर की नियुक्ति के बाद मिल को हुई वर्षवार लाभ-हानि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष		लाभ-हानि (लाख रुपयों में)	
1969–70	..	9.72	लाभ
1970–71	..	3.41	हानि
1971–72	..	20.52	लाभ
1972–73	..	15.58	लाभ
1973–74	..	45.05	हानि
1974–75	..	17.06	हानि

वर्ष 1970–71 में हानि इसलिए हुई कि सीजन 1969–70 में मिल को दिनांक 20 जुलाई, 1970 तक चलाना पड़ा जब कि चीनी की रिकवरी बहुत कम हो जाती है व तत्सम्बन्धी हानि वर्ष 1970–71 के लेखा-जोखा में प्रदर्शित हुई, अन्यथा 1970–71 में लाभ होता। 1973–74 में गन्ने के पाइरिला से प्रभावित होने के कारण रिकवरी का कम होना व अधिक गन्ना मूल्य का देना तथा उसकी तुलना में चीनी के दामों में पर्याप्त वृद्धि न होना था। वर्ष 1974-75 में भी गन्ना मूल्य एवं चीनी के दामों में ताल–मेल न होने के कारण हानि हुई।

*27—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा तथा कुन्दन शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, अमरोहा में कुछ ऐसे सीजनल कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं जो गत वर्ष से लेकर पिछले 8 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे थे और उनके स्थान पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई है? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी सेवायें समाप्त की गई हैं और सेवायें समाप्त करने का आधार क्या है तथा नई नियुक्तियां कितनी की गई हैं?

श्री अजीजुर्रहमान—

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा में किसी भी ऐसे सीजनल कर्मचारी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं जो पिछले आठ वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हों।

हाजी मोहम्मद हयात—

मन्त्री जी ने 6 साल का ब्यौरा दिया, जिसमें से 3 साल लाभ और 3 साल हानि दिखा दी और लेखा-जोखा बराबर कर दिया.....

श्री अध्यक्ष—

लेखा-जोखा बराबर किया या हानि ज्यादा बता दिया?

हाजी मोहम्मद हयात—

लाभ 45 लाख 82 हजार बताया और हानि 65 लाख 52 हजार बतायी। 20 लाख के लगभग हानि रह गयी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हानि जो हुई, इसमें क्या वह एक्सपेंसेज भी शामिल हैं, जो ज्यादा लेबर रखने पर मशीन की रिपेयरिंग पर खर्च हुए या केवल गन्ने के परचेज की कीमत ही शामिल है ?

श्री अजीजुर्रहमान—

प्राफिट एन्ड लास एकाउन्ट में तो हर चीज शामिल होती है लेकिन जो स्पेसिफिक प्वाइन्ट माननीय सदस्य ने रेज किया है, उसके लिए सूचना की दरकार है।

हाजी मोहम्मद हयात—

मेरी जाती जानकारी है कि लगभग 20 सीजनल कर्मचारियों को हटाया गया। जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में जांच करायें।

श्री अजीजुर्रहमान—

जांच जरूर करायी जाएगी, आप स्पेसिफिक केसेज बयान करिए।

हाजी मोहम्मद हयात—

मैंने यह अर्ज किया कि लगभग 20 सीजनल कर्मचारियों को हटा दिया गया है और नये लोग रखे गए हैं।

श्री अजीजुर्रहमान—

मैं अर्ज कर रहा हूं कि स्पष्ट रूप से यह बात निश्चित है कि कोई ऐसा कर्मचारी नहीं हटाया गया जो 8 वर्ष से ज्यादा कार्य कर रहा हो। किसी आदमी की किसी स्पेसिफिक पोस्ट पर नियुक्ति होने का यह मतलब नहीं है कि कोई ऐसा कर्मचारी हटाया गया। किसी खास पोस्ट के लिए कोई जरूरत होगी तो उस पर नियुक्ति जरूर की गयी होगी। लेकिन जो माननीय सदस्य बता रहे हैं वह लिखित रूप में मुझको स्पेसिफिक केसेज दें, मैं जांच करा लूंगा।

*28—श्री राम अधार—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 पर उत्तरित।]

*29—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

श्री बुद्ध सिंह, थानाध्यक्ष मोतीपुर, बहराइच के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत

*30—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बहराइच, थाना मोतीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष (श्री बुद्ध सिंह) पर हरिजनों से रिश्वत लेने की शिकायत दिसम्बर, 1975 में पुलिस अधीक्षक, बहराइच एवं शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का शिकायती-पत्र दिनांकित 27 दिसम्बर, 1975 पुलिस अधीक्षक, बहराइच को प्राप्त हुआ था। उसकी उप पुलिस अधीक्षक से जांच कराने पर श्री बुद्ध सिंह, थानाध्यक्ष, मोतीपुर, जिला बहराइच के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत प्रमाणित नहीं हुई।

*31—श्री मुहम्मद अमरार अहमद—

[3रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर उत्तरित।]

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में हुए नीलाम संबंधी शिकायती-पत्र

*32—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, 1973 में पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद में हुए सरकारी नीलाम में हजारों रुपए के घोटाले की जांच उप पुलिस अधीक्षक ने की थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन से आरोप सही पाए गए और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

फरवरी, 1973 में पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में कुछ सामानों की हुई सरकारी नीलामी के सम्बन्ध में प्राप्त एक शिकायत-पत्र की जांच कालेज के तत्कालीन पुलिस उपअधीक्षक द्वारा की गई थी। चूंकि प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में प्रश्नगत नीलामी में अनियमितता बरती जाने का साक्ष्य उपलब्ध हुआ, अतः मामले की पूर्ण रूप से विवेचना कराए जाने हेतु इसकी जांच का कार्य सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया है। सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच पूर्ण होने पर यथोचित आगामी कार्यवाही की जाएगी।

श्री प्रभुनाथ मिश्र, उप सचिव, स्वायत्त शासन के लखनऊ में, कार्यकाल का विवरण

*33—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य सिविल सर्विस (पी0 सी0 एस0) के सदस्य (श्री प्रभुनाथ मिश्र) एक तारतीय में लगातार विगत कितने वर्षों से जनपद लखनऊ में किन-किन पदों पर कार्यरत रहे हैं और अलग-अलग पदों पर कब से कब तक रहे हैं? इस वक्त यह किस पद पर कार्य कर रहे हैं और क्या सरकार इनको लखनऊ से अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य सिविल सर्विस (पी0 सी0 एस0) के सदस्य श्री प्रभु नाथ मिश्र, लखनऊ जनपद में 9 मई, 1970 से 15 जनवरी, 1976 तक लगातार नियुक्त रहे हैं। उक्त अवधि में जिन-जिन पदों पर जितनी-जितनी अवधि में नियुक्त रहे हैं, उनका विवरण निम्नवत् हैं —

(1) डिप्टी कलेक्टर— 9-5-70 से 3-5-71 तक,
(2) अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट— 4-5-71 से 10-12-71 तक
(3) नगर मजिस्ट्रेट—11-12-71 से मई, 1973 तक
(4) अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन)—मई, 1973 से 12-7-74 तक,
(5) अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) (नगर)—13-7-74 से 15-1-76 तक।

2—श्री प्रभुनाथ मिश्र शासन के मुख्यालय पर 24 जनवरी, 1976 से उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, स्वायत्त शासन शाखा के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने का मामला शासन के विचाराधीन है।

3—प्रशासकीय दृष्टिकोण : उक्त पद : इतनी शीघ्र उन्हें स्थानान्तरित करना जनहित में नहीं होगा।

बिजनौर, नगरपालिका स्योहारा के अध्यक्ष के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र रखने की शिकायत

*34—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 अप्रैल, 1975 को कोई शिकायती-पत्र बाल्मीकि स्योहारा, जिला बिजनौर का किसी विधायक द्वारा अध्यक्ष, नगरपालिका स्योहारा, जिला बिजनौर के विरुद्ध नाजायज असलहा रखने के सम्बन्ध में मिला है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार सर्वश्री प्यारे लाल एवं प्रभु बाल्मीकि निवासीगण स्योहारा, जिला बिजनौर, का एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र जो प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 1975 को पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को अग्रसारित किया गया था पुलिस, अधीक्षक बिजनौर के कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसमें नगरपालिका स्योहारा के अध्यक्ष के दो पुत्रों के विरुद्ध अपने पिता के आग्नेयास्त्रों के दुरुपयोग करने, अवैध आग्नेयास्त्र रखने, प्रार्थीगण को धमकी देने आदि के आरोप लगाए गए थे तथा अध्यक्ष के आग्नेयाअस्त्रों के लाइसेन्स कैंसिल करने एवं उन्हें अध्यक्ष नगरपालिका के पद से हटाए जाने की मांग की गयी थी।

उक्त आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा करायी गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी के ग्राम दरहरा निवासी श्री मुन्ना की हत्या

*35—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या शासन को ज्ञात है कि दिनांक 28/29 जनवरी, 1976 की रात को ग्राम दरहरा थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई जिसका मुकदमा भी थाना कोतवाली में दिनांक 29 जनवरी, 1976 को अपराध संख्या 68, धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 में दर्ज हुआ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई और कितने व्यक्तियों का चालान हुआ?

श्री धर्मवीर—

दिनांक 29 जनवरी, 1976 को थाना कोतवाली बाराबंकी में ग्राम दरहरा के प्रधान ने सूचना दी थी कि गांव के मुन्ना पुत्र ईदू जो उसी सुबह से लापता था, की लाश गांव के कुएं में देखी गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामजद नहीं था। उक्त सूचना के आधार पर कोतवाली में धारा 302/201 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके उसी दिन विवेचना प्रारम्भ की गई। शव का पंचायतनामा और पोस्ट मार्टम परीक्षण कराने से मुन्ना को किसी के द्वारा गला दबाकर मार डाला जाना पाया गया। अतः दिनांक 31 जनवरी, 1976 को पोस्ट मार्टम परीक्षण की रिपोर्ट मिलने पर उपरोक्त मुकदमा इल्जाम नं0 60 पर लाया गया। अभी तक की विवेचना से अभियुक्त का पता नहीं लग सका है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

यह बात सही है कि नामजद रिपोर्ट नहीं है मगर इस तरह की कई दरख्वास्तें दी गई हैं कि थाना कोतवाल इस मामले को दबाना चाहते हैं। मैंने कोतवाल से स्वयं भी बात की मगर कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करवायेंगे?

श्री धर्मवीर—

माननीय सदस्य अगर मेरे पास लिख कर देंगे तो मैं देख लूंगा और सी0 आई0 डी0 की जांच के लिए आदेश दे दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इस तरह की वीभत्स घटना हो जाये और किसी की गिरफ्तारी तक न हो तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गिरफ्तारी किसी की न होने का क्या कारण है?

श्री धर्मवीर—

पुलिस अपने तरीके से ही जांच पड़ताल करती है। इस मामले में किसी ने किसी अभियुक्त का नाम ही नहीं बताया है, न किसी के खिलाफ कोई शंका व्यक्त की। पुलिस अपने तरीके से इसमें छानबीन कर रही है।

प्रदेश की बन्द कपड़ा मिलें

*36--श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार ने फरवरी, 1976 मास में यह निर्णय लिया है कि जो कपड़ा मिलें प्रदेश में बन्द पड़ी हुई हैं उनको अपने कब्जे में लिया जाय? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दि काशी सहकारी चीनी मिल लि०, वाराणसी के श्रमिकों का रिटेनिंग एलाउन्स

*37--श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई जनपद वाराणसी में कार्यरत श्रमिकों को रिटेनिंग एलाउन्स (किराया) बोनस, 1973-74, 1974-75 में कितने लोगों को दिया गया है? यदि उन्हें यह एलाउन्स नहीं दिया गया तो क्यों? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई वाराणसी में कार्यरत किन-किन विभाग के श्रमिकों को वर्ष 1974-75 में सीजनल वर्दी दी गई? यदि सीजनल वर्दी नहीं दी गई तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दि काशी सहकारी चीनी मिल्स, लिमिटेड, औराई, जिला वाराणसी में कार्यरत श्रमिकों को नियमानुसार रिटेनिंग एलाउन्स का भुगतान वर्ष 1973-74 व 1974-75 में कमश: 239 व 538 श्रमिकों को किया गया है। सीजनल श्रमिकों को आने-जाने का किराया भत्ता भुगतान करने का न तो कोई प्राविधान है और न कोई भुगतान ही किया गय है।

सीजन 1973-74 व 1974-75 में श्रमिकों को बोनस देय नहीं था, अत: भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1974-75 में निम्न कर्मचारियों को वर्दी दी गई हैं:--

(1)	सुरक्षा विभाग	.. 29 कर्मचारी
(2)	चपरासी	.. 18 कर्मचारी
(3)	कार तथा जीप चालक	3 कर्मचारी

मुजफ्फरनगर में कत्ल तथा डकैती की घटनाएं

*38--श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1975 से लेकर 15 जनवरी, 1976 तक मुजफ्फरनगर जनपद में डकैती व कत्ल की कितनी घटनायें हुईं और वर्ष 1974-75 के इसी काल में हुई कत्ल व डकैती की घटनाओं से कितनी कम या अधिक थी और सरकार ने इन अपराधों की रोक-थाम के लिए क्या उपाए किए?

श्री धर्मवीर--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1975 से 15 जनवरी, 1976 तक जनपद मुजफ्फरनगर में डकैती की 98 तथा हत्या की 118 घटनाओं की रिपोर्टें दर्ज कराई गई। वर्ष 1974-75 में इसी अवधि में डकैती की 93 तथा हत्या की 113 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराई गयीं थीं। गत वर्ष की तुलना में हत्या तथा डकैती की घटनाओं में कमश: पांच-पांच अपराधों की वृद्धि हुई।

उक्त अपराधों की रोक-थाम के लिए समय-समय पर अपराध निरोधक अभियान चलाए गए। ग्राम सुरक्षा समितियों का आयोजन किया गया तथा डकैती का मुकाबला करने के लिए प्रदर्शन किए गए। 1 जनवरी, 1975 से 15 जनवरी, 1976 तक की अवधि में पुलिस की डकैतों से 14 मुठभेड़ें हुईं जिनमें 8 डकैत मारे गए तथा 54 को बंदी बनाया गया तथा उनके कब्जे से बहुत से शस्त्र बरामद किए गए। 509 अपराधियों को 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत बंदी बनाकर जेल भेजा गया। हत्या के मामलों की रोक-थाम के लिए 2614 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। अपराधियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने के लिए मुजफ्फरनगर जनपद के मुख्य मार्गों पर 4 अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गयीं ?

श्री हुकम सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे स्पष्ट है कि जहां आपातकालीन स्थिति लागू होने के बाद और अपराधों में कमी हुई है, वहां कत्ल और डकैती के अपराधों में वृद्धि हुई है। अभी माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है और अपराध निरोधक अभियान भी चलाए गए ; तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 54, डकैत गिरफ्तार हुए और 118 डकैती की घटनायें हुई, तो इन 118 डकैतियों में कितने डकैत इनवाल्व्ड थे और क्या उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी ?

श्री धर्मवीर—

दिनांक 1 जनवरी, 1974 से 15 जनवरी, 1976 तक 118 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और इसमें 216 अभियुक्त थे, जो जेलों के अन्दर बन्द रहे। स्पष्ट है कि अब पुलिस अपराध रोकने की दिशा में प्रगति कर रही है।

श्री हुकुम सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि डकैती की जो रिपोर्ट्स आपको मिली हैं, उनमें कितने डकैत इनवाल्व्ड थे ? 54 की गिरफ्तारी दिखलायी गयी है, और 5-6 सौ डकैतों के खिलाफ रिपोर्ट है, तो इन डकैतियों में कितने डकैत इनवाल्व्ड थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट लिखायी है।

श्री धर्मवीर—

यह बहुत व्यापक प्रश्न है कि कितने डकैतों के खिलाफ इल्जाम है। किसी एक केस के बारे में आप पूछें तो मैं बतला दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, सन् 1974-75 के दरमियान अपराधों में कमी रही और 1975-76 के दरमियान वृद्धि रही, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दो सालों में वहां पुलिस कप्तान कौन रहा ? जिले के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी पुलिस कप्तान पर होती है और बढ़ते हुए अपराधों के लिए जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक होता है, तो उसके खिलाफ आपने कौनसी कार्यवाही की ?

श्री धर्मवीर—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

किसी जनपद में मुतवातिर अपराध होता रहे और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक को सौंपी गयी है, तो इसकी जानकारी, माननीय मन्त्री जी को होनी चाहिए कि वह कौन पुलिस अधीक्षक है, जो जिले की अपराध स्थिति पर काबू नहीं पा सका है, तो उसके खिलाफ आप कौन-सी कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ? जिस आदमी के ऊपर आपने जिले की

जिम्मेदारी सौंपी है, वह कैसा काम कर रहा है, यह देखना माननीय मन्त्री जी का काम है; तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की और वे कौन हैं ?

श्री धर्मवीर—

जैसा कि मैंने कहा पुलिस अधीक्षक का नाम मुझे नहीं मालूम है। वैसे अपराध को रोकने के लिए जितना भी प्रयास हो सकता है, वह पुलिस कर रही है।

श्री हुकम सिंह—

118 डकैती हुई है और उनकी विवेचना हुई है, तो विवेचना के पश्चात् कितने के खिलाफ चार्जशीट्स अदालतों में प्रोड्यूस की गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह ब्योरे का प्रश्न है।

श्री हुकम सिंह—

उनकी जांच आप करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

118 वाद हैं और किस तरह से एक-एक का नाम ये बतला सकते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, नाम न बतलावें, लेकिन जब एक ही आदमी सन् 1974 से लेकर 1976 तक उस जनपद में है जिसके कार्यकाल में अपराधों में वृद्धि हुई है तो क्या माननीय मन्त्री जी उसको कम से कम सजा—जो बैड एन्ट्री होती है, वह उसे देंगे ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, पहले यह तो निश्चित हो जाय कि एक ही पुलिस अधीक्षक सन् 1974 से सन् 1976 तक वहां थे या नहीं थे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था.....

श्री अध्यक्ष—

वह कह तो रहे हैं कि पहले जानकारी हो जाय, आपको भी जानकारी नहीं है कि एक ही रहे हैं या नहीं ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर अगर एक ही पुलिस अधीक्षक रहे हैं तो कार्यवाही की जाएगी।

सेन्ट्रल बैंक, मुजफ्फरनगर में डकैती

*39—श्री हुकम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 को मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली नगर में दिन दहाड़े सेन्ट्रल बैंक के दो रक्षकों की हत्या करके बैंक का लगभग 7 लाख रुपया लूट लिया गया ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और कथित डकैतों को पकड़ने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मवीर—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 को 2-25 बजे अपराह्न एजेन्ट, सेन्ट्रल बैंक, खतौली ने टेलीफोन द्वारा थाना खतौली, मुजफ्फरनगर को सूचित किया कि दो बदमाशों ने खतौली बस स्टैन्ड पर उक्त बैंक के एक गार्ड व एक चपरासी को गोली मारकर हत्या कर दी, एक व्यक्ति को घायल किया तथा खजाने का बक्सा, जिसमें सात लाख रुपया था व एक बन्दूक मोटर सायकिल पर लेकर भाग गए हैं। उक्त सूचना के आधार पर धारा 394/302/307 भा0 दं0 वि0 का मकदमा कायम किया गया। घटना की सूचना

[श्री धर्मवीर]

मिलते ही थानाध्यक्ष अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा जिस ओर बदमाशों का भाग जाना मालूम हुआ उस ओर गये परन्तु हर सम्भव प्रयास के बावजूद बदमाश हाथ नहीं आए।

उक्त अभियोग की विवेचना से तीन अभियुक्त विक्रम, धर्मपाल तथा अवतार सिंह, उर्फ हिटलर प्रकाश में आए। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए घटना के तत्काल बाद ही पांच दिनों तक सभी रास्तों पर नाकेबन्दी की गयी। एक अभियुक्त अवतार सिंह, उर्फ हिटलर गिरफ्तार किया गया, जिसका चालान अदालत किया जा चुका है। मेरठ परिक्षेत्र के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक बुलाई गयी तथा मेरठ परिक्षेत्र के वरिष्ठ निरीक्षकों तथा उपनिरीक्षकों के नेतृत्व में चार टोलियां बनाई गईं जिन्हें उनके जनपदों में अभियुक्तों के छिपने के सभी सम्भावित स्थानों पर दबिश डालने के निर्देश दिये गये। इन टोलियों द्वारा कई स्थानों पर दबिश दी गयी पर अभियुक्तों का पता नहीं चला। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में आरम्भ से ही पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, अपराध शाखा द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, यह जो 2 डकैतों के नाम मन्त्री जी ने लिए हैं, विक्रम और धर्मपाल, इनकी विशेषता रही है कि जहां-जहां पुलिस स्टेशन होते हैं, उन्हीं के पास डकैती डालते हैं और ल्ल करते हैं। इसके पहले इन्होंने नगर कोतवाली के सामने ल्ल किया। यह घटना खतौली थाने के पास की है। जहां पर घटना हुयी वहां से खतौली थाना 100 या सवा सौ गज दूर है। मान्यवर, गोलियां चलती रहीं और टेलीफोन करने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो डकैत पिछले 2 सालों से पुलिस थानों के सामने या बराबर में डकैतियां और ल्ल करते रहे हैं या तो यह पुलिस से मिले हुए हैं या फिर पुलिस उनसे भयभीत है। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रिवेन्टिव ऐक्शन न लेने का क्या कारण है? 2 घटनायें इसके पहले हो चुकी हैं, तो कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में मैंने स्पष्ट निवेदन किया था कि इस घटना के बारे में छानबीन करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए इस विशेष घटना के लिए, 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए डी0 आई0 जी0 रैंक के अफसरों के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गयी है। हर कार्यवाही के साथ-साथ सी0 आई0 डी0 को निर्देश दिया गया है कि इस कांड की जांच करें और डी0 आई0 जी0, मेरठ को पूरा सहयोग दें।

श्री प्यारे लाल—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर डकैती की घटना हुई वहां से थाना सौ-सवा-सौ गज की दूरी पर है और उसमें दो कर्मचारी मारे भी गए, डकैत लोगों ने मोटर साइकिल पर अटैची बांधी, एक बार वह गिर भी गयी, दुबारा फिर बांधा तो क्या तब तक पुलिस को जानकारी नहीं हुई कि डकैती हो रही है? यदि नहीं, तो ऐसे थाने के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, सूचना टेलीफोन पर मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और तत्काल कार्यवाही की।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इस बैंक से सौ-सवा-सौ गज की दूरी पर थाना है। यदि हां, तो डकैती पड़ने के कितनी देर बाद पुलिस वहां पहुंची?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, सूचना के अनुसार दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 को 2.25 बजे टेलीफोन पर सूचित किया गया और वहां से कितनी दूरी है, इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जो यह घटना हुई है उसमें एक रोडवेज की बस पर धन लाया जा रहा था। तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विवेचना में ऐसी बात आयी है कि विशेष वाहन से रुपया न लाकर बस द्वारा वहां लाया गया ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, विवेचना तो जारी है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण थे बस द्वारा रुपया लाने के ? तो पहले क्या कार्यवाही होती थी किस प्रकार रुपया लाया जाता था ? मैं बताना चाहता हूं कि 2 अपराधी जो हैं वह बहुत ही खूंखार किस्म के अपराधी हैं। हमें जनता से किस प्रकार सुराग मिले कि इन अभियुक्तों का पता लगे। डी0 आई0 जी0 को मुकर्रर कर दिया है कि जल्द से जल्द पता लगावें क्योंकि सूचना में बात आयी है कि वह अपराधी मुजफ्फरनगर में नहीं रहते। कभी दिल्ली में रहते हैं तो कभी और जगह पर। वे स्थान बदलते रहते हैं। इसलिए जहां-जहां सुराग मिलता है सी0 आई0 डी0 द्वारा पता किया जा रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि थाने से सौ-सवा सौ गज की दूरी पर घटना घटी है और गोली चली हैं तो उसकी आवाज थाने तक पहुंच सकती है। लेकिन उसकी सूचना टेलीफोन से दी गयी है। यह दिन-दहाड़े घटना हुई है। तो सीधे जिम्मेदार थानाध्यक्ष को नहीं बनायेंगे तो क्या अमन-चैन की व्यवस्था कायम हो सकती है ? इसलिए पुलिस अधीक्षक के खिलाफ आपने क्या कदम उठाए हैं जिससे कि पुलिस प्रशासन में भविष्य में चुस्ती आए ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, स्थानीय स्तर पर पुलिस उप महानिरीक्षक ने क्या कार्यवाही की थी इसकी सूचना नहीं है। लेकिन मैं आपकी भावना का आदर करता हूं और कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार भी चाहे वह थानाध्यक्ष हो या पुलिस अधीक्षक, वह इस उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते कि अपराधी को पकड़ने का प्रयास न किया हो।

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के सदस्य

*40—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर कमेटी में कौन-कौन सज्जन कमेटी के सदस्य हैं ? क्या मन्दिर कमेटी के संविधान में कोई संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या इस व्यवस्था से जनता में भारी असन्तोष है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति में इस समय निम्नांकित सदस्य हैं :—

(1)	डा0 राम नारायण पाण्डेय	..	अध्यक्ष
(2)	श्री गोविन्द प्रसाद नौटियाल	..	उपाध्यक्ष
(3)	श्री अमर नाथ दुबे	..	सदस्य
(4)	श्री राम लखन सिंह	..	,,
(5)	श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन	..	,,
(6)	श्री उमाशंकर तिवारी	..	,,
(7)	श्री जय नारायण सिंह	..	,,
(8)	श्री कन्हैया लाल सोनकर	..	,,
(9)	श्री बंशीधर शुक्ला	..	,,

(10) श्री राम चन्द्र उनियाल .. सदस्य
(11) श्री श्रीलाल थपलियाल .. ,,
(12) श्री सुन्दरलाल बाबुलकर .. ,,

मन्दिर कमेटी के उक्त गठन (संविधान) में कोई संशोधन हाल में नहीं किया गया है। अत : प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का विवरण

*41—श्री राम मूर्ति (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन गन्ना मिलों में कितना-कितना रुपया गत वर्ष का किसानों का बकाया के रूप में शेष है और उसको वसूल कराने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश की 74 चीनी मिलों में से 27 चीनी मिलों पर सीजन 1974-75 का दिनांक 31 मार्च, 1976 तक 242.85 लाख रुपया गन्ना मूल्य शेष था जिसकी मिलवार सूची संलग्न है।

गन्ना मूल्य के बकायों के भुगतान हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे उसकी वसूली हेतु चीनी मिलों को वर्तमान सीजन में मिलने वाली बैंक अग्रिम की धनराशि तथा पुराने सीजन के चीनी के स्टाक पर उपलब्ध मार्जिन मनी से भुगतान करावें।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 338 पर।)

बिक्री-कर प्रणाली में सुधार एवं विभाग में व्याप्त अनियमितताओं संबंधी ज्ञापन

*42—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर प्रणाली में सुधार तथा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में विधान सभा सदस्य, सर्वश्री सत्य प्रकाश तथा हरिश्चन्द्र खन्डेलवाल द्वारा हस्ताक्षरित कोई ज्ञापन दिनांक 28 अप्रैल, 1975 से 2 मई, 1975 के बीच मिला ? यदि हां, तो मुख्य सुझाव एवं शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

मुख्य सुझावों एवं शिकायतों के विषय में सूचना संलग्नक में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 339–341 पर।)

सहायक अभियन्ता, सिंचाई, ऋषिकेश, देहरादून के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*43—श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री को मालूम है कि किसी सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, ऋषिकेश, जिला देहरादून के विरुद्ध भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, धोखेधड़ी आदि का एक विस्तृत शिकायती-पत्र दिनांक 28/29 जनवरी, 1976 को सचिव, सतर्कता विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को प्राप्त हुआ है तथा उसके साथ चार फोटोस्टेट कापी भी उन चार-पत्रों की प्राप्त हुई हैं जो उक्त सहायक अभियन्ता, सिंचाई द्वारा स्वयं अपने हाथ से लिखे एवं हस्ताक्षर किए हुए हैं ? और जिनसे उक्त आरोप लिखित में सिद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस सहायक अभियन्ता को तुरन्त मुअत्तल कर उनके विरुद्ध प्रीवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट तथा इन्डियन पीनल कोड से सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही तत्काल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, इस विषय में एक शिकायती-पत्र दिनांक 28 जनवरी, 1976 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ चार पत्रों की फोटोस्टेट प्रतिलिपियां भी हैं। शासन द्वारा इस शिकायती-पत्र में उल्लिखित विवरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु छानबीन की जा रही है।

मुरादाबाद, सम्भल में साम्प्रदायिक दंगा

*44—**श्री पुरुषोत्तम कौशिक** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 1976 के प्रथम सप्ताह में मुरादाबाद के सम्भल क्षेत्र में उग्र साम्प्रदायिक दंगा हो गया? यदि हां, तो संघर्ष का कारण क्या था? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देना लोकहित में न होगा।

थाना ज्वालापुर, हरिद्वार में श्री पी० जे० कोशी, आई० ए० एस० के साथ मारपीट

*45—**श्री विमल प्रसाद तिवारी** (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 29 फरवरी, 1976 को थाना ज्वालापुर, हरिद्वार में एक आई० ए० एस० अधिकारी (श्री पी० जे० कोशी) के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया तथा मारपीट की गई तथा दफा 34 में उनका चालान किया गया? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29 फरवरी, 1976 को 18.30 बजे थाना ज्वालापुर, जिला सहारनपुर के एक हेड कान्सटेबिल एवं दो कान्सटेबिलों द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाना ज्वालापुर लाया गया और उनके द्वारा थाने पर इस आशय की रिपोर्ट अंकित कराई गयी कि मुलजिम 18.15 बजे चौराहा पुल जटवाला के पास रास्ता सरेआम पर पेशाब कर रहा था जिससे उसके गुप्तांग का प्रदर्शन हो रहा था और रास्ते से गुजरने वाली जनता में काफी घृणा व नफरत पैदा हो रही थी। मुलजिम के शरीर पर कुछ चोटें पहले से लगी हुई थीं। मुलजिम को दिलाशा देकर उसका सही नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना सही नाम पी० जे० कोशी, पुत्र श्री पी० के० जाहेन, निवासी चेला होटल, बेटियार, जिला एलेप्पी (केरल) बताया। उक्त रिपोर्ट रोजनामचा आम में धारा 34 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज की गयी।

नेशनल एकेडमी, मंसूरी के सुपरिन्टेंडेंट ने टेलीफोन द्वारा थाना, हरिद्वार पर दिनांक 29 फरवरी, 1976 को 10.30 प्रात: सूचना दी कि श्री कोशी मंसूरी जाते समय हरिद्वार उतर गए तथा उनका दिमाग चला बताया गया। उक्त सूचना पर श्री कोशी की खोज जारी हुई तथा दिनांक 1 मार्च, 1976 को थानाध्यक्ष, हरिद्वार थाना ज्वालापुर गए। वहां उन्होंने थानाध्यक्ष, ज्वालापुर से श्री कोशी की तलाश करने को कहा। श्री कोशी वहीं मौजूद थे तथा उन्होंने अपना परिचय दिया। इसकी सूचना थानाध्यक्ष; हरिद्वार द्वारा उसी दिन टेलीफोन से एकेडमी मंसूरी को दी गयी तथा श्री कोशी को ले जाने के लिए अनुरोध किया गया परन्तु चूंकि कोई उन्हें लेने के लिए नहीं आया, अत: उनको रुड़की जेल भेजा गया, परन्तु चूंकि श्री कोशी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, अत: जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें वापस कर दिया गया। दिनांक 2 मार्च, 1976 को सुपरिन्टेंडेंट, नेशनल एकेडमी, हरिद्वार आए तथा श्री कोशी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय

ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। श्री कोशी को श्री बी0 डी0 बहुगुणा, सुपरिन्टेंडेंट, लाल बहादुर नेशनल एकेडमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, मंसूरी द्वारा दिल्ली के किसी मेन्टल हास्पिटल ले जाया गया।

उक्त घटना की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। थानाध्यक्ष, ज्वालापुर, तथा एक हेड कांस्टेबिल एवं दो कांस्टेबिलों (जो श्री कोशी को गिरफ्तार करके लाए थे) को पुलिस लाइन में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

कारागारों के बन्दियों को टेलीविजन देखने की सुविधा

*46—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य के किन-किन कारागारों में सरकार की ओर से बन्दियों को टेलीविजन दिखलाने की व्यवस्था है? क्या हाल में ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया है कि टेलीविजन को एक विशेष श्रेणी के बन्दियों को न दिखलाया जाय? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के बन्दियों को इससे वंचित किया गया है और क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन द्वारा राज्य के किसी भी कारागार में टेलीविजन दिखाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है परन्तु आदर्श कारागार, लखनऊ में पारिश्रमिक योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे बन्दियों के कैन्टीन की प्रबन्धक समिति द्वारा एक टेलीविजन क्रय किया गया है। इसका लाभ केवल पारिश्रमिक योजना में कार्य करने वाले बन्दियों को ही मिलता है।

टिहरी-गढ़वाल की जाखीगवाना पेयजल योजना

*47—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला टिहरी-गढ़वाल के विकास खन्ड, कीर्तिनगर में ग्राम सभा जाखी की आखरवाणी-पेयजल योजना के लिए सरकार द्वारा ठेकेदार को दिए गए नल दुगड्डा मोटर मार्ग में तथा कुछ उस क्षेत्र के कई गांवों में इधर-उधर पड़े हैं? यदि हां, तो विगत एक वर्ष से इन नलों की लापरवाही के कारण जो क्षति व चोरी हो रही है तो उसका दायित्व किसका है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस योजना में जो भुगतान हुआ है उसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि प्रश्नगत योजना का सही नाम जाखी गवाना ग्राम समूह पेयजल योजना है। इसका कार्यान्वयन अखरवाड़ी जल श्रोत से एक ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। ठेकेदार को विभाग द्वारा नल बिना मूल्य के दिए गए हैं और ठेके के अनुबन्ध की शर्त के अनुसार नलों की सुरक्षा आदि का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का है। ठेकेदार ने अब तक 38,000 रुपये का कार्य सम्पादित कर दिया है जिसके विरुद्ध उसको कुल 32,036 रु 0 का भुगतान किया गया है। भुगतान कार्य सम्पादन होने पर ही किया गया है अत: उसके उपयोग न होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 32,036 रुपए का जो भुगतान ठेकेदार को किया गया है वह कौन से काम के लिए किया गया है और किस प्रकार का काम है? कार्यों का ब्यौरा तो होगा ही? मैं उस क्षेत्र में गया हूं। पानी के स्रोत से लेकर जहां नल पड़े हैं वहां तक कोई कटान नहीं है, कोई काम हुआ नहीं दिखाई देता। होगा यह कि 32 हजार रुपया ठेकेदार ले जायगा और एक पैसा भी गांव वालों को नहीं देगा। क्या मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से जांच करवायेंगे कि इसका उत्तरदायित्व किसका है और फिर उसको कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह मन्डारी—

हमारी सूचना के अनुसार ठेकेदार ने 30 प्रतिशत काम कर दिया है। लेकिन अगर माननीय सदस्य का कहना है कि कुछ काम नहीं हुआ, है तो वह लिख कर दे दें, हम इसकी जांच करवा लेंगे।

मैनपुरी के ग्राम ततारपुर की श्रीमती ओमवती तथा अन्य की गोली मारकर हत्या

*48—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मैनपुरी जनपद के शिकोहाबाद थाने के अन्तर्गत किसी हरिजन युवती की दिनांक 19 मार्च, 1976 को अवकाश पर आए सेना के जवान ने गोली मार कर हत्या कर दी ? क्या यह भी सही है कि युवती के बचाव में चार ग्रामीण भी सेना के जवान की गोली के शिकार हो गए ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14 मार्च, 1976 को श्री जुम्मन लाल पुत्र बंशी मेहतर, निवासी ग्राम ततारपुर, थाना शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी द्वारा थाना शिकोहाबाद पर सूचना दी गयी कि उसकी भाभी, श्रीमती ओमवती करीब 3 बजे दिन माखन मेहतर के घर की तरफ जा रही थी कि इतने में उसे 4 नामजद अभियुक्तों ने बुरा काम करने की नियत से घेर लिया, श्रीमती ओमवती के चिल्लाने पर गांव के कतिपय लोग उसको बचाने के लिए गए। चारों नामजद अभियुक्तों द्वारा गोली चलाई गयी जिसके फलस्वरूप श्रीमती ओमवती व दो अन्य अमुक व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गए। दो अन्य घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गयी।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर दिनांक 14 मार्च, 1976 को धारा 354/307/302 भा0 द0 वि0 का अभियोग कायम किया गया। थानाध्यक्ष तथा क्षेत्राधिकारी तुरन्त घटनास्थल पर गए। चारों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी गयीं। इन अभियुक्तों में से एक दिनांक 25 मार्च, 1976 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अभियुक्त राजवीर सिंह जो सेना का कर्मचारी है तथा एक अन्य अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया, जिनका चालान किया गया। शेष एक अभियुक्त फरार है जिसके विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी और उसका चालान मफरूरी में किया गया है।

रुड़की नगर में विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की कथित योजना

*49—श्री त्रिवेणी सहाय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार विज्ञान का कोई राष्ट्रीय संस्थान रुड़की नगर में स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना पैसा व्यय होगा ? क्या इस तरह का संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी स्थापित किए जाने का विचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

थाना रेन्डर, जालौन, ग्राम कमरोरा में बस लूटे जाने की घटना में यात्रियों की सहायता करने वाले पुलिस कर्मचारी को पुरस्कार

*50—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या शासन की जानकारी है कि दिनांक 20 मई, 1974 को जिला जालौन में थाना रेन्डर के अन्तर्गत ग्राम कमरोरा पर एक बस लुटी थी और उसमें एक पुलिस का

[डा० मलखान सिंह]
कर्मचारी भी था जिसने अपनी जिन्दगी से खेलकर यात्रियों की सुरक्षा की थी ? यदि हां, तो शासन ने ऐसे साहसी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या पुरस्कार दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

सम्बन्धित 12 सी०पी० कान्सटेबिल, श्री राम सेवक दुबे को स्वीकृत 330 रुपए प्रदान किया जा चुका है तथा हेड कान्सटेबिल के पद पर पदोन्नति की जा चुकी है।

प्रदेश के न्यायालयों में डा० भीमराव अम्बेदकर के चित्र को न लगाया जाना

*51—डाक्टर मलखान सिंह (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा स्वर्गीय डा० भीमराव बाबा साहब अम्बेदकर के चित्र को न्यायालयों एवं कार्यालयों में लगाने पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं ? तो क्या सरकार प्रतिबन्ध तत्काल हटाने की कृपा करेगी ? प्रतिबन्ध लगान का कारण क्या था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य शासन की वर्तमान नीति के अनुसार सरकारी कार्यालयों में केवल राष्ट्रपिता एवं वर्तमान तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधान मंत्री के चित्र टांगे जाते हैं। वर्ष 1972 तथा 1973 में कुछ व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के कार्यालयों में परम सम्मानित स्वर्गीय डा० अम्बेदकर के चित्र जबरदस्ती लगा दिए थे। उस समय की स्थिति को देखते हुए तत्कालीन शासन ने डा० अम्बेदकर के उन्हीं जिलों में सरकारी कार्यालयों में जबरदस्ती लगाए गए चित्रों को हटाए जाने के आदेश जारी किए, परन्तु बाद में दिनांक 4 जनवरी, 1975 को उन आदेशों को निरस्त कर दिया गया था। साथ ही साथ यह स्पष्ट किया गया था कि सरकारी कार्यालयों में केवल राष्ट्रपिता एवं वर्तमान तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री के चित्र ही टांगे जाएं और यदि अन्य गणमान्य व्यक्ति अथवा नेता का चित्र टांगने की मांग प्रस्तुत की जाए तो इस सम्बन्ध में शासन से पूर्व निर्देश प्राप्त किए जाएं।

थाना; पूरनपुर, पीलीभीत के सबइन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण

*52—श्री रूप राम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत में दिनांक 1 जनवरी, 1975 से 30 जनवरी, 1976 तक कितने सब इन्सपेक्टरों का थाना पूरनपुर से स्थानान्तरण किया गया तथा क्यों ?

श्री धर्मवीर—

थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत में 1 जनवरी, 1975 से 30 जनवरी, 1976 तक 13 सब इन्सपेक्टरों के स्थानान्तरण किए गए। ये सभी स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से अथवा जनहित में किए गए।

श्री रूप राम—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक और जनहित क्या है ? तेरह महीनों में 13 एस० आईज० का ट्रान्सफर किया गया।

श्री अध्यक्ष—

जनहित, जनहित है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जनवरी, 1975 से 30 जून, 1976 तक यानी एक साल के अन्दर 13 इन्सपेक्टर्स को बदला, एक थाने पर। इस स्थिति का उत्तरदायित्व वहां के पुलिस कप्तान

पर है। जो पुलिस कप्तान एक थाने पर तेरह महीनों में 13 इन्सपैक्टर्स को बदल सकता है तो क्या वहां अमन चैन रहेगा ? क्या मन्त्री जी ने इसकी छानबीन करने की कोशिश की कि वहां इतनी जल्दी-जल्दी थानेदार क्यों बदले जा रहे हैं ?

श्री धर्मवीर—

इस सब की सूची* संलग्न है। पूरनपुर थाने पर दो डकैत, मोहन सिंह और राम किशन ने आतंक फैला रखा था। वहां आस-पास जंगल है। वहां के ठेकेदारों ने भी प्रार्थना-पत्र दिए। हमारा एक कांस्टेबिल भी मारा गया। वहां पर स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए बराबर थानेदार भेजे जाते रहे हैं। जब यह दोनों डकैत मारे गए तो अब स्थिति सामान्य है।

श्री रूपराम—

जैसा आपने कहा कि मोहन सिंह और राम किशन नामक डकैत मारे गए तो क्या इतनी जल्दी-जल्दी इंसपेक्टर्स के बदलने से कोई आदमी इतनी जल्दी किसी डकैत का पता लगा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

वह डकैत है। अगर पहुंचते-पहुंचते एक मिनट में भी कोई पकड़ लेता है तो आपको उसमें क्या आपत्ति है ?

*53—श्री प्यारे लाल—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 पर स्थानान्तरित]

हरदोई के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में स्टाम्प ड्यूटी की दर

*54—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई तहसील, हरदोई के सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन विभाग में भूमि विक्रय पर सरकारी निश्चित मूल्यों की दरों की दूनी दर पर स्वेच्छा से मूल्य निर्धारित कर स्टाम्प ड्यूटी वसूल करते हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस अनियमितता को दूर करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अजीजुर्रहमान—

जी नहीं। हरदोई तहसील, हरदोई के सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में भूमि-विक्रय पर सरकारी निश्चित मूल्यों की दरों की दूनी दर पर स्वेच्छा से मूल्य निर्धारित कर स्टाम्प-ड्यूटी वसूल नहीं करते हैं।

श्री श्रीशचन्द्र—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निश्चित मूल्यों का आधार क्या है ? कैसे आपने इसकी वैल्यूएशन निश्चित किया ?

श्री अजीजुर्रहमान—

इसका आधार स्टाम्प ऐक्ट के अन्दर है। उसी के अन्तर्गत यह निश्चित किया जाता है। जहां तक कि मार्केट वैल्यू का सवाल है, रूल्स में एक फार्मूला दिया हुआ है कि भूमिधरी की आराजी उसके लगान का 400 गुना और सीरदारी का 200 गुना और अगर मकान है तो उसके एनुवल किराए का 20 गुना।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है उससे तो स्पष्ट नहीं होता है। यह तो सारे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की स्थिति है और मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे वहां की जमीन बलुही है . . .

---

*छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष—

यह एक अलग का प्रश्न है और इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रीशचन्द्र—

क्या माननीय हमारी सूचना को सही मानकर, जो उत्तर उन्होंने दिया है, वह सही नहीं है और मैं इस सम्बन्ध में एक सूची प्रस्तुत करूंगा और क्या वह उस सूची को आधार मानकर जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीजुर्रहमान—

मैं जांच अवश्य करवाऊंगा, परन्तु यह बात स्पष्ट है कि कानून की रू से किसी आफिसर को दर फिक्स करने का अख्तियार नहीं है और जो आधार दिया है, उसके खिलाफ कोई वसूली करने का हक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नहीं है और अगर कोई करता है तो उसकी जांच होगी और उसको उचित दन्ड दिया जायगा।

बांदा के ग्राम अमवा में कांन्टेबिलों और केवटों के बीच मार-पीट

*55—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत राजापुर थाने के अन्तर्गत ग्राम अमवा में मार्च, 1976 मे थाने के सिपाहियों ने उस गांव की केवट औरतों के साथ बलात्कार हेतु घरों में घुस गए थे और जब औरतों ने सिपाहियों से मुठभेड़ की तो सिपाही राइफलें छोड़कर भाग गए ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना राजापुर, बांदा के कान्सटेबिल, रामस्वरूप व अन्य तीन कान्सटेबिल अपनी-अपनी राइफलें लेकर दिनांक 13 मार्च, 1976 को सुबह 6.45 बजे ग्राम विहरवा की तरफ गश्त तथा मुकदमों के वांछित अभियुक्तों की तलाश व सुरागरसी के लिए रवाना किए गए थे। जब उक्त कान्सटेबिल ग्राम विहरवा में गश्त कर रहे थे तो उन्हें मुखबिर द्वारा नथनवा केवट, निवासी ग्राम अमवा, जिसकी एक डकैती के सिलसिले में तलाश थी, के अपने घर में तीन बदमाश साथियों सहित होने की सूचना मिली। मुखविर की इस सूचना पर चारों कान्स्टेबिल दिन के लगभग 1 बजकर 30 मिनट पर ग्राम अमवां पहुंचे। दो कान्सटेबिलों ने नथनवा के घर के पीछे पोजीशन ली तथा दो कान्सटेबिल मकान के सामने गए जिनमें से एक कान्सटेबिल ने नथनवा को बाहर आने के लिए आवाज दी। इस पर नथनवा, उसके तीन बदमाश साथी, नाम पता अज्ञात, नथनवा का लड़का, देवी दयाल तथा परिवार की अन्य औरतें लाठी-डंडा लेकर बाहर निकले और दोनों कान्सटेबिलों को मारने लगे। चिल्लाहट सुनकर शेष दोनों कान्स्टेबिल भी सामने की ओर आए और नथनवा आदि ने उन्हें भी मारना शुरू किया। कान्स्टेबिलों ने अपनी राइफलों से लाठी का बचाव किया। दो कान्स्टेबिल चोट खाकर गिर गए तथा एक कांस्टेबिल की रायफल की बाड़ी की लकड़ी टूट गई। शोरगुल सुनकर वहां कुछ लोग आ गए जिनके ललकारने पर अभियुक्त भाग गए। उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई किन्तु वे भाग निकले। इस घटना की लिखित सूचना कान्स्टेबिल राम स्वरूप ने दिनांक 13 मार्च, 1976 को 6.30 बजे शाम को थाना राजापुर पर दी जिसके आधार पर नथनवा तथा अन्य के विरुद्ध धारा 147/353/332/323, भारतीय दन्ड विधान का एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी विवेचना हो रही है।

थाना, राजापुर के सिपाहियों के मार्च, 1976 में ग्राम अमवा के किसी केवट के घर बलात्कार की नियत से घुस जाने की बात सही नहीं है।

सचिवालय के लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष का स्थानान्तरण

*56—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सचिवालय के विभिन्न विभागों में नियुक्त लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष जो पिछले 10 से 15 वर्षों से कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष (ट्रेजरार-कम-एकाउंटेन्ट) के पदों पर नियुक्तियां विशेष तौर पर उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करके की जाती हैं और ऐसे व्यक्तियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उस समय तक स्थानान्तरित करना उचित नहीं ह जब तक उनके कार्य एवं आचरण के विरुद्ध कोई शिकायत न हो। इस वर्ग के सहायकों के स्थानान्तरण के कोई नियम नहीं हैं।

*57—श्री पूरन चन्द—

(5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 45 पर स्थानान्तरित।)

बलिया के ग्राम नदोली निवासी, श्री विश्वनाथ हरिजन की गिरफ्तारी

*58—श्री रघुनाथ (जिला बलिया) (अनुपस्थित), श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा), (अनुपस्थित) तथा श्री चन्द्रभान आजाद (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या पुलिस मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के थाना रसड़ा के अन्तर्गत ग्राम नदोली के एक हरिजन परिवार को स्थानीय पुलिस, रसड़ा ने दिनांक 26 मार्च, 1976 को मार-पीट कर अंग भंग कर दिया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना रसड़ा, जिला बलिया की पुलिस द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1976 को एक हरिजन परिवार को मार-पीट करके अंग-भंग करने की बात सही नहीं है बल्कि तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26 मार्च, 1976 को थानाध्यक्ष, रसड़ा, जो रात्रि में गश्त पर थे, को मुखबिर से यह सूचना प्राप्त हुई कि काली स्थान के पास स्थित ट्रान्सफार्मर पर कुछ बदमाश चढ़ कर उसे तोड़-फोड़ करने वाले या आग लगाने वाले हैं। अत: वे कुछ गवाहों को लेकर उक्त स्थान पर गए। वहां पर उन्होंने टार्च की रोशनी में देखा कि दो आदमी जमीन पर दोनों खम्भों के पास खड़े हैं और इन दोनों आदमियों के कन्धे पर एक-एक आदमी खड़े हैं और ट्रान्स फार्मर को खोल रहे हैं। पुलिस पार्टी तथा गवाहान चोरी बचाने के लिए दौड़े। पुलिस पार्टी को देखकर बदमाश भागे किन्तु पुलिस तथा गवाहों ने पीछा करके तीन बदमाशों को पकड़ लिया। चौथा बदमाश जिसका नाम गिरफ्तार बदमाशों से पूछ-ताछ पर विश्वनाथ हरिजन, निवासी, अमला नदौली, बलिया ज्ञात हुआ, भाग निकला। थानाध्यक्ष ने एक हेड कान्सटेबिल तथा अन्य कर्मचारियों को तहरीर देकर उक्त विश्वनाथ की गिरफ्तारी के लिए उसके ग्राम भेजा। पुलिस कर्मचारियों को विश्वनाथ घर पर मिला किन्तु उन्हें देखकर भागा। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और गिरफ्तारी के उद्देश्य से उसे कुछ चोटें पहुंचाई जिससे वह गिर पड़ा किन्तु फिर भी उठकर फसल की आड़ लेते हुये भाग निकला और गिरफ्तार नहीं किया जा सका। विश्वनाथ ने बाद में दिनांक 20 अप्रैल, 1976 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विश्वनाथ एक शातिर किस्म क दुराचारी एवं प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है और वह आजीवन कारावास तक का सजायाफ्त भी है। उसे गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान ही कुछ चोटें आई थीं।

प्रतापगढ़ के मानिकपुर निवासी, श्री कुरेश खां की फसल की कथित लूट तथा उनके परिवार के कस्बा छोड़कर चले जाने की घटना

*59—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत मार्च माह में प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत कस्बा मानिकपुर, निवासी, श्री कुरेश खां (उम्र 80 साल) और उनके दो छोटे अवयस्क पोतों के विरुद्ध (उम्र 12 साल और 16 साल) तीन मील की दूरी पर हुए एक कुख्यात बदनाम व्यक्ति के कत्ल में, इलाका पुलिस ने धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया और तथाकथित अभियुक्तों के अदालत में हाजिर हो जाने के बाद अभी तक कुछ अराजक तत्वों ने श्री कुरेश खा के बीसों बीघे खेत में खड़ो रबी की तैयार फसल लूट लिया जिसके सम्बन्ध में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर—

दिनांक 14 मार्च, 1976 को थाना मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ में लिखाई गई एक रिपोर्ट के आधार पर मानिकपुर टाउन एरिया के चेयरमैन, श्री इजहार आजम के पुत्र फखरुल हसन उर्फ फक्कू की उसी दिन हत्या कर देने के सम्बन्ध में श्री कुरेश अहमद खां, निवासी, कस्बा मानिकपुर के दो पुत्रों व दो पौत्रों जिनकी उम्र 16 व साढ़े अठारह वर्ष है, व 2-3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/148/149/302/201, भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमें की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा उसी दिन प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त फरार थे, अत: न्यायालय के आदेश प्राप्त करके दिनांक 20/21 मार्च, 1976 को अभियुक्तों के घर का घरेलू सामान, कपड़ा, बर्तन, अनाज व जानवर कुर्क किए गए। बाद में दिनांक 24 मार्च, 1976 को चारों नामजद अभियुक्तों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

यह सही नहीं है कि अभियुक्तों के अदालत में हाजिर हो जाने के बाद भी कुछ अराजक तत्वों ने श्री कुरेश खां के बीसों बीघे खेत में खड़ी रबी की फसल को लूट लिया।

अब तक की विवेचना से श्री कुरेश खां व उनके दो अन्य पुत्रों द्वारा अपराध में साजिश किया जाना ज्ञात हुआ ह, अत: इन तीनों को दिनांक 19 अप्रैल, 1976 को थाना सलोन, जिला रायबरेली की पुलिस ने गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया। बाद में यह तीनों प्रतापगढ़ जेल में स्थानान्तरित किए गए व दिनांक 28 अप्रैल, 1976 को न्यायालय के आदेश से जमानत पर छोड़े गए।

दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को न्यायालय के आदेश से कुर्क शुदा सारा माल मुल्जिमान के घर की औरतों को उनके रिश्तेदारों व गवाहों की मौजूदगी में वापस कर दिया गया।

*60—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या गृह मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री कुरेश खां का सारा परिवार अराजकतत्वों और गुन्डों के भय से कस्बा छोड़ कर चला गया है और उसकी सारी सम्पत्ति असामाजिक और राष्ट्र विरोधी लोगों द्वारा लूटी जा रही है ? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर—

दिनांक 21 मार्च, 1976 को कुर्की के पश्चात् अभियुक्तों के घर की औरतों ने स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की प्रार्थना की और कहा कि उन्हें सुरक्षित उनके दूसरे मकान ग्राम टिकरी में पहुंचा दिया जाय। अत: थानाध्यक्ष, मानिकपुर ने दो सशस्त्र कान्सटेबिलों के संरक्षण में उन औरतों को मानिकपुर के ग्राम टिकरी पहुंचाया। जब अभियुक्तों के घर की औरतें कस्बा मानिकपुर से ग्राम टिकरी के लिए गई तो उन्होंने अपने घर का ताला लगाया, जो अभी भी बदस्तूर लगा हुआ है।

यह सही नहीं है कि श्री कुरेश खां का सारा परिवार अराजक तत्वों और गुन्डों के भय से कस्बा छोड़कर चला गया है और उनकी सारी सम्पत्ति असामाजिक और राष्ट्र विरोधी लोगों द्वारा लूटी जा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार बताएगी कि एफ0 आई0 आर0 में क्या लिखाया गया और कब वह फरार घोषित किए गए, जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी, ? जिनके साथ यह घटना घटी वह मेरे पास रोते हुए आए। फिर 80 साल का बुड्ढा कैसे साजिश कर सकता है कत्ल में ? एक सम्मानित सदस्य वहां के रहने वाले हैं जिनके असर से यह सब हुआ ह। मेरा कहना है कि आपकी पुलिस कायदे कानून के मातहत है, कितना ही बअसर आदमी हो उसके मातहत नहीं है। तो क्या सरकार इसकी जांच करायेंगी कि कायदे कानून की पाबन्दी इस मामले में हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप एक सवाल करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री क्या एफ0 आई0 आर0 की नकल पढ़ने के की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि फरार कब घोषित हुए ?

श्री धर्मवीर—

रिपोर्ट बहुत लम्बी है। मैं सारांश में पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है :—

"श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़, निवेदन है कि मेरे आटे की चक्की का घर, अजीज अहमद उर्फ लल्लू पुत्र कुरेश खां, मुहल्ला काछी पट्टी; मानिकपुर के घर के पास है। मेरा लड़का, फखरुल हसन उर्फ फक्कू उमर लगभग 28 साल चक्की का काम देखता था और ज्यादातर दिन में वहीं रहता था। अजीज अहमद खां की लड़की, नसीम उम्र करीब 20 साल से मेरे लड़के की मुहब्बत हो गई थी जिसके सम्बन्ध में खतो किताबत भी होने लगी थी जिस बात की जानकारी हो जाने पर नसीम के मां-बाप अपनी लड़की की शादी लगभग 5-6 माह पूर्व फतेहपुर जिला में कर दिया। जिसकी बिदाई तिबारा करीब 35 दिन पहले उसके शौहर के साथ हो गई थी जो फतेहपुर स्टेशन से ससुराल जाते समय ही अपने आदमी को भुलावा दे कर किसी के साथ भाग गई जिसकी खबर उसके शौहर ने अपने ससुराल में दिया। चूंकि अजीज अहमद व उसके घर वालों को फखरुल हसन तथा अपनी लड़की, नसीम की आशनाई व मुहब्बत के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी और वह भी जानकारी हो गई थी कि वह अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है, इस कारण अजीज व उसके घर वाले मेरे लड़के पर अपनी नसीम के भाग जाने पर काफी रंजिश रखने लगे और सन्देह करने लगे जिसकी जानकारी मेरे लड़के को नहीं थी कि नसीम के भागने का शक मुझ पर रखते हैं। आज करीब 1 बजे दिन में जब कि मैं अपने दरवाजे पर मौजूद था, अजीज अमहद का लड़का, जमाल मेरे दरवाजे पर आया। मेरे लड़के फखरुल हसन से कुछ बातचीत की और मेरे लड़के फखरुल हसन को साथ ले कर चला गया।

चक्की के सामने बसन्त लाल पान वाले की दूकान पर जमशेद अली खां, सुत फयाज अली खां व सूमा, पुत्र ईसा खां मानिकपुर आदि के सामने भी जमाल ने फखरुल से कुछ गुप्त बातचीत की और वहां से करीब 2 बजे दिन में फखरुल को एक साइकिल पर साथ ले पूरब की तरफ चला गया। उसके बाद 3 बजे शाम को मिरचू, पुत्र मोताबदल अहीर सा0 डूल्लाह, थाना मानिकपुर मेरे पास आया और बताया कि आज मैं व मोहन खटिक वल्द मथुरा, खटिक सा0 ऊंचगांव थाना मानिकपुर अपने खेत में मौजूद थे। करीब साढ़े तीन बजे जमाल व फखरुल हसन एक ही साइकिल पर जैसे ही चिगान खां के बैरान बाग के उत्तरी पश्चिमी कोने पर पहुंचे उसी समय अजीज अमहद उर्फ लल्लू तमन्चा लिए

हुए थे जावेद, सुत सज्जादू खां गंडासा जैसी चीज लिए हुए थे व सज्जाद खां, पुत्र कुरैश खां व दो तीन आदमी नाम पता अज्ञात जिनके पास लाठियां थीं, ने फखरुल हसन को घेर लिया और अजीज अहमद उर्फ लल्लू ने तमन्चा से फायर किए। फखरुल हसन चोट खाकर जमीन पर गिर पड़ा। जमाल, सज्जाद व अन्य दो तीन आदमी अज्ञात नाम पता वाले फखरुल हसन को दबायें पड़े थे, और जावेद गन्डासा जैसे हथियार से फखरुल की गर्दन काटने लगे कि मैं व मोहन खटिक खेत से ललकारते व शोर मचाते हुए दौड़े कि हम लोगों का शोर सुनकर कुछ राही भी दौड़े जिनको देख कर उपरोक्त मुलजिमान फखरुल हसन का कटा हुआ सर ले कर पूरब की तरफ भाग गए।

ी अध्यक्ष—

काफी हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से बाअसर माननीय सदस्य हैं जो पुलिस वालों को असर में रख कर इस तरह का कुचक्र चलाते हैं? क्या शासन सी0आई0 डी0 या किसी अन्य जरिए से इसकी जांच करायेगा?

श्री धर्मवीर—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर पुलिस पर किसी का असर नहीं है। वहां पर कड़ी और सख्त कार्यवाही की जा रही है मुल्जिमान के खिलाफ जहां तक भय और आतंक की बात है उनके परिवार की स्त्रियों के प्रार्थना पर ही स्वेच्छा से उन्हें दूसरे मकान में पहुंचा दिया गया है। उनके मकान पर ताला बन्द है और पूर्ण सुरक्षा है।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो वाकया हुआ और उसके सम्बन्ध में जो रिपोर्ट लिखायी गई वह गलत है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि सारी फसल को वहां पर लूटा गया है। नतुला नामक जो दरोगा वहां पर था उसने यह सब किया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे?

श्री धर्मवीर—

मैं जांच करा लूगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री जी ने खुद कहा है कि उन लोगों को दूसरे मकानों पर पहुंचा दिया गया है। माननीय मन्त्री जी ने पुलिस की बड़ी बड़ाई की है। जो लोग उस मकान में एक जमाने से रह रहे थे उनको जब भय हुआ तभी तो उन्होंने दूसरे मकान में जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया। इससे जाहिर होता है कि उनके लिए वहां पर भय था.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस कर रहे हैं। प्रश्न तो आपने किया नहीं। अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, आजमगढ़ द्वारा प्रतिकर का भुगतान

*61—श्री भामी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "दि किसान सहकारी चीनी मिल्स सठियाव, जिला आजमगढ़" के निर्माण के लिए जो भूमि ली गई थी, उसका प्रतिकर अब तक नहीं दिया गया है और जिन काश्तकारों की जमीन ली गई है उनके परिवार के लोगों को

नोट—प्रश्न संख्या 60 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

योग्यता के अनुसार नौकरी में नहीं रखा गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और मिल स्थापना के समय ऐसे किसानों को क्या आश्वासन दिए गए थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 सठियाव, जिला आजमगढ़ के लिए जो भूमि ली गई थी उसके प्रतिकर की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा कर दिया गया है। उक्त सहकारी चीनी मिल में उपलब्ध नौकरियों में उन अधिकांश काश्तकारों के परिवार के लोगों को योग्यतानुसार नौकरी प्रदान कर दी गई है जिनकी जमीन सहकारी चीनी मिल के लिए ली गई थी।

सचिवालय के बुक बाइन्डर व दफ्तरी का वेतन क्रम

*62—श्री जंगबहादुर (जिला आजमगढ़ मेहनगर)—

क्या यह सही है कि वेतन असंगति समिति की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु गठित मन्त्रि-परिषद् की उपसमिति के निर्णय एवं प्रस्ताव में इस बात का निर्णय लिया गया है कि राजकीय मुद्रणालय में कार्य करने वाले बाइन्डरों के लिए 175–250 का वेतन स्केल दिया जाय ? यदि हां, तो क्या सचिवालय में समान कार्य करने वाले बाइन्डरों को यह स्केल देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। चूंकि सचिवालय में बुक बाइन्डर/दफ्तरी पदों के सभी कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की तुलना राजकीय मुद्रणालय के बाइन्डरों से नहीं की जा सकती, अतः उक्त पदों के धारकों को राजकीय मुद्रणालय के बाइन्डरों के समान वेतन-मान दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना मौरावां, उन्नाव के अन्तर्गत नाजायज चावल के ट्रक पकड़े जाने की घटना

*63—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 20 जनवरी, 1976 को थाना मौरावां, जिला उन्नाव की पुलिस ने चोरी से ले जाते हुए चावल के भरे ट्रक पकड़े ? यदि हां, तो चावल किसका था, ट्रक किसके थे और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 20 जनवरी, 1976 को कांस्टेबिल, राम सागर मिश्र व कांस्टेबिल, राम अभिलाष सिंह को ग्राम बछौरा में विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि नूर मोहम्मद निवासी, संजरखेड़ा, थाना मौरावां का ट्रक नं0 यू0टी0टी0 7028 नाजायज चावल लेकर जौनपुर जाने वाला है, अतः उपरोक्त कर्मचारीगण ने गवाहान के साथ ग्राम बछौरा के मोड़ के पास गाड़ाबन्दी करके 4.30 बजे शाम उपरोक्त ट्रक मौरावां कस्बे की ओर से आते हुए पकड़ी। ट्रक पर ट्रक ड्राइवर, मजहर अहमद, निवासी, संजरखेड़ा (ट्रक मालिक का भाई) व व्यापारी, इस्माईल, निवासी, मौजा काजीगढ़ी मौजूद थे। ट्रक रुकते ही इस्माईल भाग गया। ट्रक से 98 बोरा चावल बरामद हुआ। अभियुक्तों के पास चावल जौनपुर ले जाने का कोई आदेश या परमिट नहीं था।

इस सम्बन्ध में कान्स्टेबिल, राम सागर मिश्रा ने थाना मौरावां पर एक अपराध के अन्तर्गत धारा 3/7 ई0सी0 ऐक्ट 114 डी0 आई0 आर0 में पंजीकृत कराया। अभियुक्त मजहर अहमद जो मौके पर गिरफ्तार किया गया, का चालान किया जा चुका है। अभियुक्त, इस्माईल की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है तथा उसके विरुद्ध धारा 82/83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी गई है।

उपरोक्त ट्रक व चालक न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी में दिया जा चुका है।

प्राप्त सूचना के अनुसार पकड़ा गया चावल मजहर अहमद तथा इस्माईल व्यापारी का था व सम्बन्धित ट्रक नूर मोहम्मद, निवासी संजरखेड़ा उन्नाव का है।

सीमान्त जिलों के कैश योजना के कर्मचारी

*64—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिल पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीमान्त जिलों के कोषागारों में कार्यरत कैश कर्मचारियों को शासन द्वारा सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और क्या उनको सरकारी कर्मचारियों के समान सब उपलब्धियां दी जा रही हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम चन्दौर, बांदा में डकैती की घटना

1—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सुल्तान सिंह यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना, बदौसा के अन्तर्गत ग्राम चन्दौर में 22/23 सितम्बर, 1975 को तथा पुन: उसी गांव में 3/4 नवम्बर, 1975 को डकैती पड़ी? यदि हां, तो उन डकैतों में कितनों को अभी तक गिरफ्तार किया जा सका है और उस क्षेत्र की जनता की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बांदा जनपद के थाना, बिदौसा के अन्तर्गत ग्राम चन्दौर के मजरो प्रधान का पुरवा एवं धर्मपुरहा का पुरवा में क्रमश: दिनांक 23/24 सितम्बर, 1975 (22, 23 सितम्बर, 1975 नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) तथा 3/4 नवम्बर, 1975 को डकैती पड़ने की लिखित रिपोर्ट थाना, बदौसा पर प्राप्त हुई जिनके आधार पर मुकदमे दर्ज करके विवेचना शुरू की गई विवेचन से दोनों डकैतियों में शामिल 16 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए जिनमें से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किये गए, 2 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा 1 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। शेष फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु न्यायालय में रिपोर्ट दी गई।

क्षेत्र की जनता की सुरक्षा हेतु एक सशस्त्र पुलिस गार्ड की नियुक्ति की गई थी। अब ग्राम सुरक्षा दल द्वारा गश्त कराया जा रहा है और पुलिस गश्त का भी प्रबन्ध है।

थाना अजगैन के अन्तर्गत पकड़ा गया हथियार बनाने का कारखाना

2—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतलाएगी कि उन्नाव के कोतवाली के कृपाल सिंह ने 27 अक्तूबर, 1975 को थाना अजगैन के अन्तर्गत एक गांव में छापा मारकर हथियार बनाने का कारखाना बरामद किया? यदि हां, तो कारखाने में क्या-क्या सामान बरामद हुआ? इस कारखाने का पता कब और कैसे चला? क्या कोई गिरफ्तारी भी की और इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां

कारखाने में जो सामान बरामद हुआ तथा इस कारखाने का पता कब और कैसे लगा, की सूचना संलग्न है।

अभियुक्त, रामकुमार की पत्नी श्रीमती कृष्णा को दिनांक 27 अक्तूबर, को मौके पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त, राम कुमार से दिनांक 21 नवम्बर, 1975 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया और उसे जेल भेजा गया।

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध संख्या 253, धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया और विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र संख्या 148 दिनांक 7 दिसम्बर; 1975 को न्यायालय में प्रेषित किया गया ? मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

दोनों अभियुक्त जमानत पर हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 342 पर।)

बस्ती के ग्राम इजरगढ़ में हरिजन महिला को मारे-पीटे जाने की घटना

3—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 29 अक्तूबर, 1975 व उसके आस-पास बस्ती जिले के थाना, कलवारी के अन्तर्गत ग्राम इजरगढ़ की 19 वर्षीय हरिजन युवती को उसी गांव के किसी व्यक्ति ने घायल कर दिया ? यदि हां, तो पुलिस रिपोर्ट क्या है तथा सरकार ने मामले में क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ग्राम इजरगढ़, थाना, कलवारी, जिला बस्ती के एक व्यक्ति द्वारा अपने गांव में ही दिनांक 22 अक्तूबर, 1975 को एक 35 वर्षीय हरिजन महिला जिसका नैहर उसी ग्राम में है तथा जो अपने नैहर आई हुई थी, को मार-पीट कर चोटें पहुंचाने की सूचना थाना, कलवारी में दिनांक 23 अक्तूबर, 1975 को प्राप्त हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर धारा 323/504/506 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 343 पर।)

जिला कोषागार, बहराइच के कर्मचारियों का स्थायीकरण

4—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह कृपया बताएगी कि बहराइच जिले के कोषागार में कितने ऐसे अस्थाई कर्मचारी सेवारत हैं, जिनकी सेवायें तीन वर्ष से अधिक से सन्तोषजक रूप में चल रही हैं फिर भी उन्हें शासनादेश होने के बावजूद अभी तक स्थाई घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो स्थाई घोषित न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बहराइच कोषागार की कैश शाखा में केवल ऐसे दो कर्मचारी हैं जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है क्योंकि इनकी अस्थायी तौर पर नियुक्ति के चलते रहन की स्वीकृति वर्षानुवर्ष दी जाती है।

5—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

मसौधा चीनी मिल, फैजाबाद पर बकाया गन्ना मूल्य

6—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि इस समय चीनी मिल मसौधा, जिला फैजाबाद पर किसानों का कितना गन्ना मूल्य अब तक (3-6-75 तक) बकाया है और उक्त बकाए को अदा कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है तथा क्या सरकार उक्त मिल के टेक-ओवर के सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मसौधा चीनी मिल, जनपद फैजाबाद पर दिनांक 1 जून, 1975 की स्थिति के अनुसार कृषकों के गन्ना मूल्य का 26.61 लाख रुपया बाकी था जिसकी अदायगी मिल की मासिक चीनी बिक्री से प्राप्त धनराशि से कराने का प्रयास किया गया। यह धनराशि घटकर दिनांक 29 फरवरी, 1976 को केवल 64 हजार रुपए रह गई है।

इस सन्दर्भ में फिलहाल मिल के टेक ओवर का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।.

7—श्री बाबू लाल वर्मा—

[2रें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 पर उत्तरित।]

8—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

9—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 पर उत्तरित।]

गणेश शुगर मिल, गोरखपुर के फार्मों द्वारा गन्ने की आपूर्ति

10—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गणेश शुगर मिल आनन्द नगर, गोरखपुर के फार्म चेहरी और बागापार, तहसील महराजगंज, जनपद गोरखपुर से उक्त मिल को प्रतिवर्ष कितने कुन्टल गन्ना की सप्लाई होती है तथा गन्ना विकास परिषद्, आनन्दनगर, गोरखपुर को डेवलपमेंट कमीशन में कितनी धनराशि उपर्युक्त फार्म से प्राप्त हुई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गणेश शुगर मिल, जनपद गोरखपुर के चेहरी तथा बागापार फार्मों से विगत पांच वर्षों में उक्त चीनी मिल को निम्नलिखित मात्रा में गन्ना पूर्ति हुई है :—

वर्ष	दोनों फार्मों से गन्ना पूर्ति की मात्रा (कुन्टल में)
1971–72	72,353.33
1972–73	94,981.67
1973–74	65,298.12
1974–75	53,350.16
1975–76	64,272.96

चूंकि उपर्युक्त फार्म चीनी मिल के निजी फार्म हैं और मिल द्वारा यह गन्ना क्रय नहीं किया जाता। अतः नियमानुसार उक्त गन्ना पूर्ति पर विकास कमीशन परिषद् को देय नहीं है।

नैनीताल के सितारगंज जेल कैम्प की भूमि पर की गयी कृषि

11—श्री इन्द्र लाल—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में सितारगंज जेल कैम्प की कुल कितनी एकड़ भूमि कृषि योग्य कितने वर्षों से बंजर पड़ी है और कितने एकड़ भूमि पर कृषि होती है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 344 पर।)

जिला जेल, देवरिया में बन्दी विधायकों को प्रदान की गयी सुविधाएं

12—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला जेल में कितने 'सी' श्रेणी तथा कितने-कितने अन्य श्रेणी के कैदियों के रहने का स्थान है, दिनांक 16 मई, 1975 को कैदियों की संख्या कितनी थी और उनको किस प्रकार देवरिया जिला जेल में रखा गया? मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 मई, 1975 को देवरिया जिला जेल में कितने विधायक तथा एम0एल0सी0 जेल में थे और उनकी रहने की क्या व्यवस्था की गई थी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

(क) जिला जेल, देवरिया में 299 बन्दियों के रहने के लिए स्थान है। उच्च श्रेणी के बन्दियों के लिए कोई अलग से स्थान नहीं है।

(ख) दिनांक 16 मई, 1975 को जेल में बन्दियों की संख्या 373 थी। इन सबको बैरिकों में रखा गया था।

(ग) दिनांक 16 मई, 1975 को जिला जेल, देवरिया में चार विधान सभा के सदस्य और एक विधान परिषद् के सदस्य परिरुद्ध थे, जिन्हें अलग से एक एसोसिएशन बैरिक में रखा गया था। यथानियम उच्च श्रेणी के बंदियों की सुविधा दी गई थी।

थाना माधोगढ़, जालौन में ऊंचा गांव निवासी श्री दया शंकर द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

13—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जालौन के ग्राम ऊंचा, निवासी, निरपत हरिजन की थानाध्यक्ष, माधोगढ़ ने हाल ही में जबरन खलिहान से पूरी फसल उठा ली थी? यदि हां, तो क्या उस हरिजन की फसल को वापस दिला दिया गया तथा उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की गई? और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद जालौन के ग्राम ऊंचा के निवासी श्री दया शंकर ने दिनांक 23 मार्च, 1975 को थाना माधोगढ़ पर इस आशय की एक लिखित सूचना दी कि सर्वश्री नृपति, छोटे, सीताराम व शहतू, निवासीगण, ग्राम ऊंचा, मौजा गालमपुरा स्थित बादी के खेत नं0 309 तथा खेत नं0 310 से लगभग 2 हजार रुपए मूल्य की गेहूं व लाही की फसल अमुक गवाहों की उपस्थिति में काटकर उठा ले गए। इस सूचना के आधार पर थाना, माधोगढ़ पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 379, भारतीय दंड विधान कायम करके थानाध्यक्ष, माधोगढ़ द्वारा विवेचना शुरू की गई। प्रारम्भिक विवेचना में थानाध्यक्ष के समक्ष गवाहों ने अपने बयानों में प्रथम सूचना का समर्थन किया और उनकी निशानदेही पर थानाध्यक्ष ने प्रथम सूचना में उल्लिखित चोरी की गई फसल को श्री नृपति के खलिहान से बरामद किया तथा श्री रन्धीर सिंह, निवासी महराजपुर, थाना, माधोगढ़ की सुपुर्दगी में दे दिया।

अग्रिम विवेचना से यह पाया गया कि उक्त फसल खेत नं0 310 के उस भाग से काटी गई थी जो नृपति के कब्जे में है, अत: चोरी का आरोप सही नहीं पाया गया। विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई तथा सुपुर्दगी में दी गई फसल श्री नृपति को वापस करने के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त किए गए। श्री नृपति को फसल वापस कराने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष, माधोगढ़ बराबर प्रयत्नशील हैं परन्तु किन्हीं कारणों से श्री नृपति फसल वापस लेने के लिए इस समय तैयार नहीं है।

वादी तथा प्रतिवादी के खेतों के बीच हदबन्दी न होने के कारण काटी गई फसल विवादग्रस्त थी। इस सम्बन्ध में धारा 145 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के कारण थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में बकाया बिक्रीकर की वसूली

14—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 जून, 1975 को राज्य में बिक्री-कर की कितनी धनराशि वसूल करनी बाकी थी और उसमें से 15 जनवरी, 1976 तक कितनी राशि वसूल की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 30 जून, 1975 को वसूली योग्य बकाया 38.78 करोड़ रुपए था। 31 जनवरी, 1976 तक 2.79 करोड़ रुपए का बकाया वसूल किया गया। इन आंकड़ों का परिनिश्चिय माह की अन्तिम तिथि को ही किया जाता है ।

सब इन्सपेक्टर पुलिस पद के लिये जालौन से चुने गये अभ्यर्थी

15—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विगत वर्ष की थानेदारी की परीक्षा एवं चुनाव में जिला जालौन से तीन उम्मीदवार चुने गए थे ? अन्त में उन दो उम्मीवदारों को लिया गया जिनके परिवार के यहां पुलिस अधिकारी थे, और एक हरिजन को नहीं लिया गया जो चुनाव में अन्त तक सफल रहा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1975 में सब इन्सपेक्टर पद पर प्रशिक्षण हेतु सीधी भर्ती में जिला जालौन से सात अभ्यर्थी जिन में तीन अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के थे, साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किए गए थे। साक्षात्कार के उपरान्त केवल दो अभ्यर्थी अन्तिम रूप से चुने गए जिन में अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं आ सका । चुने गए दो अभ्यर्थियों में से केवल एक अभ्यर्थी के चाचाजात भाई उक्त जिले में हेड कांस्टेबिल के पद पर नियुक्त हैं।

सचिवालय के टंककों का स्थायीकरण

16—श्री रघुनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में 1 फरवरी, 1976 को टंकक के कितने स्थायी पद हैं और उन पदों पर अब तक कितने टंकक स्थायी हो चुके हैं? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 1 फरवरी, 1976 को उत्तर प्रदेश सचिवालय में उर्दू टंककों के दो पदों को सम्मिलित करते हुए टंककों के कुल 234 स्थायी पद थे । इन पदों के विरुद्ध अब तक 207 टंकक स्थायी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 4 टंकक परिवीक्षा पर रखे गए हैं। स्थायी तथा परिवीक्षा पर रखे गए टंककों की †सूची संलग्न है ।

प्रदेश में महिलाओं की हत्या तथा आत्म हत्या की घटनाएं

17—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1975 में प्रदेश में कितनी महिलाओं ने आत्महत्या की तथा कितनी महिलाओं की हत्या की गई ? क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस महिला वर्ष में कितनी आत्म हत्या की घटनायें सन्देहात्मक परिस्थिति में हुईं और पुलिस ने इनमें जांच की ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री नारायण दत्त तिवारी ---

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में वर्ष 1975 में 1261 महिलाओं ने आत्महत्या की तथा 656 महलिाओं की हत्या की गयी। महिला वर्ष (1975) में महिलाओं की आत्महत्या की 242 घटनायें सन्देहात्मक परिस्थितियों में हुईं, जिनकी पुलिस ने जांच की।

18—श्री राम अधार—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

19—श्री राम अधार—

[12वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

20—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[5वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 पर उत्तरित।]

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति 1975–76 का आठवां प्रतिवेदन

***श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—**

अध्यक्ष जी, मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश, षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975-76) का आठवां. प्रतिवेदन, जो सिचाई विभाग के अन्तर्गत 'राजकीय नलकूपों' से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अतः खाद्यान्नों की पैदावार में आत्मनिर्भर होने एवं किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए सिचन साधनों के सम्यक् प्रसार की आवश्यकता निर्विवाद है। इस उद्देश्य से प्रदेश के सिचाई के साधनों का अन्यतम साधन "राजकीय नलकूप" से सम्बन्धित प्राक्कलनों के परीक्षण का निश्चय 1974-75 की समिति द्वारा किया गया था और एतदुद्देश्य से समिति की ओर से दिनांक 1 अक्तूबर, 1974 को एक प्रश्नावली सिचाई विभाग को भेजी गयी। प्राप्त उत्तरों पर विचारोपरान्त विभाग को पुन: अनुपूरक प्रश्नावलियां भेजी गईं तथा दिनांक 21 जनवरी, 1975 की समिति की बैठक में विभागीय सचिव को कुछ विन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु, साक्ष्य हेतु बुलाया गया।

राजकीय नलकूपों के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से समिति ने दिनांक 4 फरवरी से 7 फरवरी, 1973 तक प्रदेश के कतिपय पश्चिमी जिलों के कुछ कूपों का निरीक्षण भी किया। समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य, विभाग द्वारा समिति को उपलब्ध की गई प्रासंगिक सूचनायें तथा उल्लिखित निरीक्षण के आधार पर प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया गया।

दिनांक 26 फरवरी, 1976 की बैठक में समिति ने प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया।

इस प्रतिवेदन में राजकीय नलकूपों की स्थिति, उनमें तथा सिंचन सुविधा में सुधार, ट्रान्सफारमर की चोरियों को रोकने आदि पर महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कतिपय संस्तुतियां की गई हैं। उदाहरणार्थ, शासकीय घोषित नीति के अनुसार पिछड़े अथवा सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में नलकूपों की संख्या में वृद्धि न किए जाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरवीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

पर समिति को आश्चर्य है। समिति ने संस्तुति की है कि ऐसे क्षेत्रों में नलकूपों की संख्या वृद्धि की जाय तथा निर्माणोपरान्त उन्हें यथाशीघ्र चालू करने की व्यवस्था भी की जाय। बोल्टेज की कमी को दूर करने के लिए समिति ने "बोल्टेज बूस्टर" लगाए जाने का सुझाव दिया है। इससे व्यय में भी कमी होगी। ट्रान्सफारमर की बढ़ती हुई चोरियों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए समिति ने शासन से इन्हें रोकने हेतु ठोस उपाय लागू करने का आग्रह करते हुए कतिपय सुझाव दिए, जैसे ग्राम के पास ही भविष्य म नलकूपों का लगाया जाना, वर्तमान नलकूपों के ट्रान्सफारमर को गांवों में स्थानान्तरित करना आदि। समिति ने सिंचाई कर्मशालाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने, सिंचाई की गूलों और नालियों की सम्यक् मरम्मत और रख-रखाव तथा भूमिगत सीमेन्ट -कंक्रीट पाइप लाइनों द्वारा सिंचन सुविधा के विस्तार के लिए संस्तुतियां की हैं। साथ ही समिति ने इस बात पर असन्तोष प्रकट किया है कि राज्य में भूगर्भ-जल सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1970 में होने के उपरान्त भी प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्रों, जहां कि नलकूपों की अत्यधिक आवश्यकता थी, 1975 तक सर्वेक्षण नहीं कराया गया था।

मैं समिति की ओर से सचिव, सिंचाई विभाग तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समिति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध तथा वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराने में अपना सहयोग दिया।

अन्त में, मैं श्री सत्यप्रिय सिंह, सचिव, विधान सभा तथा सचिवालय के सम्बन्धित समिति अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रति भी समिति की ओर से आभार प्रकट करता हूं जिनके परिश्रम और सहयोग से यह प्रतिवेदन तैयार किया गया।

श्री डी० पी० वरुण के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति के सदस्यों पर कथित दबाव डालने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय काशी नाथ मिश्र ने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। उनका कहना है कि श्री डी० पी० वरुण, जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट है, वह माननीय सदस्यों से मिल कर उनको प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि श्री आर० के० गर्ग के पास और गर्ग साहब ने पत्र भी लिखा है। वह पत्र मेरे पास अभी नहीं आया, इसलिए आज कोई निर्णय नहीं दे सकता हूं। कल लेंगे। आपने जिस पत्र का हवाला दिया है, वह उपाध्यक्ष को गया होगा। श्री गर्ग का पत्र मेरे पास नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

माननीय गर्ग ने स्वयं मुझ से कहा। मैंने उनसे कहा कि आप अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति के पास पत्र भेज दें।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, लिखा होगा। उपाध्यक्ष के पास होगी मेरे पास वह चिट्ठी अभी नहीं है। मेरे पास आयेगी, तभी उस पर कार्यवाही होगी।

माडर्न बेकरीज इन्डिया लिमिटेड, कानपुर द्वारा निर्मित डबल रोटी के निर्धारित वजन में कमी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

माननीय सर्व श्री श्याम मिश्रा, एवं ओम प्रकाश गुप्ता, सदस्यगण, विधान सभा ने यह शिकायत की है कि माडर्न बेकरीज लिमिटेड, कानपुर द्वारा उत्पादित 400 ग्राम की

माडर्न ब्रेड की तौल कम है। इस सूचना के प्राप्त होते ही नियन्त्रक, बाट तथा माप, उत्तर प्रदेश को यह आदेश दिया गया कि वे कानपुर तथा लखनऊ में माडर्न ब्रेड के कुछ पैकेटों की जांच करें। जांच के पश्चात्, नियन्त्रक, बांट तथा माप ने अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत कर दी है और पैकेज में रखी गयी वस्तु (विनियमन) आदेश, 1975 के प्राविधानों के अनुसार उसे केन्द्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, प्रश्न यह था कि जो डबल रोटी है वह 400 ग्राम से कम है और उसको आप भारत सरकार को भेज रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया प्रश्न यह था कि क्या यह सही नहीं है कि माडर्न बेकरीज जो डबलरोटी बना रही है उनका तौल चार सौ ग्राम से कम पाया गया।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो पैकेज कमोडिटीज रेगुलेशन आर्डर, 1975 है उसके अनुसार 6 प्रतिशत कम या ज्यादा परमिसिबल है। इसमें यह जो जांच हुई इसमें रोटी कम पाई गई उसके लिए भारत सरकार के डायरेक्टर वेट्स एन्ड मेजर्स हैं, उनके पास रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस पर वही कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो आख्या आई है वह क्या है? दूसरा यह कि जो रोटी में मोइसचर में जो घटौती और बढ़ोत्तरी होती है वह 5, 6 परसेंट-एलाउड है। लेकिन मैंने जो रोटी पेश की है आपको अध्यक्ष जी सदन में वह 330 और 340 ग्राम की है। तो पांच परसेंट के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम घटना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है माननीय सदस्य जो कह रहे हैं। 330 और 340 ग्राम के बीच में ह।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने तो निवेदन किया कि उसमें 6 परसेन्ट एलाउड है कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसमें जो कमी पाई गई 6 परसेन्ट से अधिक पाई गई इसीलिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

श्री श्याम मिश्रा—

मान्यवर, अगर कोई सब्जी वाला कम सब्जी तौल दे तो उत्तर प्रदेश का दरोगा उसे डी0 आई0 आर0 में धर देता है, और माडर्न बेकरी की रोटी कम पाई गई तो उसे भारत सरकार को भेज रहे हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर क्या कर रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह भारत सरकार का कन्सर्न है, भारत सरकार की अनुमति के बिना हम किसी कार्यवाही को नहीं कर सकते हैं।

श्री श्याम मिश्रा—

कोई बेकरी कोई गलत कार्य करेगी, तो क्या बिना भारत सरकार की अनुमति के उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

रोटियों का वजन क्या पाया गया?

श्री अध्यक्ष—

यह हो चुका है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसके बारे में भारत सरकार की अनुमति लेने की बात को मन्त्री जी ने कहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर भारत सरकार की कोई अन्डरटेकिंग कोई ठगी का व्यापार चलाती है तो क्या मन्त्री जी सम्बन्धित अधिकारियों को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते? उनको पैकेज में रखी गई वस्तु (विनियमन) आदेश, 1975 में सीधे डी0 आई0 आर0 में क्यों नहीं बन्द कराया? इसमें तो जांच में कानून का उल्लंघन सिद्ध हो गया था।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पैकेज में रखी गई वस्तु (विनियमन) आदेश, 1975 के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है, उससे बाहर उत्तर प्रदेश की सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि उनमें कम तौल पाई गई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने सेम्पुल्स आप न लिए ह? और क्या सभी सेम्पुल्स में यह रोटियां कम पाई गई हैं? और क्या इस नियम में यह भी प्राविधान है कि ऐसे मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्यवाही करने या मुकदमा चलाने के लिए सक्षम नहीं है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह ठीक है कि रोटियों के सेम्पुल लिए गए, उनको तौला गया तो रोटियां कम पाई गईं और इसलिए भारत सरकार को रिपोर्ट की गई।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कुछ में कमी पायी गई या सबमें पाई गई?

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न पूछना चाहिए वह तो आप पूछते नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मन्त्री जी ने सेन्टर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा है तो क्या इस आदेश में ऐसा प्राविधान है कि पैकेज में तौल कम है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, केवल भारत सरकार करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जांच के बाद नियमानुसार यहां से जांच रिपोर्ट डाइरेक्टर, वेट्स ऐन्ड मेजर्स, भारत सरकार के पास भेजेंगे, आदेश में यह प्राविधान है और फिर उसे डाइरेक्टर, वेट्स एण्ड मेजर्स ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, भारत सरकार के पास भेजेंगे और वहीं से आदेश होंगे।

श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार को जानकारी है कि मार्डन बेकरी के मैनजर आर0 एस0 एस0 के मेम्बर हैं?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री श्याम मिश्रा—

अगर कोई और अन्डर टेकिंग ज्यादा कीमत लेकर कम वजन की तौल कर दे, तो आपके यहां से इस नियम के अन्तर्गत लिखकर भारत सरकार को कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

चूंकि यह भारत सरकार की अन्डर टेकिंग है और भारत सरकार के द्वारा यह माडर्न बेकरी चलाई जाती है, इसलिए जरूरी है कि भारत सरकार की नोटिस में जो अनियमितताएं है, उनको लाया जाए। (व्यवधान)

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

केन्द्र सरकार का कोई व्यक्ति किसी स्टेट में रह कर कोई अपराध करे या किसी प्रदेश सरकार में रह कर कोई अपराध करे, इसका फर्क क्या पड़ता है? इन दोनों में अन्तर क्या है? विवेचना में इसका अन्तर कैसे हो सकता है। कोई फैक्टरी इस प्रकार की गैर-कानूनी कार्यवाही करती है, तो चाहे जिसकी वह हो, उसके जिम्मेदार व्यक्तियों को डी0 आई0 आर0 में बन्द किया जा सकता है, तो आपने यह रूल यहां क्यों नहीं लागू किया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं, कार्यवाही की रिपोर्ट भारत सरकार के पास भेजी जा रही है। उससे ही आदेश होंगे, तब उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय श्रीशचन्द्र ने पूछा कि क्या ऐसे मामले पर डी0 आई0 आर0 लागू हो सकता है अथवा नहीं और क्या कोई विभेदमूलक व्यवहार हो सकता है कि यह पब्लिक अन्डरटेकिंग है और केन्द्र द्वारा संचालित है और कोई पब्लिक अन्डरटेकिंग राज्य द्वारा है, यह प्रश्न है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो नियत अधिकारी है, कार्यवाही करने के, वह चाहें डी0 आई0 आर0 में बन्द करें, चाहें मीसा में करें, वह अधिकार उनके पास है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह था कि क्या माननीय मन्त्री जी को विदित है कि डी0 आई0 आर0 के अधीन पूरे अधिकार जो कम तौल के हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है? यदि हां, तो कानूनी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो अधिकारी जिसको यह अधिकार प्राप्त है, कानूनी कार्यवाही करने का आदेश वही तो करेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेगी खड़े ह। आप पूछें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात का ज्ञान है कि डी0 आई0 आर0 के अधीन जो तौल से कम तौलते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, यदि हां, तो वे अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ आपने क्यों नहीं कार्यवाही की?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इस प्रश्न को और देख लिया जायगा, कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है?

श्री श्याम मिश्रा—

मान्यवर, यह सरकार डी0 आई0 आर0 चलाने के लिए सक्षम है।

श्री अध्यक्ष—

आपने गलत बात कह दिया। मैं तो यहां काष्ठवत हूं।

श्री श्याम मिश्र—

मान्यवर, छोटे आदमियों के खिलाफ डी0 आई0 आर0 चलाने के लिए यह सरकार सक्षम है, बड़े आदमियों के खिलाफ भारत सरकार को लिखा जा रहा है। यह कोई अच्छी बात नहीं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने जवाब में कहा कि इसको हम देखेंगे।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा उन्होंने कहा कि भारत सरकार को वह लिखे हैं, तो क्या उसके साथ आपने कोई संस्तुति भी भेजी है कि इसमें गलती है इस चीज में, और उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, आपने कोई संस्तुति वहां की है या वहां से कोई आदेश लेने का कुछ प्रयास किया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो अनियमितताएं पाई गई हैं, उसके सन्दर्भ में लिखा जा रहा है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

सवाल अब हो चुके।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 345–355 पर)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976

गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "छ", आगे पृष्ठ 356–360 पर।)

1976--77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 57-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथाअनुदान संख्या 82--बहु प्रयोजनीय, नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

*सिंचाई मन्त्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 माच, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,30,62,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,40,56,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,14,49,82,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82--बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,85,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश में 85 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है और आज भी हमारे प्रदेश में चौथी पंच-वर्षीय योजना के बीत जाने के उपरान्त और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 2 वर्ष बीत जाने के बाद सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 23 प्रतिशत से ऊपर ही कुल सिंचाई की क्षमता उपलब्ध कर सका। अगर इसमें निजी साधनों को भी मिला लिया जाय तो प्रदेश में सिंचाई की क्षमता 40 प्रतिशत है। इस प्रकार से 60 प्रतिशत भूमि जिस पर कृषि होती है, आज भी असिंचित है। प्रधान मन्त्री जी ने अपने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में यह सिफारिश की है कि प्रति वर्ष 55 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता में वृद्धि की जाय और उत्तर प्रदेश शासन यह प्रयास कर रहा है कि 27 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता की वृद्धि की जाय। इसके अन्तर्गत कुछ कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। इस समय हमारे प्रदेश में 3 बड़ी योजनाएं चल रही हैं। शारदा सहायक परियोजना जो सम्भवत: हमारे देश की सबसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लोकपति]

बड़ी सिंचाई योजना है, इसके बाद रामगंगा की परियोजना चल रही है, गन्डक की परियोजना चल रही है। हमारा प्रयास यह है कि इस वर्ष इन सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से जो सिचन क्षमता उपलब्ध हुई है उसका सदुपयोग खेतों तक पानी पहुंचा कर करें और 1976-77 में इससे साढ़े तीन लाख हेक्टेयर अधिक सिंचाई की व्यवस्था कर सकें।

इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में मध्यम वर्ग की छोटी सिंचाई की योजना, जैसी कि कोसी की सिंचाई योजना है, बुन्देलखंड में मौदहा की है, शाहजहांपुर की है मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में बैलोन डाइवर्जन की सिंचाई योजना है---इन सबसे सिंचन क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश में जो लिफ्ट कैनाल की योजना में हैं, जैसे डलमऊ पम्पनहर, नारायणपुर पम्पनहर, सोन पम्प नहर और जमुना पर हमारी किशनपुर पम्पनहर, जमुना पम्प नहर, इनसे भी सिंचाई की क्षमता बढ़ाए जाने का प्रयास है। इस वर्ष डलमऊ की पम्प नहर की क्षमता दूनी हो रही है, नारायणपुर की भी बढ़ रही है। देवकली पम्प नहर से खरीफ में सिंचाई उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार से जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश शासन ने आगामी (इस) वर्ष की खरीफ के लिए एक त्वरित योजना का कार्यक्रम चलाया था। जिसके अन्तर्गत एक लाख हेक्टेयर अधिक सिंचन की व्यवस्था खरीफ में नहरों और नलकूपों के माध्यम से कराने का प्रयास हो रहा है। हमारे 2,300 से अधिक नलकूप जो विगत वर्षों में अभी तक 1973-74 और 1974-75 में बने थे, अर्थाभाव के कारण उनसे सिंचाई की उपलब्धि नहीं हो रही है। उनको इस वर्ष चालू करने का प्रयास किया गया और यह किया गया कि उनके कमान्ड एरिया में गूलों का निर्माण करा दिया जाय और इससे यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि नल-कूपों के माध्यम से लगभग 60 हजार हेक्टेयर---जोकि 234 नलकूप हैं---खरीफ के लिए अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की जाय।

साथ ही साथ जो हमारी तीनों बड़ी परियोजनाएं हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर नहर उपलब्ध रही लेकिन नहर के किनारे के ही भू-भाग असिंचित रह जाते थे उनमें नए गूलों, नए माइनरों का निर्माण करा कर, नहरों का रि-माडेलिंग कराकर 40 हजार हेक्टेयर खरीफ के लिए सिंचाई की व्यवस्था करा दी जाय। यह अलग से है। इस पर कार्यवाही हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि 30 जून, 1976 तक सब खरीफ की बुवाई शुरू होगी, इन नलकूपों और नहरों के माध्यम से हम अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था 1 लाख हेक्टेयर की करा सकेंगे। हमारे क्षेत्रों में कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स में नहरें हैं, जैसे जमुना नहर है, आगरा की नहर है, माठ ब्रांच है, बुलन्दशहर की नहरें हैं और बस्ती जिले में एक बान गंगा योजना बनी थी उसकी नहर हैं। बानगंगा की नहर पर नैपाल ने अपना बांध बना लिया है। उस परियोजना में तो इस वर्ष प्रयास किया जा रहा है कि इन नहरों में नलकूपों के माध्यम से पानी की क्षमता बढ़ा कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दें। इसके लिये शासकीय साधन पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य के लिए नहरों में पानी बढ़ाने के लिए एक नलकूप निगम की स्थापना की जाय और वह निगम इस वर्ष स्थापित हो जायगा तो, बहुत शीघ्र और इस निगम को यह कार्य दिया गया है कि 500 नलकूप हमारे इन नहरी क्षेत्रों में वर्ष 1976-77 के दौरान वह बनाए।

इसी के साथ, जैसा सदन को विदित है, 1975-76 में अर्थाभाव के कारण पूरे प्रदेश में कुल 80 नलकूपों का निर्माण हो पाया था। नलकूपों की कमी के कारण हमारी कृषि की प्रगति में बाधा पड़ी। इस वर्ष विशेष कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत नलकूपों के बनाने का एक अभियान सा चलाया जा रहा है और योजना के अन्तर्गत, पूरे प्रदेश में 400 नलकूप बनाए जाएंगे। ये नलकूप जिला सिंचाई समितियों के माध्यम से बनाए जायेंगे। इसके अलावा विशेष योजना के अन्तर्गत, जैसे बहुत से जिलों में नलकूपों की संख्या अधिक है, लेकिन वह

भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां नलकूप नहीं लग पाए हैं, हमारे क्षेत्र में भी ऐसे स्थान हैं जहां नलकूप नहीं लग पाए हैं। तो जो इस तरह के जो हमारे विशेष पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जिसको रीजनल इम्बैलेन्स कहते हैं, उसको दूर करने के लिए एक अभियान सा चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सारे प्रदेश में 1448 नलकूप अतिरिक्त लगाए जायेंगे। ये उन नलकूपों के अलावा होंगे जो योजना के अन्तर्गत हैं।

इसके अलावा हमारे प्रदेश में चीनी मिलों और विशेषकर सहकारी चीनी मिलें और वह चीनी मिलें जो पूर्वी अंचल में लगी हैं, जैसे गाजीपुर की नन्दगंज चीनी मिल, बलिया की रसड़ा चीनी मिल, आजमगढ़ में सठियांव चीनी मिल और बनारस में औराई चीनी मिल, औराई की चीनी मिल में लगभग 2 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है, तो यह भी प्रयास किया गया है कि जो नयी चीनी मिलें लग रही हैं इनमें भी कुछ नलकूप अलग से दिए जायं। तो सहकारी चीनी मिलों में 200 नलकूप, 50 नलकूप प्रति सहकारी चीनी मिल अलग से दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रदेश की सिक शुगर फैक्टरीज हैं जिनका अधिग्रहण शासन ने कर लिया है लेकिन गन्ने की कमी के कारण जबसे उनका अधिग्रहण किया गया है, प्रति वर्ष शासन को उनसे हानि हो रही है और हमारे उस क्षेत्र के किसान और मजदूरों को भुगतान में भी विलम्ब हो रहा है, तो इन सिक चीनी मिलों के क्षेत्र में भी तथा अन्य चीनी मिलें जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां 150 नलकूप अलग से इस वर्ष लगाने का प्राविधान किया गया है।

हमेशा इस सदन में कहा गया है कि नलकूपों से शासन को घाटा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मन्त्रि-परिषद् ने मन्त्रियों की एक उप-समिति बनायी जिसने बहुत गहराई से इसके कारणों की जानकारी के लिए कई बैठकें कीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला गया कि नलकूपों के माध्यम से जो सिंचाई होती है उसका रेट बहुत अधिक पड़ता है। यही कारण है कि हमारे नलकूप घाटे की ओर जा रहे हैं। तो यह निर्णय लिया गया कि नलकूपों से सिंचाई की भी एक दर निश्चित कर दी जाय। अभी तक नलकूपों से घंटेवार सिंचाई होती थी। अब यह निर्णय लिया गया कि खरीफ और रबी, इन दोनों फसलों के लिए 40 रुपए प्रति एकड़, आलू के लिए 50 रुपए प्रति एकड़, गन्ने के लिए जो पहले 80 रुपए थे उसको घटाकर 60 रुपए कर दिया गया है। अब चूंकि नलकूप 300 एकड़ के अन्तर्गत ही सिंचाई करेंगे और इसी में वह अपनी सिंचन क्षमता बढ़ायेंगे।

इसलिए 20 रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ नलकूप का कमान्ड चार्ज लगा दिया गया है और धीरे-धीरे हम नलकूप के क्षेत्र के अन्तर्गत पूरी नालियों पर कमान्ड रेट लगाकर पूरे 300 एकड़ के अन्तर्गत पक्की नालियों की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। यह शिकायत की जाती है कि नालियों और गूल के निर्माण में अनियमितायें होती हैं। यह भी विचार किया जा रहा है कि जो भी नए नलकूप बनें उनमें जमीन के अन्दर पाइप लाइन बिछाई जाए ताकि किसानों की भूमि न जाय और अनियमितता भी न होने पाए। इस वर्ष हमारे प्रदेश के लिए कोई नयी योजन उपलब्ध नहीं हुई है। टेहरी बांध की योजना जो पहले स्वीकार हुई थी उस पर भी काम धनाभाव के कारण आरम्भ नहीं हो पाया था। केन्द्रीय सरकार ने दो योजनायें चालू करने के आदेश दिए हैं—एक तो यह पुरानी वाली टिहरी डैम की योजना तथा दूसरी लखवार व्यासी योजना। इन दोनों पर कार्य शुरू होगा। इन दोनों योजनाओं के पूर्ण होने के बाद प्रदेश को लगभग 1400 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो जाएगी।

[श्री लोकपति]

बाढ़ की समस्या बहुत विकट है। प्रदेश में सारी बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बाढ़, मुख्यता गंगा, जमुना, घाघरा, गन्डक, राप्ती आदि नदियों में आती है। गन्डक, राप्ती, घाघरा आदि सारी नदियां नैपाल से आती हैं। भारत सरकार और नैपाल के बीच बातचीत चल रही है और ऐसा आभास हो चला है कि इन तीनों नदियों पर नैपाल और भारत सरकार की मदद से आने वाले वर्षों में बांधों का निर्माण हो सकेगा। करनाली, पंचेश्वर और जलकुन्डी पर बांध के निर्माण होने से बाढ़ सें कुछ कमी हो सकेगी। इस वर्ष के लिए भारत सरकार ने 6 करोड़ रुपया दिया है। हम लोगों ने प्रयास किया है और ऐसा आश्वासन मिला है कि 3 करोड़ रुपया और मिल जाएगा।

कई वर्षों से जमुना के कटाव की भी बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में हरियाणा की सरहद के पास अधिक कटाव होने लगा है। हरियाणा की तरफ उन्होंने बांध का निर्माण कर लिया है। इसलिए इधर अधिक कटाव होने लगा है। जो यह 3 करोड़ रुपया मिलेगा इसमें से हम 1 करोड़ इस कटाव को रोकने में खर्च करेंगे और उसका अधिकांश कार्य हम 30 जून तक पूरा करा लेंगे। और दो करोड़ रुपए से हम प्राविधान कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कई छोटी-छोटी नदियां हैं, सई, गोमती, तमसा, आदि जिनका वर्णन हमारे सम्मानित सदस्यों ने अपनी मन्डलीय बैठकों में और इस सदन में भी किया है, उनकी बाढ़ रोकने पर एक करोड़ रुपया खर्चा हो। एक और अपनी योजना गंगा और घाघरा नदियों से बाढ़ रोकने की चल रही है, उस पर एक करोड़ रुपया खर्च होगा।

गोरखपुर में नारायणी नदी के छितौनी के कटान की बात है। वहां रेलवे का एक पुल है। उस पुल का निर्माण अगर रेलवे शुरू करे तो वहां देवरिया जिले में नारायणी के कटाव से जो प्रदेश को हानि होती है वह रुक जावे और इस प्रदेश को राहत मिले। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग और रेलवे मन्त्रालय मिल कर 6 करोड़ की एक योजना बना रहा है जिसमें डेढ़ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को देना है डेढ़ करोड़ रुपया बिहार सरकार को देना है और 3 करोड़ रुपया रेलवे मन्त्रालय को देना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी तरफ से डेढ़ करोड़ रुपया रेलवे मन्त्रालय को देने की बात करीब-करीब तय हो चुकी है। और रेलवे मन्त्रालय से उसने अनुरोध किया है कि यदि बिहार अपनी तरफ का हिस्सा नहीं बनाता है तो हम जो रुपया देते हैं, हमारी तरफ के हिस्से का निर्माण कार्य वह प्रारम्भ कर दे।

उत्तर प्रदेश में हमारे यहां हर साल बाढ़ और सूखे का प्रकोप रहता है। टेहरी-लकवार योजना तैयार हो जाने पर और नैपाल सरकार से भारत सरकार की बातचीत होने पर समझौते के अनुसार बन्धा बन जाने पर प्रदेश और देश को बिजली भी मिलेगी और बाढ़ भी रुकेगी। अब सूखे की समस्या रह गयी, इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारी जो सिंचाई की नहरें चल रही हैं या प्रायोजना में बनने वाली हैं, उन सब को एक दूसरे से जोड़ दिया जाय ताकि इस प्रदेश में भविष्य में सूखे का अन्देशा न रहे। गंगा यमुना नहर की योजना को जोड़ने का प्रयास है, मिर्जापुर में भी कुछ नदियां हैं, बुन्देलखंड में भी दो तीन बन्धों का निर्माण हो रहा है। राजघाट कन्ट्रोल बोर्ड बनने की बात संसद में तय हो चुकी है। महोदय, शाहजाद बांध, उर्मिल बांध है और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कुछ बन्धों का निर्माण हो रहा है। हमारा प्रयास है कि पुरानी नहरें जो प्रदेश की हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाय ताकि अगर किसी क्षेत्र में सूखा पड़े और किसी क्षेत्र में जल उपलब्ध हो तो उस क्षेत्र का जल सूखाग्रस्त क्षेत्र में भेजा जा सके।

इसी तरह से मध्य प्रदेश में बानसागर योजना बन रही है। बानसागर योजना के बन जाने पर मेरा विश्वास है कि आने वाले 8 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश को लगभग 5 हजार क्यूसेक्स जल मिलन लगेगा। इससे सारे मिर्जापुर और इलाहाबाद जनपद के पठारी

भाग को, तथा चकिया–चन्दौली तहसील को यह जल उपलब्ध हो सकेगा। सोन पम्प नहर की योजना भी चल रही है। इस प्रदेश में एक और योजना बेलन नदी की भारत सरकार ने स्वीकार की है। बेलन नदी को घुमाकर एक दूसरी नदी से मिलाकर पानी दें, तो एक जल ग्रिड बनाने की बात पर विचार हो रहा है। नहरों में पानी दिया जाय और बड़ी-बड़ी योजनाओं को एक दूसरे से सम्बद्ध कर दिया जाय ताकि पानी की कमी न रहे। प्रदेश को सिंचित क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रदेश को सूखे से बचाने के लिए जल ग्रिड बनाने का प्रयास किया जाय, इस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो रहा है और सर्वेक्षण भी चालू है।

इस प्रदेश में खरीफ की फसल बढ़ाने के लिए श्रीमन्, गंगा नहर पर एक समानान्तर गंगा नहर और मध्य गंगा नहर, इन दो योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा है। इन दोनों नहरों पर निर्माण कार्य में लगभग 110 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इस वर्ष इस कार्य को आरम्भ किया जा रहा है। खरीफ के दिनों में, गंगा में बाढ़ का पानी जो अतिरिक्त आता है इन नहरों के माध्यम से उस पानी का उपयोग हो सकेगा। इसी तरह से इस प्रदेश में जितने नलकूप हैं हर नलकूप पर यह प्रयास किया जा रहा है कि 60 एकड़ धान की फसल पैदा की जाय। साथ ही साथ बेतवा नहर के अन्दर जो क्षेत्र पड़ता है वहां धान की फसल को बढ़ाया जाय। यह लक्ष्य रखा गया है कि रबी और खरीफ की फसल को मिलाकर, 7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता की व्यवस्था की जाय।

श्रीमन्, सदन को एक और सूचना देना चाहता हूं कि पहली पंच-वर्षीय योजना, दूसरी पंच-वर्षीय योजना तीसरी पंच-वर्षीय योजना, चौथी पंच-वर्षीय योजना, किसी भी पंच-वर्षीय योजना काल में एक वर्ष में इतनी अधिक सिंचन क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं हुआ और न बढ़ाया जा सका। इसका कारण था कि जितनी सिंचन क्षमता हमारे प्रदेश के लिए आवश्यक थी उतने नलकूप और नहरें हमारे प्रदेश म नहीं थे और आज हमारी सरकार का यह प्रयास है कि सन् 1976-77 के वर्ष में 7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता पूरी कर दी जाय।

एक अनुरोध और करना चाहता हूं। जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं श्रीमन्, उसमें काफी भूमि चली जाती है। और कहीं-कहीं पर तो पूरे का पूरा गांव साफ हो जाता है। तो यह प्रयास किया जा रहा है कि इन परियोजनाओं के अन्दर जैसे शारदा सहायक, राम गंगा, या मध्य गंगा नहर या समानान्तर गंगा नहर या गंडक नहर के क्षेत्र में जो भूमि की कमी हुयी है उसे पूरा करने के लिए तथा जिन क्षेत्रों में जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा सका है उन क्षेत्रों में पुनः चकबन्दी कर दी जाय। सिंचाई विभाग द्वारा और राजस्व विभाग के सहयोग से चकबन्दी कर दी जाय ताकि जमीन की जो कटौती होती है और जिनको लाभ होता है, तो सामूहिक रूप से, जमीन को जो हानि होती है, वह सब पर पूरी-पूरी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि यह सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

*श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जफर आजमी]

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81--के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि हमारे मन्त्री जी ने बड़े साहस से योजनाओं का तस्किरा किया है और ऐसा जान पड़ता है कि आने वाले दौर में हमारे सूबे की सिचाई का रकबा काफी बढ़ेगा और काफी कमियां दूर होंगी। लेकिन मुझे खतरा है क्योंकि हर साल जब भी योजनाओं का तस्करा होता है तो लगातार कहा जाता है कि योजनायें हमारी पूरी होंगी किन्तु हम यह कहें तो कोई ज्यादा ज्यादती नहीं होगी कि --

मंजिल मिले मिले न मिले गम नहीं,
मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है और सूखा-सैलाब से हमेशा बरबादी होती रही है। चूंकि हमारा प्रदेश एक लम्बे रकबे का प्रदेश है और दुनियां में दसवां हिस्सा है इसलिये पूरब में यदि सूखा है तो पश्चिम में बाढ़ और यदि पूरब में बाढ़ है तो पश्चिम में सूखा। लेकिन आज तक सैलाब को रोका नहीं जा सका और इस पर करोड़ों-अरबों रुपया खर्च किया गया लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि कोई ऐसी ठोकर घाघरा में बन गयी हो जिससे घाघरा की बाढ़ को रोका गया हो। मन्त्री जी ने अभी स्वीकार किया कि हरियाणा सरकार ने ठोकर बनाया है, जिससे हमारी तरफ कटाव हो रहा है और वह बढ़ता जा रहा है। आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर आदि बाढ़ से लगातार बरबाद हो रहे हैं और किसानों की गरीबी बढ़ती जा रही है लेकिन सैलाब को रोकने में हम असफल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितनी धनराशि लगायी गयी है वह बहुत ज्यादा बेकार हुई है। इसलिए इसकी जांच करानी चाहिए कि जो धनराशि लगायी गयी उसके हिसाब से वाजिब सैलाब क्यों नहीं रोका जा सका? अभी मार्च में नहरों की सफाई के लिए पैसा दिया गया तो जाहिर है कि सफाई कैसे होगी, क्योंकि इस समय किसान सिचाई के लिए पानी चाहता है। इसलिए इस तरह पैसा वापस आ गया है और सफाई नहीं हो पायी है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं और जिसको मन्त्री जी नोट कर लें कि पहले कमीशन, सभी लोग जानते हैं, 10-12 प्रतिशत हमारी धनराशि का चला जाता था, चाहे वह जूनियर इन्जीनियर लेता हो या इन्जीनियर लेता हो लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह कमीशन अब 25 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस प्रकार यदि 25 प्रतिशत निकल जाएगा तो जो काम होगा, जो सामान खरीदा जाएगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी, यह सभी जानते हैं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि बनबसा चले जाएं वहां का काम देखें तो जो नई तामील हुई है उन दोनों में बड़ा अन्तर मिलेगा। आज हमारी बड़ी-बड़ी योजनायें बन रही हैं। शारदा पर योजना बन रही है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत हाई रेट दिया

गया। जो पुल बने हैं उनमें सीमेन्ट का कम इस्तेमाल हुआ है। अब यह कमीशन 20/25 परसेन्ट तक ही नहीं बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तो जूनियर इन्जीनियर सीमेन्ट का भी काफी परसेंटेज निकाल लेते हैं। मान्यवर, अभी आज हमारे बनारस को ही देखिए। वहां 18 लाख की मशीनरी पर लाखों की मरम्मत तय हुई। बलिया की खबर मिली है कि 1 लाख 75 हजार रुपया मरम्मत पर खर्च हुआ। बड़ी-बड़ी खरीद फरोख्त में अधिकारियों का हाथ रहता है और उसमें बड़ा कमीशन लिया जाता है। जो इतना कमीशन देने के बाद माल आएगा उसकी क्या क्वालिटी होगी यह आप बखूबी समझ सकते हैं।

इसके अलावा मैं निहायत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो टाइम हम अपनी योजना के पूरा होने का मुकर्रर करते हैं उस टाइम में कोई योजना पूरी नहीं होती। हर समाजवादी देश में जो पंच-वर्षीय योजना बनती है तो वहां पर कोशिश करते हैं कि बजाय पांच साल के चार साल में ही पूरी हो जाय। लेकिन हमारी योजना का कोई ठिकाना नहीं कि कब पूरी होगी। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि एक मानीटरिंग सेल कायम करके पर्ट चार्ट लागू किया जाय। जो भी योजना बनेगी तो उसमें टाइम की पाबन्दी होगी वरना तो हम अपनी योजनाओ के गीत गाते रहेंगे और कोई योजना पूरी नहीं होगी। अभी मन्त्री जो ने 20 सूत्री कार्य-क्रम का तस्किर किया। हम सभी 20 सूत्री कार्य-क्रम का ब्रहेदिल से स्वागत करते हैं। लेकिन उसमें यह भी था कि कमजोर लोगों को काम-धन्धे में लगाया जाय। लेकिन क्या मन्त्री जी को उनके यहां वर्क चार्ज में जो छटनी हुई है उसका अन्दाजा है ? वहां अभी भी कमजोर वर्ग के लोगों की छटनी का सिलसिला जारी है। जहां तक सरकारी ट्यूबवेल का सवाल है तो यह मन्त्री जी ने भी माना है उनकी हालत खराब है। नालियां वहां टूटी फूटी हैं। उनमें अगर देखें तो पायेंगे कि सीमेन्ट लगाया ही नहीं। अगर आप मेरे यहां चलें तो 25 ट्यूबवेल दिखला सकता हूं जहां नालियां टूटी पड़ी हैं। साथ ही बहुत से ट्यूबवेल हमारे मुंह लटकाए खड़े हैं। अभी एम0एल0 सी0 के चुनाव के सिलसिले में एक गांव लामी गया था। वहां किसान का गेहूं देखा तो बहुत खराब। उससे पूछा तो उसने बताया कि पानी ही नहीं मिलता। सुना है कि ट्यूबवेल के निगम बनने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में 40-42 निगम हैं और यह सब घाटे पर चल रहे हैं। बिजली का निगम बना तो उसकी इमारत भी बन्धक है। कुछ दिन में इन्जीनियर भी बन्धक हो जायेंगे जैसे बन्धुआ मजदूर। जो निगमों की हालत है उसका क्या बयान किया जाय। आप अपने सिर की जिम्मेदारी दूसरों के सरों पर डालकर कैसे बच सकते हैं। हमारे सिंचाई विभाग में जैसा कि आप भी मानते हैं, उमंगों से भरे हुए जजबातों को तोड़ने की बात कर रहे हैं और इसी के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको आपको जरूर देखना चाहिए आपको अपने बयान में उस पर भी रोशनी डालनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा घपला इस महकमें के अन्दर है। अगर आप पी0 ए0 सी0 की सिफारिशों को देखें सन् 1973-74 और 1974-75 की जो किताबें हैं उनको देखें तो आपको बहुत से लोग मिल जायेंगे जो भ्रष्ट हैं लेकिन जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। है। कुछ को मैं बताता हूं। उमाशंकर लखटकिया, ई0ई0, लखनऊ में ही हैं। सात साल रहे, लाखों रुपयों का घपला किया, अमरीका से 1 लाख रुपए की कार ले आए। एक हैं प्रकाश बहादुर सक्सेना। पी0 ए0 सी0 ने इनकी जांच की और उनको मुअत्तल करने की सिफारिश भी की लेकिन अब भी वह काम कर रहे हैं। एक हैं बद्री विशाल श्रीवास्तव। 29 हजार रुपयों का गबन उनके खिलाफ पकड़ा भी गया है लेकिन कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई। एक इन्जीनियर हैं विष्णु शरण जिनके खिलाफ

[श्री जफर आजमी]

भी भ्रष्टाचार की शिकायत है लेकिन क्या हुआ ? एक है श्री एस0 एन0 मिश्रा उन्होंने दो मालगाड़ियों के रैकों को बेच दिया। लाखों रुपया कमा लिया। विजीलेंस ने उनको पकड़ा भी लेकिन फिर भी बड़े इतमिनान से आज भी वह अपने काम में लगे हुए हैं। एक हैं राजेश चन्द्र जो बरेली में पूरे 9 सालों से हैं। जो आजकल उनका कार्यक्षेत्र है वह उससे 120 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं। विजीलेंस ने उनके खिलाफ जांच भी की है और मुअत्तल करने की शिफारिश की है, लेकिन हमको कुछ करने में दिक्कत है। अगर इस तरह के लोगों के खिलाफ मजबूती के साथ कार्यवाही नहीं की जायगी तो इस विभाग का काम किस तरह के चल सकता है ? राजेश चन्द्र हरीपुरा डैम में काम करते हैं। 9 साल हो गया लेकिन रहते यह हैं 120 किलोमीटर पर। कितना रुपया टी0ए0, डी0 ए0 में सर्व हो गया। मैं लगातार सरकार को इस बारे में लिखता रहा हूं। अभी मन्त्री जी कह रहे थे कि आर्थिक संकट है लेकिन हम इस आर्थिक संकट से बचने के लिए बहुत सी चीजें कर सकते हैं जैसे कि टी0 ए0, डी0 ए0 और पैट्रोल को बचा सकते हैं तथा बहुत से घपलों को पकड़ सकते हैं। एक और बी0 पी0 अग्रवाल हैं। अगर आप इस समय राय बरेली गोदाम में एक दम से छापा मार दें तो आपको वहां पर सीमेन्ट के स्थान बर बालू से भरे हुये बोरे मिलेंगे। मान्यवर, जो लोग गिरफ्त में आकर पकड़े भी जाते हैं और जब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तब भ्रष्टाचार पनपेगा और बढ़ेगा ही। नतीजे पर आप सोचें एक तरफ 25 परसेन्ट कमीशन में निकल जाएगा और दूसरी तरफ बहुत अधिक पैसा स्कैन्डल में निकल जायगा। पिछले 25–30 साल में 50 प्रतिशत पैसा काम में आया है और 50 प्रतिशत पैसा लोगों की जेबों में गया है। वक्त का तकाजा है कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कड़ाई से आप कार्यवाही करें। एक मालिक राम सिंघल हैं बाराबंकी में मान्यवर, मैंने एक पत्र लिखा था सरकार को गन्डक में लाखों रुपयों का गोलमाल किया और मान्यवर, उनके खिलाफ विजिलेंस ने इन्क्वायरी की। मान्यवर, क्या आपने कोई कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—

मान्यवर के साथ आप "आप" जोड़ देते हैं। मेरे जरिए से आप कह सकते हैं।

श्री जफर आजमी—

मैं क्षमा चाहता हूं। श्री मालिक राम का सारा घपला पकड़ लिया गया लेकिन वह अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। इस तरह के घपले जब उजाले में आ गए उनके खिलाफ ही आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर अन्धेरे में जो काम हो रहे हैं वह बदस्तूर होते रहेंगे। इस तरफ सरकार को अपनी तवज्जह देनी चाहिए। हमारी जनता ने जिला आजमगढ़ में तकाजा किया था और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट तथा प्रदेश की सरकार ने वायदा किया था कि दोहरी घाट पम्प कैनाल से फीडर चैनल निकालेंगे और बिजली के अभाव में इस तरह से वह चलती रहेगी लेकिन जो लिट्रेचर मिला उसमें इसका कोई तस्किरा नहीं है। आजमगढ़ जनपद में सरयू की खुदाई हो रही है जिससे जनपद को सरकार ने सैलाब से बचा लिया लेकिन 76 किलोमीटर सरयू की खुदाई हो रही है उस पर कोई पुल नहीं बन रहा है जिससे आने-जाने के साधन की बड़ी दुश्वारी का सामना वहां के लोगों को करना होगा। इसके अलावा जहां तक ट्यूबवेल्स का ताल्लुक है जिलों को जो ट्यूबवेल दिए जाते हैं जहां तक मेरे इल्म में है, उसके लिए जिले में एक कमेटी होती है और वह उन ट्यूबवेल्स को तकसीम करती है कहां पर ट्यूबवेल लगाया जायगा।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर उपाध्यक्ष कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

मेरे जिले में राज्य मन्त्री तशरीफ ले गए। उन्होंने कोपागंज में फरमाया कि वह 4 ट्यूबवेल कांग्रेस के प्रसीडेन्ट मसीउल्ला साहब को दे रहे हैं, वह जहां चाहेंगे उनको लगवा देंगे। क्या

यह उचित बात थी या अनुचित ? चूंकि एम0एल0ए0 वहां अपोजीशन का था इसलिए कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट के नाम आप ट्यूबवेल को बुक कर दें, वे जहां कहें वहां लगेगा। यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि यह बात कहीं कानून में है तो हमें बता दें, मैं क्षमा मांग लूंगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। स्टेट प्लानिंग इन्स्टीट्यूट ने कुछ सिफारिशें कीं कि जो हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके सिलसिले में माउन्टेनियरिंग शेल कायम करें ताकि उसके तहत जितने प्रोजेक्ट हैं उनका सही विकास हो सके। आज होता यह है कि जो हमारी योजनायें बनती हैं उनमें इन्जीनियर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, इनीशियेटिव नहीं लेना चाहते। कागज इधर से उधर फेंकते रहते हैं और काम के पूरा होने में सालों लग जाते हैं। इस तरह से यदि हम पाबन्दी के साथ काम करेंगे तो न सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट ठीक से बनेंगे बल्कि उनका विकास भी हो सकेगा और हमारा पैसा भी सही इस्तेमाल में आ सकेगा। आज रुपए की कीमत घटती जा रही है और कीमतें बढ़ रही हैं। बाद में प्रोजेक्ट भी महंगा पड़ता है। मान्यवर, यह बात नहीं है कि हमें फायदा न हुआ हो। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते कि इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट से हमें बहुत फायदा पहुंचा है। हमारी जमीन को पानी मिला है किन्तु बहुत सी जगहों पर हमें कुदरत के भरोसे पर रहना पड़ता है। अगर हम कुदरत का भरोसा न करें तो हमारे सीमित साधन हमें भूखों मार डालेंगे। फिर टोकरी लेकर हमें दूसरे देशों के सामने गेहूं के लिये हाथ पसारने होंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को युद्धस्तर पर अन्जाम दिया जाय। बिजली और सिंचाई इन दोनों को युद्धस्तर पर अन्जाम देना चाहिए। तभी हम सही रूप से प्रदेश की सेवा कर सकेंगे।

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं तसलीम किया है कि हमारी 85 प्रतिशत जनता जमीन पर मुनस्सर करती है इसलिए यदि हम उसको सिंचाई के लिये पानी न दे सकें तो यह ठीक नहीं है। जहां तक रेट का सवाल है, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि आज किसान बहुत परेशान है। खाद की कीमत दुगनी हो गयी है और पानी की कीमत भी बढ़ गयी है। साथ ही लगान की दर भी आपने बढ़ा दी है। मान्यवर, आपके पास भी फार्म है, आप भी कृषक हैं आप जानते हैं कि एक एकड़ खेत की पैदावार की क्या लागत होती है। उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितनी परेशानी आज किसान को होती है। एक एक पर खाद, पानी, विकास कर, टैक्स, आये गए मेहमान कुल मिलाकर आप देखें तो पता चल जाएगा। जो रेट आपने लगाया है उससे हमें खुशी नहीं हुई। इसको आप रिवाइज करें। तब हम तहेदिल से आपको बधाई देंगे और आशा करेंगे कि आप आने वाले समय में प्रदेश की धरती को सोना बनायेंगे और उसकी कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने आपके सामने कहा है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका नाम मैंने लिया है उनके ऊपर आप विद इन ए वीक कार्यवाही करेंगे तब हम आपको और बधाई देंगे और पूरा सदन धन्यवाद देगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो अनुदान इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करती हूं। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी को जो राजघाट बांध बेतवा नदी पर और 22 कि0मी0 चन्देरी के पास जो मिट्टी का बांध बनाने के लिए तथा सजनाम नदी पर बांध बनाने के लिए योजना है उसके लिए धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, अगर बुदेलखंड में सिंचाई के पर्याप्त साधन दे दिए जायं तो हमारा

[श्रीमती बेनी बाई]

बुन्देलखंड ह उत्तर प्रदेश को पूरा गल्ला दे सकता है । मान्यवर, राजघाट में बांध बनने में अभी 10 साल लग जायेंगे और बहुत सा एरिया असिंचित फिर भी रह जाएगा । इसालए मान्यवर, वहां तत्तकाल सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जायं और मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि झांसी जिले में जो दो-तीन बांध बने ह सुखवा ठकवा, माताटीला पारीझा सपरार डम हैं इमम 4 आना सिंचाई वहां की होती है बाकी 12 आना जो है वह दूसरे जिलों में सिचाई होती है । नाम तो वहां का जरूर है पर पानी बाहर जाता है । इसलिए जरूरी है कि वहां पर जो दो तहसील मऊरानीपुर और गरोठा है इनमें ट्यूबवल से सिंचाई हो सकती है क्योंकि वहां पर कम पत्थर है और रिंग से कुएं खोदे जा सकते हैं ।

इसी तरह के बेतवा नदी में लिफ्ट योजना लागू करके और उर नदी पर लिफ्ट योजना लागू करके सिंचाई की जा सकती है । मान्यवर, बुंदेलखंड में बहुत से तालाब चन्देलों के टाइम के बने हुए टूटे-फूटे पड़े हैं, अगर उनकी मरम्मत करा दी जाय तो उनसे अच्छा पानी मिल सकता है और इनसे नहरें निकल सकती हैं और दो-दो पानी तो मिल सकता है । इसी प्रकार बुन्देलखंड में बहुत से तालाब हैं जैसे स्यारी का ताल, बड़हर, कछनेव, बंगरासेकरा, अड़जार है उनमें सिंचाई की नहरें हैं । अभी तो यह एक और दो पानी ही देते हैं । यह अब उछले हो गए हैं अगर इनको गहरा किया जाय तो इनसे पानी और मिल सकता है और तीन-तीन, चार-चार सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है ।

मान्यवर, झांसी जिले में मऊरानीपुर में चार जगह रोरा, भारदा, धौरा और लखेरी में सर्वे हो चुका है कई साल से स्कीम पड़ी हुई हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि अगर इन बांधों को बनवा दिया जाय तो झांसी जिले की बहुत भारी सहायता होगी ।

मऊरानीपुर में जो धसान नदी है उसके दूसरी तरफ चार गांव पड़ते हैं जो मध्य प्रदेश से लगे हैं और इन लोगों को अपना सामान बेचने के लिए जब आते हैं तो सिर में रख कर लाना पड़ता है और तब मन्डी तक पहुंच पाते हैं । मेरा निवेदन है कि इस विरगवां घाट पर बड़ी फेरी डलवा दी जाय जिससे भानपुरा, बिरगुवा, खकोरा, कुंवरपुर का बहुत भला हो जाएगा । मान्यवर, मैं बुन्देलखंड में मध्य प्रदेश का एक तालाब टेहरका का और उसमें 10 नहरें निकलती हैं, दूसरा झांसी में अजार का तालाब है, उससे भी 10 नहरें निकलती हैं उसमें मध्य प्रदेश के 10 गांव आते हैं । इसमें तो हम मध्य प्रदेश को पानी दे देते हैं लेकिन वह अपने यहां के तालाब के निकलने वाली नहरों से हम लोगों को पानी नहीं लेने देते हैं । टेहरका के तालाब से जो नहरें निकलती हैं जिसमें 10 गांव आते हैं, उसका वह पानी नहीं हमको देते हैं । दो साल से हम इसको पानी नहीं देते हैं । पिछले साल 300 एकड़ जमीन के लिए बड़ी मुश्किल से पानी दिया था । तो उन के साथ ही हमारा एग्रीमेन्ट है कि वह अपने तालाब से निकली नहरों का पानी हम लोगों को उपयोग के लिए देंगे और हम अपने यहां के तालाब से निकली नहरों का पानी उनके उपयोग के लिए देंगे, उसका पूरा पालन कराया जाय, हमारे एग्रीमेन्ट को मंनवाया जाय । मैं सिंचाई मन्त्री जी से विनम्र प्रार्थना करूंगी कि इस एग्रीमेन्ट को वह पूरा करायें । इसी प्रकार सपरा का डैम जब बांधा गया है तो गुरेशा गांव को और बसारी गांव वहां से थोड़ी दूर पर बसाया गया हैं । उससे थोड़ी दूरी पर मध्य प्रदेश का इलाका पड़ता है । वहां के लोग जब यहां लिए जाते हैं, तो उनके लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है । जब उनकी फसलें बो जाती हैं तो हमारे यहां के लोगों को निकलने नहीं देते हैं, जिससे उन्हें बड़ी मुसीबत है । तो मेरी प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश के एरिया से 5-6 फुट जमीन आप लें और उनको बैलगाड़ी निकलने लायक रास्ता दिलाएं ।

इसी प्रकार की कुछ और दिक्कतें हैं । एक तो यह है जब हम वहां से निकलते हैं यानी झांसी से मऊरानीपुर के मार्ग में उनके 5 बैरियर्स लगे हुए हैं । इन बैरियर्स पर

हमारे यहां के लोगों की गाड़ियों को वह रोक लेते हैं और उन्हें टीकमगढ़ और ओरछा के थानों में ले जाते हैं और जब उनसे पैसा ले लेते हैं तभी उन लोगों को छोड़ते हैं। यह हमारे यहां के लोगों के लिए बड़ी समस्या है, मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री को लिखें कि वह हम लोगों को सुविधा दें और बेरियर्स पर ग्राम सभापति की पर्ची सिस्टम लागू कर दें या उसे तहसीलदार से मान्य कर दें, जिससे हमारी असुविधा दूर हो जाए। मैं इन असुविधाओं के सम्बन्ध में निवेदन करूंगी कि वह समस्याओ को दूर करावें, पानी के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध करावें, जिससे बुन्देलखंड का एरिया जो गरीब है, वह गरीब न रह जाए। मन्त्री जी ने जो इर्रीगेशन का बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यावाद देती हूं और उनके बजट का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्रीमती बेनीबाई जी के विचारों के साथ मैं इतना और जोड़ देता हूं कि मैं स्वयं ललितपुर झांसी गया था। ललितपुर के जो इन्जीनियर हैं, वह कोई भी जानकारी नहीं रखते हैं। वहां पर सिंचाई सम्बन्धी कोई गतिविधियां नहीं हैं। वह हमें बता नहीं सके कि वह योजनान्तर्गत क्या कर रहे हैं। वहां पर इतने बड़े-बड़े नाले हैं जिनका पानी बहकर बेकार चला जाता है। उस पानी को अगर बांध दिया जाय तो उसका बड़ा अच्छा उपयोग हो सकता है।

*श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अनुदानों की मांगें रखी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। उसी सम्बन्ध में मैं दो-चार बातें यहां पर कह देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि बाढ़ की रोक-थाम के लिए मन्त्री जी ने जो बातें रखी हैं, उसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर पश्चिम से लेकर दूर दक्षिण पूरब तक होड़ लगी हुई है नदियों के किनारे-किनारे और विशेष रूप से यमुना नदी के किनारे-किनारे बांध बनाने की। हमारे चनाव क्षेत्र में मीलों लम्बा एक ऐसा रकबा आता है। जहां पर हरियाना और उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। मान्यवर, इस पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। अगर नदी का बहाव इधर को होता है, तो इधर का बंधा टूट जाता है और अगर नदी का बहाव उधर को होता है, तो बंधा उधर का टूट जाता है। मान्यवर, वहां पर लो एण्ड आर्डर की समस्या बहुत गम्भीर समस्या बन गयी है। मान्यवर, यदि हम पानी को लगाते रहेंगे, और पानी की व्यवस्था और कोई नहीं हो पायेगी, तो इस समस्या का समाधान होना सम्भव नहीं है। मान्यवर, फ्लड कंट्रोल से मिल कर या कोई इस प्रकार की योजना बनाई जाय जिससे पानी के अभाव में सुगमता आ जाय। मान्यवर, अमेरिका में मिसीसिपी नदी है। मान्यवर, वहां पर नदी के पानी को ऐसा नियंत्रि कर दिया गया है कि कहीं पर भी पानी बढ़ने की बात वहां पर नहीं रहती है।

दूसरी बात मान्यवर, यह है कि हमारे जनपद में नदी से बचत की कुछ भूमि पड़ी हुई है। इसके बारे में प्रतिवेदन भी दिये गये और हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का कार्यक्रम है कि भूमिहीनों को भूमि आबंटित की जाय, तो मान्यवर, उस भूमि को भूमिहीनों में क्यों न आबंटित कर दी जाय। मान्यवर, आज तक ऐसे उदाहरण हैं कि जब भी यह भूमि पट्टे पर दी गयी, उन्हीं लोगों को दी गयी जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं या पहले के बड़े-बड़े जमींदार थे। मान्यवर, दिखाने के लिये उनके बेटे के नाम कर दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह]

गयी। मान्यवर, इस संबंध में कई प्रतिवेदन दिये गये, परन्तु इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं, जनपद में जाते हैं, और वहां पर भूमिहीन लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि जब नहर की बचत की भूमि दूसरे लोगों को आबंटित की जाती है, तो यह किस किस्म का कार्यक्रम है जो हम लोगों को नहीं आबंटित की जाती है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में कार्यवाही की जाय। मान्यवर, तीसरी बात मैं नलकूप के बारे में कहना चाहता हूं। नल कूपों के आवंटन के लिये यह नहीं होना चाहिए कि कहां पर कितने नलकूप लगे हुए हैं, बल्कि मान्यवर, नलकूपों के लिये यह होना चाहिये कि वहां पर कितने नलकूपों की आवश्यकता है। मान्यवर, वहां पर नहर के पानी की कमी के कारण वहां पर प्वाइंट सेचुरेशन आ गया है।

मान्यवर, केवल यह देखकर कि वहां पर पैदावार अच्छी होती है, वहां पर नलकूपों की आवश्यकता नहीं है, नलकूप लगाने के लिये यह मापदन्ड नहीं होना चाहिये। बल्कि वहां पर नलकूपों की कितनी आवश्यकता है, इस आधार पर वहां पर नलकूप लगाने चाहिये। मान्यवर, हमारे इतने बड़े जनपद में केवल 5 नलकूप लगे हैं। ये पांच नलकूप हमारे जनपद के लिये बिलकुल नाकाफी है। मान्यवर, 5 के बजाय 50 नलकूप वहीं पर होने चाहिये। मान्यवर, अधिशासी अभियंता जो नलकूप के वहां पर आये हैं, उनसे मैं मिला था और उनसे मैंने निवेदन किया था कि हमारे जनपद के नलकूपों की संख्या बढ़ाई जाय। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे जनपद में नलकूपों की संख्या कम से कम 50 कर दी जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ प्रशासनिक कार्यवाही की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे नवजवान लोग इस समय हैं जो टीम इस बार आई है, जिससे मैं यह आशा करता हूं कि अभी ट्रान्सफर का सीजन है, आप देखेंगे कि आपके विभाग के कितने कर्मचारी आज आपके कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं ट्रान्सफर कराने के लिये या उन्हें रुकवाने के लिये। आपके विभाग के कम से कम 25 प्रतिशत अधिकारी लखनऊ में विधायकों के कमरों के, मंत्रियों के कमरों के चक्कर लगाते हैं और सम्बन्धित क्लर्कों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। इन सबसे अधिक नाजुक स्थिति विधायकों की है क्योंकि जब वे देखते हैं कि एक आदमी का तो 2 साल के बाद ही स्थानान्तरण हो जाता है और एक का 7-7 साल भी नहीं हो पाता है तो मजबूरन उन्हें उनके बारे में मंत्रियों के पास जाना पड़ता है। तो मेरी प्रार्थना है कि शासन में आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि किसी को इस प्रकार की शिकायत न हो जिससे लोगों को इस प्रकार से न दौड़ना पड़े।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि पानी के जो रेट बढ़े हुए हैं, वे जितने कम हो सकते हों, उतने कम किए जायं क्योंकि जैसा कि कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि आज किसान के गल्ले का दाम तो गिरता जा रहा है लेकिन बकाया जो उसके इस्तेमाल की चीजें हैं उनके दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। यह देखने में अच्छी चीज मालूम नहीं पड़ती है।

दूसरी चीज यह है कि नहरों में पानी समय से नहीं आता है। जब सिंचाई की आवश्यकता होती है तो नहरों में पानी नहीं रहता, नतीजा यह होता है कि किसान की उपज में भारी नुक्सान होता है। आज कल जो बौने किस्म का गेहूं पैदा होता है उसकी बुआई के 20-25 दिन बाद ही उसमें पानी की आवश्यकता होती लेकिन उस समय उसे पानी नहीं मिलता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसकी उपज 10-15 प्रतिशत तक घट जाती है। तो विभाग को यह करना चाहिये कि नहरों में पानी उस समय अवश्य रहे जब कि फसल के लिये अधिक से अधिक लाभकारी हो। कभी कभी जब ईख को भी

पानी समय से नहीं मिलता है तो वह भी सूख कर बरबाद हो जाता है। न कूओं से और न नहरों से पानी मिल पाता है जिसका नतीजा यह होता है कि उसका सारा परिश्रम ही बेकार हो जाता है।

तीसरी चीज जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि विभाग का पतरौल होता है वह इस बात का प्रयास नहीं करता कि किस का खेत है, किसने सिंचाई की है। वह नहर पर साइकिल लेकर जाता है और अगर उसे कोई लड़का पशुओं को चराता हुआ मिल जाता है तो उससे नाम पूछ लेता है कि यह खेत किसका है भले ही उसने उस खेत की सिंचाई की हो या नहीं। एक आदमी का तो केस ऐसा है कि उसके पास 1 बिस्वा भी जमीन नहीं है लेकिन 46-48, 50 व 54 रुपये का सिंचाई का नोटिस उसके पास आ गया।

श्री उपाध्यक्ष--

हमारे यहां घाटमपुर में तो एक महिला ने आबदस्त ले लिया तो उस पर भी सिंचाई लगा दी गई। यह रिकार्ड तहसील में मौजूद हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

दूसरी गड़बड़ी यह होती है कि अगर एक खेत बीच में पड़ता है, अगले वाले में सिंचाई चल रही है, बीच वाले खेत में नाली से पानी चला जाता है तो दोनों खेतों के ऊपर सिंचाई दर्ज कर लेता है। यही नहीं, अगर कोई तालाब से पानी ले लेता है, हालांकि उसमें नहर का पानी नहीं होता है बल्कि कुदरत का ही पानी होता है, फिर भी उसके ऊपर सिंचाई के दाम लगा दिए जाते हैं।

चौथी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि नालियां और कुलाबे जो लगाये जाते हैं, वे इतनी दूर तक लगा दिए जाते हैं कि सिंचाई का क्षेत्र बड़ा होने के कारण, उनसे सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती है। नतीजा यह भी होता है कि पानी टेल एंड तक नहीं पहुंच पाता है तो इसलिये उसमें यदि कोई नियम हो अथवा ढिलाई हो तो यह होना चाहिये कि जहां से जो उपयुक्त स्थान हो और जहां से ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सकती हो, कम से कम पानी का नुक्सान हो, उन जगहों पर कुलाबे लगाने का प्रयास किया जाय। ट्यूबवेल आपरेटर्स सिंचाई के वक्त जिससे ज्यादा पैसा पा जाते है उसको पहले पानी पहुंचा देते हैं और जिससे नहीं पाते उसको नहीं देते। इसके झगड़े बहुत दिखलाई पड़ते हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाय कि उनके ऊपर ज्यादा कड़ाई रखी जाय कि पानी इस क्रम से दें जिससे किसी को नुक्सान न हो सके। पुराने गेहूं में कोई बात नहीं, पुराने धान में कोई बात नहीं, लेकिन नयी वैराइटीज में अगर समय से पानी नहीं पड़ा तो 12 से 15 परसेंट उपज घट जाती है। प्राइवेट ट्यूबवेलों के बारे में बड़े भारी व्यतिक्रम की चीज आ गयी है कि 15 रुपया प्रति हार्स पावर देना पड़ता है चाहे मशीन चले या न चले, पानी लें या न लें। मेरा निवेदन है कि उस पर मीटर लगा दिया जाय और जितना खर्चा हो उसके हिसाब से चार्ज लें। मगर यह कि चाहे खर्च करें या न करें 15 रुपया प्रति हार्स पावर लगाया जाय, यह बड़ी जबरदस्ती की सी चीज लगती है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा होता है अगर गांव के बीच से कोई नहर गयी है और आधा इस पार और आधा उस पार है तो हल-बैल ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर दोनों पार जमीन हो और पुल की दूरी ज्यादा हो तो उनके बीच में ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि असानी से हल-बैल ले जा सकें। अपने ही क्षेत्र में गांव मुकुन्दपुर, चांदा तहसील, सुल्तानपुर में है, उसकी ऐसी ही स्थिति है। तो अगर एक राबता सा बन जायगा तो भी काम हो जायगा।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

सिंचाई के मुकदमें जो चलते हैं यह आमतौर से बड़े दूर-दूर के जिलों के चलते हैं जैसे अगर सुल्तानपुर जिले का केस है तो गाजीपुर या बलिया में जाना पड़ता है। जिस किसान के ऊपर नोटिस दिया गया है अगर उसके पास जमीन नहीं और गलत नोटिस के कारण बलिया या गाजीपुर की 4 तारीखें लग गयीं तो 46-50 रुपये से ज्यादा तो वैसे खर्च हो जायगा आने-जाने में। तो जिस जिले का केस हो तो उसी जिले के मुख्यालय में मुकदमा चले और निराकरण हुआ करे। एक चीज अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र चांदा कांस्टीट्युएन्सी में अगर 4 दर्जन ट्यूबवेल लगवा दिये जायं तो गारंटी से कह सकता हूं कि वहां से आपको गल्ले की उपज दूनी करके दे सकता हूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थोड़े से मेरे क्षेत्र के लिये जो ट्यूबवेल्स दिये हैं उसके लिये उनका आभारी हूं।

*श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी ने जो सिंचाई का अनुदान रखा है, उसका समर्थन करता हूं। मुझे कुछ बातें अपने जिले और पूर्वी जिलों के विषय में मंत्री जी से निवेदन करना है। वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि सिंचाई के लिये यह सरकार बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है और इस वर्ष राजकीय नलकूपों की भी तादाद बढ़ायी गयी है। इसके लिये मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पूर्वी जिले सिंचाई क मामले में बहुत ज्यादा नेगलेक्ट किये गये हैं। गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर बलिया, जितने भी पूर्वी जिले हैं उनमें सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। पूर्व और पश्चिम में यह जो असंतुलन हो रहा है इसको समाप्त कीजिये। गोंडा जिले में कोई बड़ी नहर नहीं है। वैसे मुझे बताया गया है कि सरजू कैनाल निकालने की योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है और शायद काम भी प्रारम्भ हो जाय। अगर यह योजना कार्यान्वित होती है तो गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, इन जिलों को काफी लाभ मिलगा।

कुछ समस्यायें हमारे जिले और क्षेत्र की हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करूंगा। अभी लघु सिंचाई योजना में गोंडा जिले के 6 ब्लाकों को लिया गया। मुझे नहीं मालूम कि उनको किस आधार पर लिया गया लेकिन गोंडा तहसील में हल्दरमऊ ब्लाक ऐसा है जिसमें एक भी राजकीय नलकूप नहीं हैं। आजादी के बाद से आज तक एक भी राजकीय नलकूप वहां नहीं लगा। सात ब्लाक गोंडा जिले में ऐसे हैं जिनमें आजतक कोई भी सिंचाई के साधन नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में कटरा में एक राजकीय नलकूप परसोल लगाया गया लेकिन अभी तक वह चालू नहीं हुआ है। हल्दर-मऊ में एक भी राजकीय नलकूप नहीं हैं। वैसे मैंने एक पत्र लिख कर दिया था जिस पर आदेश भी मंत्रीजी ने किये हैं। मैं इसके लिये मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन यह काम प्रारम्भ करा दिया जाय। जिन ब्लाक्स में कोई भी सिंचाई के साधन नहीं हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय और सरजू कैनाल योजना को तत्काल लागू किया जाय। एक सुझाव और है कि गोंडा जिले में कटरा ब्लाक में एक बहुत बड़ी झील है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। वह भी मैंने लिख कर दिया था। उसमें अगर राजकीय पम्पिंग सेट लगवा दिया जाय तो गरीब जनता को काफी राहत मिलेगी और सरकार का पैसा भी कम खर्च होगा।

दूसरे, हमारे जिले में बाढ़ की समस्यायें हैं। मुझे बताया गया था कि बाढ़ का पैसा शायद कुछ गया है। लेकिन पता लगाया तो मालूम हुआ कि जिला परिषद् में अभी पैसा नहीं गया है। गोंडा जिला बाढ़ से बरबाद हो जाता है। एक ओर घाघरा, दूसरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर सरयू और कुछ और छोटी नदियां हैं जिससे गोंडा और तरबगंज तहसीलों में बाढ़ से बहुत से जानवर और आदमी मर जाते हैं। इसका निदान अभी से शुरू किया जाय। यह न हो कि जब बाढ़ आ जाय तब आपके अधिकारी दौड़ें। बाढ़ के प्रकोप से होने वाले नुकसान को रोकने के लिये इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। अभी अखबारों में मैंने पढ़ा कि माननीया प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली में अधिकारियों की एक मीटिंग में कहा कि बहुत से काम अधिकारियों के बल पर ही होते हैं और अगर अधिकारी नहीं चाहते हैं तो नहीं होते हैं। इसलिये अधिकारियों पर अंकुश रखना होगा। विभाग में बहुत से अकुशल कर्मचारी भी हैं जो बेइमानी करते हैं और ठेकेदारों से मिल कर पैसा कमाते हैं। ऐसे भ्रष्ट और अकुशल कर्मचारियों को सख्त सजा दी जाय। उनके खिलाफ सख्ती की जाय। साथ ही पूर्वी जिलों में जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं उस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं, उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारे यहां सिंचाई के बहुत कम साधन उपलब्ध हैं। किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। जिन प्रदेशों में, जैसे हरियाना, पंजाब में खेत में पानी वहां की सरकार ने दिया है तो वहां कृषि उपज में चौगुनी बढ़ोत्तरी हुई है। उत्तर प्रदेश कृषि पर आधारित है। सिंचाई समुचित न मिलने से कृषक अपने परिश्रम के अनुरूप अनाज पैदा नहीं कर पा रहा है। मेरे पिछड़े जिलों की प्यासी धरती को सरकार ने केवल 22 या 23 परसेंट ही सिंचाई का साधन दिया है। जो दिया है वह भी ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया माइक पर बोलें, कुछ सुनायी न पड़ने के कारण लिखने में रिपोर्टर को कठिनाई हो रही है।

श्री लालन शर्मा--

पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। कुलावों की भी कमी की समस्या हमारे यहां ऐसी है कि जहां कुलावे दिये जाने चाहिये वहां नहीं दिये जा रहे हैं। कुलावों की हमारे यहां अत्यन्त कमी है। मैं चाहता हूं सरकार इस ओर ध्यान दे। हमारे जिले में 14 नदियां हैं जिनमें भीषण बाढ़ आती है। बाढ़ खत्म होने पर यह है कि सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। हमारे यहां एक ओर बाढ़ रोकने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये दूसरी ओर सूखे का मुकाबला करने के लिये पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। लखनऊ के अन्दर बाढ़ रोकने के लिये करोड़ों रुपया खर्च हुआ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं श्रीमन्, अगर उसका आधा रुपया भी हरदोई में दे दिया जाता तो हम पानी की समस्या हल कर लेते, गल्ले की पैदावार दुगनी हो जाती।

हमारे यहां अटवाअली मरदानपुर ड्रेन योजना को सरकार ने सन् 65 में स्वीकार किया थ, 2 मील लम्बी 3 गडढ़ चौड़ी ड्रेन को जनता ने अपना पसीना बहाकर, मिट्टी खोद कर डाली थी, मगर सरकार ने उसे आज तक पूरा नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि वह ड्रेन बिलकुल बराबर हो गयी और जनता की मेहनत भी बेकार चली गयी। एक और ड्रेन हथौड़ा है जिसके लिये सन 62 में भूतपूर्व विधायक ने प्रस्ताव रखा था, उसका सर्वे वगैरह भी हुआ था और वह बनायी गयी श्रीमन् मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे साथ बिलकुल ही न्याय नहीं किया। ड्रेन बनने से हमारे क्षेत्र में, हरदोई के पूरे उत्तरी भाग में बहुत से ड्रेनों का पानी बह कर गिरता है। वह पानी जो उन्नाव जिले की कल्यानी नदी में जाता था, उन्नाव जिले में तो पानी जाना बन्द हो गया लेकिन नई ड्रेन से हमारे जिले

[श्री लालन शर्मा]

के 30–35 गांव डूब रहे हैं। हथौड़ा ड्रेन नई बन रही है। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर वह ड्रेन बनी और उसका जो आउट फाल श्री गंगा जी के पानी को रोकने के लिये न बनायी तो गंगा का पानी ऊपर चढ़ कर बहुत से गांवों को डुबो देगा। यह ड्रेन इस जिले के लिये ऐसी देन हो जायेगी जिससे उस किनारे के सारे के सारे पचासों गांव प्रति-वर्ष डूब जायेंगे। हमारे यहां गर्रा नदी है, सरकार के बड़े-बड़े डैम्स बन रहे हैं। हमारे जिले के 500 गांव हर वर्ष गर्रा नदी से डूब जात हैं जिससे हजारों परिवार तबाह हो जाते हैं और उनका कहीं आना-जाना भी बन्द हो जाता है। गर्रा नदी में सरकार जो पानी छो ती है उससे प्रति-वर्ष जनता अन्न वस्त्र, मकान से तबाह हो जाती है। हमारे यहां लालपुर कन्हई ड्रेन की खुदाई की गयी और आगे चल कर छो दिया गया। इस तरह से सरकार के धन का कितना दुरुपयोग हो रहा है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिले की ड्रेनों की सफाई भी ठीक से न होने से तालाब का पानी उसमें भर जाता है। हमारे जिले में वाटरलागिंग की भी एक बड़ी समस्या है। उसे दूर किया जाय। जिलों को 41 लाख रुपया वाटर लागिंग समस्या को दूर करने के लिये दिया गया था, उसका पता नहीं क्या हुआ। हमारे यहां सई, गोमती, गंगा और गर्रा–ये चार बड़ी भयंकर नदियां हैं। वहां पर लिफ्ट सिंचाई योजना चालू की जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारा देश व प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि और सिंचाई का एक दूसरे से बहुत गहरा सम्बन्ध है और यदि यह कहा जाय कि चोली-दामन का सम्बन्ध है तो यह बहुत ही उपयुक्त होगा। इस वर्ष के बजट में सिंचाई विभाग को वरीयता दी गयी है और एक अच्छा बजट सिंचाई के लिये उपलब्ध कराया गया है। इसके लिये मैं सरकार और सिंचाई मंत्री का आभारी हूं। आज किसान जो लागत अपनी खेतों में लगाता है उसका उसे सही दाम नहीं मिल पाता। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई का रेट दुगुना हो गया फर्टिलाइजर की कीमत भी बढ़ गयी है लेकिन उसके खेतों पर जो लागत आती है, उसकी सही कीमत उसे नहीं मिल पाती है। इसलिये सरकार से और सिंचाई मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि सिंचाई का रेट यदि सम्भव हो तो कम किया जाय। पहले सिंचाई के लिये नलकूप का गूल होता था, नहरों का गूल होता था। किसान अपना पानी लेकर अपने व्यक्तिगत साधन से ले जाना चाहता है तो उस गूल से पानी ले जाने के लिये उसे किराया देना पड़ता है। इससे किसान को मुक्ति मिल जाय तो अच्छा होगा। क्योंकि वह अपने नलकूप से पानी निकालने पर व्यय करता है और अन्य साधनों से सिंचाई लिये पानी निकालने पर व्यय करता है। फिर उसे सिंचाई विभाग को उन गूलों से पानी ले जाने का किराया देना पड़ता है और उसे इस तरह से खेती करने में बहुत कीमत पड़ती है।

दूसरी बात मान्यवर, यह है कि हमारे जो कुछ निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं जैसे पटवारी, यह थोड़ी सी गलत पर्चियां बना देते हैं जिससे किसानों को पैसा ज्यादा देना पड़ जाता है। गलत पैसा उनको देना पड़ता है। दूसरी चीज, जैसे कि कटौती का प्रस्ताव हमारे माननीय जफर आजमी साहब ने रखते हुये कहा कि योजनायें तो सदैव बड़ी अच्छी रखी जाती हैं लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं होता है। मैं यह महसूस करता हूं कि जबसे हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी आये हैं यह बहुत बड़ी आशा बंधी है कि बहुत अच्छा सुधार होगा। सुधार हो भी रहा है। जबसे आपने विभाग को अपने हाथ में लिया है मैं यह अनुभव करता हूं कि बहुत सुधार हुआ है और आगे अच्छी योजनायें कार्यान्वित होंगी। मैं यह भी अनुभव करता हूं इस प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य होना शुरू हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। भ्रष्टाचार के संबंध में यहां पर जो बातें कहीं गयीं हैं उससे हम सहमत हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि जो बातें यहां पर कहीं गयीं हैं और जिन अधिकारियों के बारे में कहा गया है, सिंचाई मंत्री जी निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और करवायेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि एक चीज बजट में और सुन्दर कही गयी है। जो हमारी युवा शक्ति है उसका सदुपयोग हो सकेगा क्योंकि युवा लोगों की शक्ति से देश की उन्नति हो सकती है। इसलिये युवा केन्द्रों का जो प्राविधान और उसकी जो योजनायें हैं और जो केन्द्र खोले जायेंगे उसके लिये मैं सिंचाई मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जिलों में स्थिति बहुत अच्छी है। मैं अलीगढ़ जिले से आता हूं। वहां सिंचाई के साधन पहले से ही काफी रहे हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के साधनों की देखरेख के लिये, गूलों, पटरियों की मेंटीनेंस के लिये सही रूप से पैसा हमारे पश्चिमी जिलों को मिलता रहे।

तीसरी प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि ट्रांसफर के संबंध में जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है, वाकई में हम लोगों को दिक्कत होती है और उसके लिये निश्चित रूप से कोई योजना बनानी चाहिये कि जिससे सदस्यों को परेशानी न हो, हम लोग अपने मंत्री महोदय को परेशान न करें और समय का भी नुकसान न हो। अंत में मैं अपने सिंचाई मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जिले का अच्छा ख्याल रखा और हम लोगों को जितने नलकूपों की जरूरत थी, उस समय हमको नलकूपों का आवंटन किया। हम आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)—

माननीय, सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह बहुत ही अच्छा, संकल्पित, सुनियोजित, और संतुलित प्रतीत होता है। इसीलिये मैं उनको बधाई देता हूं। माननीय, ऐसा लगता है कि इस बजट में राजकीय सिंचाई साधनों के तीव्र विकास का प्रयास है। एक ओर प्रदेश की बहुप्रयोजनीय वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं को भी लिया गया है। दूसरी ओर बाढ़ नियंत्रण, जल-निस्तारण और कटाव रोकने जैसी योजनाओं को उसमें रखा गया है। माननीय, अगर आंकड़ों को देखा जाय तो ऐसा लगता है कि सन् 47 में जो सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, आज उनके मुकाबले में 2 गुने सिंचाई के साधन हो गये हैं 27.05 लाख हैक्टेयर सिंचाई जो 1947 में थी वह बढ़कर 74. 30 लाख हेक्टेयर हो गयी है। दुगनी से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन बुन्देलखंड की धरती आज भी प्यासी है। यह पुस्तक जो सिंचाई विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में कार्य की प्रगति के बारे में दी गयी है उसको देखने से ऐसा लगता है कि जो कृषि योग्य क्षेत्रफल प्रदेश का है और जो सिंचाई है उनमें अनुपात इस प्रकार आता है। इस समय पर्वतीय क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि है और जो सिंचाई के साधन हैं 61 प्रतिशत सिंचाई है, पश्चिमी क्षेत्र में 40 प्रतिशत, पूर्वीक्षेत्र में 34 प्रतिशत, मध्य क्षेत्र में 30 प्रतिशत हैं और बुन्देलखंड में 20 प्रतिशत हैं। यदि बुन्देलखंड में जालौन जिला निकाल दें, जहां अधिक सिंचाई होती है तो बुन्देलखंड में 15 प्रतिशत सिंचाई होती है, बांदा में 25 प्रतिशत, हमीरपुर में 15 प्रतिशत और झांसी में 14 प्रतिशत होती है। इस प्रकार यदि जालौन जिला को निकाल दे तो शायद 15 प्रतिशत एवरेज बुन्देलखंड का है। यह एक बुन्देलखंड की समस्या है कि जितनी मुख्य नदियां है उनका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में है।

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र]

बड़े–बड़े जलाशय बनाने का सवाल आता है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में बनने वाले जो जलाशय होते हैं उनको लेकर दोनों प्रदेश की सरकारों में झगड़ा हो जाता है। इसलिये जब तक मध्य प्रदेश की सरकार से समझौता नहीं हो जाता तबतक योजनयें कारगर नहीं होती हैं। इसी कारण राजघाट बांध योजना अभीतक पूरी नहीं हो पायी है। हमीरपुर का थरमल बांध बहुत दिनों से प्रस्तावित है लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हीला-हवाला करती है कि कौन सरकार बनावे। हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यथा संभव इस बांध बनाने का सवाल हल करना चाहिये। हमारे क्षेत्र में दहा में 25 करोड़ से बांध बनने वाला है जिससे हमीरपुर और बांदा के जसपुरा ब्लाक के सूखे इलाके को, जहां पानी की कमी है पानी मिलेगा। लेकिन जो इसकी तकनीकी स्वीकृति आती है वह आजतक नहीं आयी है। क्यों नहीं आयी इसका प्रयास करना चाहिये। जहांतक छोटी-छोटी योजनाओं का सवाल है, हमारे यहां बड़े बड़े तालाब हैं महोवा में व चरखारी में। जो उनकी क्षमता बढ़ानें का सवाल है क्योंकि वह उथले हो रहे हैं इसलिये उनकी खुदाई की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मंदोहा क्षेत्र में खैर में केन नदी की दो मील लम्बी गहराई है जिसका सर्वे हो चुका है और एक बार 10 हजार रु0 एडवान्स किया गया था लेकिन बाद में पता नहीं क्यों यह योजना बन्द कर दी गयी। मैं नहीं समझता हूं कि खैर योजना क्यों बन्द कर दी गयी इसलिये मंत्री जी उसको कार्यान्तिव करावें।

मान्यवर, एक प्रार्थना और यह है कि ललितपुर में पम्प कैनाल पर जो सुपरिनटेंडिन्ग इंजीनियर हैं वह बहुत ही ढीला कार्य कर रहे हैं। वह इस योजना को टालते रहे हैं। इसलिये इसको देखने की कृपा की जाय। मान्यवर, पत्यौरा रानी बैजेमऊ के इंजीनियर ने भयंकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिये उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय।

यहां बहुत ही अधिक पैसे का दुरुपयोग हुआ है और योजनाएं तो असफल हो ही रही हैं। हमारे यहां 90 फीसदी बोरिंग नाकामयाब रही है। हमारे यहां आप रिग मशीनें भेजें लेकिन ऐसी भेजें जिनमें डायमेंड लगा हो जिससे कि वह पत्थर को काट सके। हमारा हमीरपुर शहर डूबता जा रहा है। वहां आप पिचिंग कराने की कृपा करें। इसी प्रकार एक निवेदन यह करना है कि जो पत्यौरा में सिंचाई डाल योजना है उसमें काम करने वाले जो इंजीनियर हैं वह वहां काम किन्हीं ठेकेदारों से कराते हैं और पेमेंट किन्हीं दूसरे ठेकेदारों को किया जा रहा है। कृपया इसकी जांच करावें और कार्यवाही करें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायण हरी शर्मा (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में नई योजनाओं के द्वारा सिंचाई को बढ़ाने के लिये जो प्राविधान बजट में किया है वह उसके लिये बधाई के पात्र हैं। एक समय था कि जब नहरों की सफाई नहीं होती थी और नहरों की पटरियां टूटी होती थीं जिससे पानी नीचे नहीं पहुंच पाता था। लेकिन पिछले दिनों नहर विभाग द्वारा पानी की सप्लाई संतोषजनक रही है और उसके लिये अधिकारी और मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी जो नहर प्रणाली है उसमें जहां पहले से नहर चल रही है वहां वाटर लेवुल बहुत ऊपर आ गया है और उपजाऊ जमीन रेही जमीन में परिवर्तित होती जा रही है। मेरा सुझाव है कि ऐसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुरानी नहरों के किनारे ट्यूबवेल का छेदन किया जाय जिससे वाटर लेबुल नीचे चला जाय और जो पानी ऊपर है उसे नहरों में डाले। मान्यवर, ट्यूबवेल के सम्बन्ध में एक और निवेदन हैं। ट्यूबवेल इन्स्टाल होने के बाद उसकी लापरवाही होती है। जो स्टेट ट्यूबवेल बनाया जाय उसका 72 घंटे तक लाजिमी तौर पर डेवलपमेंट होना चाहिये। होता यह है कि 24 या 36 घंटे चलता है और उसका पूरा डेवलपमेंट न होने स कैवेटी नहीं बनती जिससे वह खराब हो जाता है और पूरा पानी नहीं देता। इसके लिये एक्जीक्युटिव इन्जीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर को जिम्मेदार बनावे कि वह पूरे टाइम वहां रहे और जब तक प्रधान का सर्टीफिकेट न मिल जाय तब तक यह न समझे कि काम पूरा हो गया।

मंत्री जी ने यह घोषणा की कि जमीन को बचाने के लिये पाइप लाइन का प्रचार करेंगे। मैं किसान कि हैसियत से कहता हूं कि जो पाइप लाइन पड़ी है उसमें इन ट्यूववेल्स में सिल्ट के कारण सारी पाइप लाइन्स अवरुद्ध हो गई है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जहां आप पाइप लाइन्स का प्रचलन करने जा रहे हैं वहां पर सिल्ट के लिये उसमें जाली जरूर लगवा दें जिससे कि छन कर पानी आये। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अलीगढ़ और आगरा डिवीजन्स की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर खारी पानी का बहुत बड़ा एरिया है लेकिन वहां की भूमि अन्न का भंडार है। अगर आप मीठे पानी का प्रबन्ध नहर के द्वारा करवा दें तो बहुत अधिक अन्न का उत्पादन बढ़ सकता है। किसान को एक और दिक्कत भी है। आज पर्चा बटते समय जो किसान है उसकी लूट हो रही है। यह लूट इन 28 सालों में भी बन्द नहीं की जा सकी है। काश्तकार को यह आज भी ज्ञान नहीं है कि किस फसल का कितना पैसा देना होगा। अमीन और पतरौल जो बताते हैं वह उसको देना पड़ता है। मेरा तो यह निवेदन है कि आप एक सिंचाई पुस्तिका निकालें जिसके ऊपर सिंचाई की दरें मौजूद हों जिससे कि जो आज किसान की लूट हो रही है उससे उसको बचाया जा सके और अगर कहीं एतराज करने का मौका हो तो वह एतराज कर सके। किसी को पर्ची मिलती है और किसी को नहीं या किसी की पर्ची कभी खो भी जाती है। आज दरें भी बढ़ी है और किसान को ज्यादा दाम भी देना पड़ता है।

एक सुझाव यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जहां भी आपकी सर्विस रोड्स हैं, नहरों की पटरियां हैं उनको पक्की कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

मंत्री जी जरा गौर के साथ माननीय सदस्य के सुझावों को सुने।

श्री नारायण हरी शर्मा––

अगर पक्की सड़कों को बनवाने का प्रबन्ध किया जाय और पी0 डब्लू0 डी0 के साथ तालमेल कर लिया जाय तो इससे आपके साथ ही किसानों की बड़ी मदद होगी। जब पक्की पटरियां हो जायेंगी तो इससे जो कटिंग होती है वह रुक जायेगी और पुलिस को जो निगरानी करनी पड़ती है उससे भी बचत हो जायेगी। यह कल्याणकारी स्कीम है और अगर मंत्री जी इसके अनुरूप काम करवायेंतो इससे जनता का बड़ा हित होगा। इन शब्दों के साथ मैं बजट के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

*श्री देवे कुमार यादव (जिला बांदा)––

मान्यवर, मैं अभी माननीय सदस्य कुंवर बहादुर मिश्र की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बुन्देलखंड के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये, जिनको मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार यादव]
दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बांदा जिले की सिंचाई समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां की भूमि बड़ी जरखेज है। यों तो सारा बुन्देलखंड का इलाका उपजाऊ है परन्तु वहां पर सिंचाई साधनों की बड़ी कमी है। मैं यकीन के साथ आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर वहां पर पानी का प्रबन्ध हो जाय तो उत्तर प्रदेश की जो खाद्यान्न की बड़ी समस्या है उसका बहुत कुछ समाधान उससे हो सकता है। अतर्रा में चावल बहुत पैदा होता है। अपने प्रदेश का 1/3 भाग चावल वही सप्लाई करता है। अतर्रा में उत्तर प्रदेश के चावल की बहुत बड़ी मंडी है।

इसी तरह से अन्य अंचलों में पानी की व्यवस्था कर दें तो गेहूं व चावल की समस्या काफी हद तक उत्तर प्रदेश की हल हो सकती है। मेरे जिले में सिंचाई का माध्यम खास कर केन नहर है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया बरियारपुर व गंगऊ बांध है उनसे यह केन नहर निकलती है और यह बांध मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अड़चन डाल रही है। इस नहर में पानी इस तरह देने में और सिल्ट की समस्या अलग पैदा हो गयी है। बरोंधा नाले की डाइवर्जन स्कीम भी बनाई गयी थी। गंगऊ बांध में इस नाले को डाल देने से नहर को ज्यादा पानी मिल सकता है। 60-70 हजार रुपया इस काम पर खर्च करके सरकार ने इसे बन्द कर दिया है जिससे वह रुपया बेकार जा रहा है इस रुपये से सही रूप में जिले को लाभ मिल सके इसके लिये जरूरी है कि इस डाइवर्जन स्कीम को पूरा किया जाय। सिंचाई के लिये नहरों का विकास बहुत जरूरी है। इसके लिये बबेरू तहसील में कमासिन रजबहा से एक माइनर भदांव व जाखी गावों के बीच से निकाल दिया जाय तो इससे तीन चार मील की एरिया सिंचित हो सकेगा। जमुना जैसी महान नदी बांदा जिले के उत्तर से बहती है। चिल्लीमाल पम्प कैनाल वहां बनाई गयी लेकिन अब तक अलोना जो हर पुर का काम पूरा नहीं हो सका है। यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि चिल्लीमाल पम्प कैनाल की स्कीम पूरी हो गयी है लेकिन बिजली न मिलने से सिंचाई नहीं हो पा रही है जब कि सिंचाई विभाग ने बिजली विभाग के पास रुपया भी स्कीम के मातहत जमा कर दिया है। लेकिन अब तक उसको पावर नहीं मिल सकी है और पूरी की पूरी योजना जो कई करोड़ रुपये की है, बिलकुल बेकार पड़ी हुई है।

जमुना पर किसुनपुर के पास एक जगह है दादों खेड़ाकुंड गांव। वहां पम्प कैनाल लगा कर सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया जाय। यहां बहुत रेतीला हिस्सा है। पानी मिलने से वह उपाजाऊ भूमि हो सकती है। अलोना पम्प कैनाल योजना चालू की गयी थी। उस पर असेम्बली क्वेश्चन भी किये गये थे। उसमें तरह-तरह की गड़बड़ियां इंजीनियर्स ने की। कई हजार रुपये का सामान बेच लिया गया। मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गयी। फर्जी वाउचर बना कर पेमेंट ले लिया गया। इस घोटाले की सरकार जांच कराये। ट्यूबवेल योजना पर भी सरकार ध्यान दे। बांदा जिले में ट्यूबवेल्स की संख्या 12, 14 है। जहां लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम नहीं वहां ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं। यह धारणा गलत है कि पहाड़ी अंचल होने के कारण बांदा जिले में ट्यूबवेल सफल नहीं हो सकता। प्राईवेट लोगों ने जो ट्यूबवेल बनाये हैं उनसे अच्छा रिजल्ट निकला है, किसानों को फायदा पहुचा है। अगर हरित क्रान्ति के नारे को सफल बनाना है बांदा जिले में तो सरकार को हर ब्लाक में जहां नहर नहीं है वहां पर ट्यूबवेल लगवाये। रसिन, महोरछा तथा गंगऊ बांधों की योजना को सरकार पूरा करें तो सिंचाई को बड़ा लाभ हो सकेगा और बुन्देलखंड का जो इतना पिछड़ा हुआ इलाका है इन योजनाओं से वहां का किसान खाद्य समस्या को हल कर सकेगा और अपना पूरा योगदान दे सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)---

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया है। साथही मैं माननीय मंत्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने एक प्रगति-

शील बजट पेश किया है। बदकिस्मती से मैं फर्रुखाबाद के उस पिछड़े इलाके से आता हूं जिसके बारे में एक किताब "फरियादी फर्रुखाबाद" की छपी है। वहां के कमालगंज क्षेत्र से मै आता हूं। मान्यवर, उस क्षेत्र में तीन ब्लाक हैं। सबसे पहले मैं ट्यूबवेल के सम्बन्ध में गुजारिश करूंगा कि हाल ही में इलाहाबाद डिवीजन की जो बैठक हुई थी उसमें बदकिस्मती से मैं नहीं आ सका था। हमारे क्षेत्र की हालत यह है कि 27 वर्ष से वहां से जो भी विधायक रहा हो, कोई भी ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं की गई। मुश्किल से पार साल एक लगाया गया। 74 से मैं यहां आया हूं और असेम्बली में क्वेश्चन कर रहा हूं, लिख रहा हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप आये हैं। सुना है 10 ट्यूबवेल फर्रुखाबाद के लिये स्वीकृत हैं। 10 ट्यूबवेल फर्रुखाबाद के लिये काफी नहीं है। वहां पर बिना सिंचाई के हजारों बीघे जमीन बेकार पड़ी है। इसलिये मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वहां ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ाई जाय ताकि कमालगंज मेरी कांस्टीटुयन्सी की इर्रीगेशन की समस्या हल हो सके।

मेरी कांस्टीटुयेन्सी कमालगंज से,एक नदी काली नदी कुमालीघाट से खुदागंज तक जाती है उससे लिफ्ट इर्रीगेशन की व्यवस्था आप करा दें। इसके लिये आप सर्वे करायें और उसकी व्यवस्था करे। जहां-जहां लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कीम लागू हो सकती है, वहां वह अवश्य होनी चाहिये। इसके अलावा हमारी कांस्टीटुयेन्सी में कोई कैनाल नहीं है। आपकी राम गंगा योजना चल रही है उसमें आप कमालगंज को भी ले सकते हैं और वहां के लोगों को उससे फायदा पहुंच सकते हैं। एक फसल वहां होती है और यदि पानी न बरसा तो वह भी बेकार हो जाती है। सिंधौ रामपुर से कन्नौज तक हजारों बीघे जमीन बेकार पड़ी रहती है। इस सम्बन्ध में किसी तरह से आप व्यवस्था करें और उससे पहले सर्वे करा दें। ट्यूबवेल, पंपिंग सेट या लिफ्ट इर्रीगेशन जो भी मुनासिब हो, वह व्यवस्था आप करें। ट्यूबवेल आपरेटर्स जो हैं, वे तो सियासत में पड़ जाते हैं और परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है। अगर कोई आदमी उनके पास जाता है तभी ये लोग वहां जाते हैं अन्यथा बिना बुलावे वे लोग जाते ही नहीं। इसलिये जो आपके इक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उनको आप सतर्क करें कि बगैर बताये हुये ही वे ट्यूबवेलों को चेक कर लिया करें ताकि वे ठीक से काम करते रहे। इंट्रीज के बारे में भी बताना चहता हूं कि खेतों में बराबर पानी नहीं पहुंचता है। अगर किस आपरेटर से किसी की कोई रंजिश हो गई तो किसान और परेशानी में पड़ जाता है। तो इन चीजों को आप देखें और ऐसा न होन दें।

इसके अलावा कैनाल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इनका ढंग ही निराला है। जिस तरह से अकबरी दरबार लगता था आज कहीं पर तो कल कहीं पर उसी तरह से ये लोग भी अपना दरबार कभी 30-30 मील की दूरी पर और कभी 50-50 मील दूर लगाते हैं। इस तरह से किसान को हैरेस किया जाता है। वह बेचारा किसी प्रकार ले-देकर कुछ न कुछ कर लेता है। इतनी दूर न कोई गवाह ले जा सकता है और न वकील ही ले जा सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप कोई स्थान फिक्स कर दें जहां पर यह कार्य हो सके। साथ ही एक तारीख भी मुकर्रर कर दी जाय तो किसान को सुविधा होगी।

स्पोर्टस् स्टेडियम के बारे में कहना चाहता हूं कि छिबरामऊ में स्पोर्ट्स स्टेडियम नगरपालिका बना रही है उसमें नगरपालिका को सहायता दे। मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट्स स्कूल और युवक केन्द्र आप फर्रुखाबाद में बनायें।

[श्री अनवार जमील]

ताकि यह जो पिछड़ा क्षेत्र है इसको आपके जरिये से कुछ राहत मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में बहुत से कुशल इंजीनियरों द्वारा सिचाई की योजनायें बनाई गई हैं और एक जाल बिछा हुआ है और उसमें किसानों ने बराबर योगदान दिया है और अपनी धरती को सहर्ष छोड़ा है। जमीन घटने पर भी देश का उत्पादन बढ़ा है। हमारे किसान बराबर त्याग करते आये हैं। कहीं नहरें आगे बढ़ाई जा रही हैं, कहीं आने जाने के साधन बनाये जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं और इस तरह किसान की जमीन कटती जा रही है। उसके लिये किसान को जो रकम दी जाती है उसमें बड़ी परेशानी होती है। उसे तीन चार साल तक उसके लिये परिश्रम करना पड़ता है और तब जाकर वह रकम मिल पाती है। इसके अलावा जो रकम उसे मिलती है वह बहुत कम होती है। किसानों की हालत को देखते हुए इस रकम में वृद्धि होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज शारदा सहायक परियोजना, बाराबंकी में दरयागंज से आगे जा रही है और इससे काफी जमीन की सिचाई हो सकेगी। इससे कई जिले लाभान्वित हो सकेंगे। यह नहर भाखड़ा से कम स्तर की नहीं होंगी, इसलिए इसको काफी मजबूती के साथ बनाया जाय और सावधानी के साथ बनाया जाय। थोड़ी सी असावधानी से काफी नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए इसमें कुशल इन्जीनियरों का योगदान होना चाहिए। जनता का काफी धन इसमें खर्च हो रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ी होने पर जनता के पैसे की बरबादी हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे फैजाबाद जिले में पम्प कैनाल महरीपुर में करीब तीन करोड़ रुपया खर्च हुआ और वह बिलकुल बेकार होने जा रही है। इसलिए इसकी तरफ पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि विभाग इस तरफ ध्यान दें कि जहां हमारी नहरें बढ़ाई जा रही हैं वह किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेल और नहरें भी हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नहरों की स्कीम कागजों पर बन जाती है और उस एरिया को कमान्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में वहां सिचाई के साधन नहीं होते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि उस क्षेत्र के किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह से उत्पादन भी बराबर घट रहा है। मिसाल के रूप में हमारे ब्लाक जहांगीरगंज, फैजाबाद में पूर्वी हिस्से में महींपुर पम्प कैनाल है। महरीपुर पम्प कैनाल जो जहांगीरगंज के पूर्व क्षेत्र में मुबारकपुर पीकर की ओर जाती है वहां पर पानी बिलकुल नहीं पहुंच पा रहा है। उसके कारण, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहती हूं। सर्वे विभाग द्वारा ठीक होता है, लेकिन नहरों की खुदाई ऊंची नीची होने के कारण पानी नहीं पूरा पहुंच पाता है। दूसरा कारण यह है कि मुबारकपुर पीकर का हिस्सा काफी दूरी पर है और वहां तक पानी पहुंचते-पहुंचते काफी घट जाता है। नतीजा यह होता है कि वह क्षेत्र असिंचित हो रहा है। वहां आज भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि नहर की खुदाई सन् 1954 में ही हो चुकी है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि विभाग में कभी-कभी अधिकारी, कर्मचारी और ओवरसियर आदि की सांठ-गांठ से विभाग के धन में काफी गड़बड़ी भी हो जाती है, जो हम लोगों की जानकारी में कभी-कभी आते हैं। अत: इस ओर मन्त्री जी को बड़ी नजर रखनी चाहिए। इन शब्दों के साथ विभाग द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन करना चाहती हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर अपने सुझाव देने का समय दिया। साथ ही मैं मन्त्री जी को भी इस प्रगतिशील बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं। अब इसके साथ मैं कुछ सुझाव मन्त्री के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि नलकूपों के द्वारा जो पानी दिया जाता है, उस पानी की बारी-बंधी होनी चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि नलकूपों की सिंचाई उसी रेट से होनी चाहिए, जिस रेट से सिंचाई विभाग में लेने का तरीका है। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि सिंचाई विभाग की ओर से लोगों को पास बुकें जारी की जानी चाहिए, जिससे उसमें लेन और देन दोनों का सही इन्दराज रखा जा सके। क्योंकि अक्सर अमीन जब वसूली करने जाते हैं तो वह रसीदें उल्टी-सीधी देते हैं और वे भी प्राय : खो जाती हैं, जिसमें किसान को पून : परेशान होना पड़ता है। इसलिए काश्तकारों को पास बुकें जरूर जारी होनी चाहिए, जिसमें सारा उसका लेन-देन आ जाए। नहरों के लिए काश्तकारों से जो जमीनें ली जाती हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। मेरे ख्याल में 80 प्रतिशत जमीनों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। काश्तकार बेचारे कचहरी के चक्कर काटा करते हैं। इसलिए इसमें ऐसा प्राविधान किया जाय। काश्तकार की जमीन ली जाए तो उनको मुआवजा शीघ्र ही मिल जाना चाहिए।

ट्यूबवेल आपरेटर्स के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि एक-एक ट्यूबवेल आपरेटर के पास कई-कई नलकूप रहते हैं। उनके नलकूप जल जाते हैं, लेकिन वह उसे नहीं देख पाते हैं और ठीक करने भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हर एक नलकूप पर एक आपरेटर रखा जाय और वह भी ठीक तरह से चल सकें। इसके अलावा एक सुझाव मेरा यह भी है कि नलकूप जब तैयार हो जाए, तो उसकी सारी जिम्मेदारी वहां के ग्राम समाज को सौंप दी जाए। वही उसकी देख-रेख करे और उसके सम्बन्ध में सारी कार्यवाही करे। इसके अलावा जो नलकूप फेल घोषित हो जाते हैं, वे किन कारणों से होते हैं, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उसमें कोई अधिकारी दोषी पायें जायं, तो उसे अवश्य दन्डित किया जाएं, जिससे दूसरे नलकूप सही रूप में बन सकें और फेल न हों। मुझे मालूम हुआ है कि नलकूप विभाग की ओर से नलकूपों के लिए एक वर्कशाप आगरा में बनाया जा रहा है। अगर यह वर्कशाप बनाना तय है तो मेरा सुझाव है कि नलकूप उस जगह पर बनाए जाएं, जहां पर नलकूप दूर-दूर हैं। नलकूप आगरा में और फिरोजाबाद म सफल हुए हैं। यह वर्कशाप आगरा में बनाया जा रहा है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अगर आगरा में वर्कशाप बनाया जाता है तो हर एक को वहां तक आने में कम से कम 90-90, 100-100 किलोमीटर तक चल कर आना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि वर्कशाप बाहा में या फतेहाबाद में खोला जाय। नलकूप जो बनाए जा चुके हैं, जो गांवों के नजदीक हैं वहां पर एक टंकी भी बनाई जाय ताकि वहां पर पानी भी पीने के लिए मिल सके।

इसके अलावा मेरा कुछ सुझाव नहर के सम्बन्ध में भी है। अगर नहर की जो पटरियां हैं पक्की करा दी जाएं, तो जो हर साल पटरी टूट जाती हैं और उसके लिए सरकार को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, वह न खर्च करना पड़े। अब नहर की पटरियों पर ट्रैक्टर और ट्रक भी चलते हैं। नहर की पटरियां कच्ची होने के कारण बेकार हो जाया करती हैं। इसके अलावा एक सुझाव मेरा यह है कि जो गांव नहर के किनारे-किनारे बसे हुए हैं, उन गांवों से नहर के ऊपर तक फुटपाथ बनाया जाय ताकि नहर से कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार दौनेरिया]

न निकले और फुटपाथ पर चल सकें। मैंने जो अभी पदयात्रा के दौरान जो देखा है, उसमें मैंने देखा है कि अगर नहर की इन पुलियों को न बनवाया गया, तो सरकार का लाखों रुपये का नुकसान हो जायगा और सरकार को पुन: इन पुलियों को बनाना पड़ेगा और उसमें अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए नहर विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए जाएं कि जब भी अपने क्षेत्र में वह जाएं तो जो भी विधायक उस क्षेत्र का हो, उसको साथ में लें, जिससे उनकी मौजूदगी में वहां के लोगों की समस्या का समाधान हो सके। नहर कमान्ड को नहर विभाग से कराया जाय। अन्त में मेरा सुझाव यह है कि फतेहाबाद में एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है। अगर वह योजना स्वीकार कर ली जाती है, तो हमारे फतेहाबाद क्षेत्र की सारी समस्या सिंचाई की हल हो जायगी। मैं आशा करता हूं कि इस स्कीम को लेकर मेरे क्षेत्र की समस्या को हल करने की माननीय मन्त्री जी कोशिश करेंगे। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री महोदय, ने जो बजट का प्रस्ताव रखा है वह यों भी मजबूत कहा जायगा, क्योंकि यह आपका खानदानी विभाग है और आपका तजुर्बा होगा। पहले से बड़-बड़ी योजनायें आ रही हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। कृषि प्रधान मुल्क और कृषि प्रधान प्रदेश के लिए अच्छी बात है। अगर बड़ी-बड़ी योजनाओं में टिहरी बांध को देखेंगे कि वहां की सारी जमीन खाली करवाई गई, मकान ले लिए गए। मान्यवर आप देखेंगे कि यह 350 करोड़ की योजना है और शुक्र खुदा का है कि आपने शुरू किया है। 3.5 करोड़ रुपए आप उसमें लगाने जा रहे हैं और 100 साल बाद वह योजना पूरी होगी।

अब मैं कैनाल विभाग में जो मौजूदा सिंचाई के साधन हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी का कारण यह है कि इस विभाग में जो बड़े इन्जीनियर हैं, उनका दबाव न छोटा इन्जीनियर मानता है और जो हमारे छोटे इन्जीनियर हैं न उनका दबाव ओवरसियर मानता है और उसका कारण जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया यह है कि 50 फीसदी पैसा उनके ऊपर के अधिकारियों से नीचे तक बंटवारा होता है तो हर आदमी उससे नत्थी होता है। यही कारण है कि एक आदमी दूसरे पर दबाव नहीं डाल सकता है।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक महरीपुर कैनाल है। उसमें पहला पानी तो ठीक समय से गया, ठीक से बुआई भी हुई लेकिन दूसरा पानी समय से नहीं आया। मैंने इन्जीनियर से बात की। रफीगंज में टांडा का जो इन्जीनियर है उससे तो उन्होंने कहा कि बड़ी गड़बड़ी है। कहां से प्लान होता है? उस समय वहां पर कैनाल की सफाई हो रही थी। मैंने पूछा कि इस समय आप सफाई कर रहे हैं जबकि गेहूं में बाली आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करवाता, फैजाबाद से आदेश आते हैं। दूसरे अगर पहले सिवार निकालते हैं तो किसान हल्ला मचाते हैं। हमारे यहां पर जो बड़ा ही ईमानदार ओवरसियर था, उसका स्थानान्तरण करा दिया गया है। 8-8- मील का सिवार निकाला जाता है लेकिन उसके लिए कोई मजदूर नहीं लगता। वर्क आर्डर इशू हो जाता है। गेहूं में 20-20 दिन बाद पानी आया है। जिससे किसानों का उत्पादन भी गिरा है। श्रीमन, इस विभाग का हमारे साधारण नागरिक से और उपभोक्ता से सीधा सम्बन्ध है.....

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, प्रदेश में कुछ कमियां अवश्य हैं, लेकिन.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बोलने की कौन सी आवश्यकत पड़ गई? आप बैठने की कृपा करें।

(सदस्य के न बैठने और कुछ बोलते रहने पर)

यह नहीं लिखा जायगा, आपको व्यवधान करने की जरूरत नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद--

आपने जो यह विभाग सम्भाला है इसके लिए पूरा प्रदेश और पूरा सदन आप पर विश्वास रखता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं कि आप अपने विभाग में बड़ी सतर्कता रखते हैं।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर महरी गोरामोहम्मद एक माइनर है। सुकरा युशुफपुर गांव उसके चारों ओर निचली जमीन है। वह सब कैनाल के पानी से डूबी हुई है। 7 तारीख को वहां पर गांव में मोटर साइकिल पर सवार होकर 2 अधिकारी दौरा करने गए थे। हमारे कुंवर साहब ने ठीक ही कहा है कि एक पुलिया गांव से बहुत दूर पर स्थिति है और एक पुलिया दूसरी ओर। तो जानवरों के जाने से जो रास्ता होता है उससे कैनाल कट जाती है। और कटने के बाद जब पानी आता है तो चूंकि इन्जीनियर पर दूसरे इन्जीनियर का प्रभाव नहीं है, वह कैनाल रोड पर फियट से दौरा कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां उस विभाग के उच्चाधिकारी बैठे हैं, आपका नियोजन विभाग और सिंचाई विभाग जनता से इतना सम्बन्ध रखता है, लेकिन ये अधिकारी उन किसानों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। कालोनी में गए एक घंटे के लिए और उसके बाद दौरे पर गए, कोई किसान का सम्बन्ध नहीं हुआ, कोई खेत नहीं देखा, डूबे गांव को छोड़ दीजिए। यह हालत है। अपने क्षेत्र की बात कहूंगा कि रोड से एक दम कट है--कोई सड़क नहीं है, आस-पास रामरती का, जंग बहादुर सिंह का और हमारे निशान भाई का क्षेत्र है। वह ऐसा है कि जहां कि गन्ने का उत्पादन इतना ऊंचा हो सकता है कि देवरिया के बराबर हो सकता है। वहां कैनाल है--रोड नहीं है। मैंने महमूद अली, तिवारी जी से भी उद्योग की मीटिंग में कहा था कि एक कैनाल जो रामरती के क्षेत्र से निकलती है और कट होकर जंग बहादुर के घर तक गयी है, वह इतनी महत्वपूर्ण है कि रतना शुगर फैक्टरी को इतना गन्ना आ सकता है लेकिन वहां का गन्ना वंचित है, इसको अपने प्लान के अनुसार पक्का रोड करवाने की कोशिश करें।

मैं ट्यूबवेल पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में एक साल पहले मैंने ट्यूबवेल मांगा था, मंजूर भी हुआ। पिछली बी० डी० सी० की मीटिंग में भी एक साल पहले सुनन को मिला कि उस पर विचार ही नहीं हो रहा है वह मंजूर भी हो गया। जब इन्जीनियर ने कहा कि 15 दिन में लग जायगा तो वहां किसानों ने खुशी मनायी, लेकिन बी० डी० सी० की मीटिंग खत्म हो गयी। साथ ही जैसा कुंवर श्रीपाल सिंह ने कहा है पतरौल गलत एन्ट्री करते हैं। हमारी खेती मशीन से हुई थी, लेकिन पूरी सिंचाई हमको देनी पड़ी कैनाल से।

श्री उपाध्यक्ष --

समाप्त करने की कृपा करें।

श्री भगवती प्रसाद--

आप इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें।

श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो यह बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है, दिनोंदिन उसमें बढ़ोत्तरी देखकर मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस कुर्सी पर विराजमान हैं, जिस पर आपके पिताजी विराजमान थे। सिवाय, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर को छोड़कर सिंचाई के मामले में मध्य के और पूर्वांचल के जिले बिलकुल वंचित थे, लेकिन

[श्री रघुबीर]
यह त्रिपाठी जी की देन है कि हम मध्य और पूरब के लोगों के आंसू पोंछे गए। आज हमको ट्यूबवेल और नहर देखने के लिए मिल रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य सिचाई सम्बन्धी अपने सुझावों को प्रस्तुत किए हैं, लेकिन मैं बाढ़ के सिलसिले में आप से निवेदन करूंगा। पूर्वांचल के, जैसे बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, ये जिले हमेशा बाढ़ से बरबाद रहते हैं। कभी सूखा, कभी बाढ़। इसके लिए कोई मुख्य समाधान अभी तक नहीं निकल सका। पूर्वांचल के किसान जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनकी सारी फसल बरबाद होती है, जिनके मवेशी और जिनके खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, जिनके मकान तक कट कर दरिया में चले जाते हैं इनकी मुसीबतों का कोई मुस्तकिल समाधान अभी तक नहीं ढूंढ़ा गया। हमारे मंत्री जी नौजवान हैं, हमें आशा है कि वह इस ओर विशेष ध्यान देंगे, उनका सुझाव भी इस तरफ है, वह पूर्वांचल जिलों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने का प्रयत्न करेंगे।

इस विभाग पर मुझे तरस आता है। मैंने सन् 1974 में एक प्रश्न किया था। हमारे क्षेत्र में एक नाला है गोधनी। सन् 1970 की बाढ़ में उसके किनारे के किसान क्यों बरबाद हुए ? इसलिए कि उस पर जो पुलिया हैं वह छोटी बनी हैं। उनके ऊपर से अथाह जल बह रहा था। जब मैंने यह प्रश्न किया तो इस विभाग ने उत्तर दिया कि टमसा नदी के दबाव से यह बाढ़ आ गयी जबकि टमसा नदी से 50 मील की दूरी पर वह बाढ़ आयी थी और 2 मील तक उसका दबाव था। लेकिन इतने घपले का उत्तर दिया जाता है और आपके इन्जीनियर और चीफ इन्जीनियर इस तरह से आपको और सदन को घपले में डालते हैं। आप उस नाले का सर्वे करायें। उसकी पुलियों का गलत निर्माण हुआ है जिसके कारण निकट के काश्तकारों की सारी फसल बरबाद होती है।

इसी तरह से बलिया जिले में एक गाढ़ा ताल है। जिसकी बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं। यह रतनापुरा ब्लाक में है। इस गाढ़ा ताल के एक नगवा ड्रैन निकाली गयी है। वह सीतापुर कुंड में रेगूलेट लगाकर टमसा नदी में गिरायी गयी है। इसका मुहाना इतना ऊंचाई पर है कि बाढ़ का पानी वहां पहुंच ही नहीं सकता और सैकड़ों गांव तबाह हो जाते हैं। उस ठेकेदार ने अपने फायदे के लिए क्योंकि उसी एरिया में उसका मकान पड़ता है, गलत निर्माण किया। सन् 1962 से मैं यह सुझाव बराबर दे रहा हूं लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। घोसी से एक नाला जाता है रतनपुरा जो रेलवे लाइन पार करके गाढ़ा ताल में गिरता है। महज 3 फर्लांग जहां नाला इस पर गिरता है वहां से भी और नगवा ड्रैन की दूरी ही उसकी खुदाई करा कर उसका पानी नगवा ड्रैन में गिरा दें तो सैकड़ों गांव जो बाढ़ से बरबाद होते हैं वह सुरक्षित हो जायेंगे।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में एक गोसलपुर असावर गोविन्द-पुर नाम का बन्धा है 20 मील लम्बा। सरकार लाखों रुपये सालाना उसकी मरम्मत पर खर्च करती है। इस बन्धे को सिधागरघाट रोड में मिला दें और उस बन्धे को पुख्ता करा दें तो पूर्वांचल की जनता जो कभी सोच नहीं पाती है कि हमारे लिए कोई रास्ता मिलेगा। 5-5, 6-6 मील पैदल चल कर बलिया और गाजीपुर पहुंच पाते हैं, अगर इस बन्धे को पुख्ता करा दें और 2 मील और सड़कतुमा बना कर पक्का करा दें तो वहां की जनता को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा आप नहर की पटरियों को पुख्ता करा दें तो किसानों को बहुत सहूलियत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई अनुदान पर बोलने के लिए समय दिया। मान्यवर, प्रदेश में जो सिंचाई व्यवस्था है और जिसे मैंने देखा है मेरा

यह फर्ज हो जाता है कि मैं उसकी प्रशंसा करूं और जो काम नहीं हुए हैं, उनकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूं। पहले जो सिंचाई की व्यवस्था थी उसमें नहरों द्वारा जो पानी जाता था उसमें लोग खंदी काट लिया करते थे। वे सोचते थे कि अब एक दो दिन से ज्यादा तो पानी आएगा नहीं, इसलिए वे बम्बों और नालियों को काट लिया करते थे। उसका नतीजा यह होता था कि गरीब आदमी को पानी नहीं मिल पाता था। इस व्यवस्था में अब बहुत कुछ सुधार हुआ है। अब 4-5 हफ्तों तक पानी आता है। अब लोगों को यह विश्वास हो गया है है कि अब तो पानी कई दिन तक आएगा इसलिए वे पहले की तरह बीच में ही बम्बो नालियों को नहीं काटते। इसका नतीजा यह हुआ है कि गरीब आदमी को पानी मिल जाता है। उनको यह धीरज बंधा है कि अब पानी आता रहेगा। उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस ओर जो सुधार हुआ है उसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

आपने मान्यवर, गत वर्ष हमारे क्षेत्र में जाने की कृपा की थी और वहां के निवासियों को सम्बोधित भी किया था। आपका भी सौभाग्य से वहीं जन्म हुआ है। वहां के निवासियों के प्रति आपका स्नेह भी रहा है। आप जब वहां गए थे तो हमने आपके सामने कुछ प्रार्थना भी की थी। जमुना, चम्बल, कवारी, सेन्ध और पहुजा 5 नदियां हमारे क्षेत्र में आकर मिलती हैं। जाजेपुरा, सिन्डौस, चौरेला, बिन्दवा, गढ़ीमंगद, कचैहरी, कालेश्वर की गढ़ियां आदि गांवों क यह इलाके सदा ही उपेक्षा की दृष्टि से देखे गए हैं। हमारे पड़ोस के क्षत्र में जो भिन्ड (मध्य प्रदेश) से मिलता है वहां जब हम देखते हैं कि हर सुविधा उपलब्ध है और हमारे यहां कुछ भी नहीं हुआ तो देख कर बड़ी निराशा होती है। इसी तरह सेंगर नदी के किनारों पर जो गांव बसे हुए हैं वहां स्टेट ट्यूबवेल्स की व्यवस्था होना चाहिए। सेंगर नदी के दोनों किनारों पर जो यह पट्टियां हैं--जुआ-मुड़ैना-फूटेताल का एक क्षेत्र, बल्लापुर, सुअटपुर, नगरा भोज का क्षेत्र, मदसिंह का पुरवा, सौरीगढ़िया का क्षेत्र, सतहढ़ी, व्यौरा नबलपुर का एक क्षेत्र, ऊंचाबहादुरपुर और हरसहायपुर का क्षेत्र, पड़रिया, हैदलपुर, रमपुरा, परतापुर का क्षेत्र, बखरिया, शहबादपुर, हिंगुठिया का क्षेत्र, दासपुर मानपुर का क्षेत्र, त्योरलालपुर, खड़का बसन्तपुर, आयाना, फरिहा, बीझलपुर, जूहीखा आदि स्थानों पर सरकारी नलकूपों की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा मान्यवर, हमारे यहां पचनद बांध का सर्वे हो रहा है, मेरा निवेदन है कि उसको प्राथमिकता दी जाय और काम शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह जो इतने नाम इतने जल्दी-जल्दी कह रहे हैं इनको लिखे जाने में दिक्कत हो रही है।

श्री गौरी शंकर--

मैं बाद में लिखा दूंगा। मैंने जो यह गांव बताए हैं, यहां 3-4 गांव को मिला कर यदि एक नलकूप दे दिया जाय तो यह पानी की समस्या हल हो सकती है। इससे किसानों का बड़ा हित होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

निश्चय ही ये इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं।

श्री गौरी शंकर--

जी हां, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। इस ओर मन्त्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। यह वह क्षेत्र है जहां 5 नदियां आकर एक जगह मिलती हैं। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जहां 5 नदियां आकर एक जगह मिलती हों। यदि इस अथाह जल

[श्री गौरी शंकर]

का प्रयोग किया जाय, बांध को बनाया जाय, तो इससे प्रदेश का काफी लाभ हो सकेगा। जिस स्थान पर आज तक कुछ पैदा ही नहीं हुआ है वहां आप देखेंगे कि काफी पैदा होने लगेगा। किसी तरह के सतुवा-पिलुआ और बेर खाकर लोग रहते हैं। बकरी पालन के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इस उपेक्षित क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देकर एक योजना बनाने की कृपा करें। स्टेट ट्यूबवल्स लगाने का जब प्रश्न आएगा तो आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा कि हम चाहते तो हैं कि स्टेट ट्यूबवेल लगाया जाय, हम चाहते तो हैं कि पंचनद पर बन्धे बने लेकिन हमारी रिग मशीन कहां से जाय, बन्धे बनाने के लिए जो और बड़ी-बड़ी मशीन हैं वे कहां से जाएं। इसके लिए आपको निश्चित रूप से जुआ-मीखेपुर-जुहीखां मार्ग, बाबरपुर–सिकरोड़ी मार्ग, अटसू-अछलन्दा मार्ग और अटसू-अहेरीपुर मार्ग को बनाना होगा। यमुना-चम्बल-क्वारी के बीच में जो लोग रहते हैं उनकी ओर आपका ध्यान खासतौर से आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र ने हमेशा कांग्रेसी एम0 एल0 ए0 को चुन कर भेजा ह लकिन 27 साल के बाद भी उस क्षेत्र के लोगों को कुछ नहीं मिला। वहीं अजीमतल प्रोजेक्ट बना है। अजीतमल (इटावा) भारत के प्लानिंग की जन्म भूमि है। यह वही इटावा है जहां स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस का जन्म दिया, यह वही ह्यम का इटावा है जिसने कांग्रेस के लिये अपना सब कुछ स्वाहा किया। वहां के निवासियों ने आखिर क्या कसूर किया है जो उनके प्रति इस तरह के उपेक्षा बरती जा रही है? मुझे तो जुमे-जुमे 8 दिन आए हुए लेकिन 20 वर्ष से वहां से कांग्रेस के एम0ए, ल0ए0 सदस्य बराबर आते रहे। वे सीधे सादे थे और अपने क्षेत्र के लिए सब कुछ कहते रहे लेकिन उस क्षेत्र की बराबर ही उपेक्षा होती रही, चाहे सड़क की बात हो चाहे बांध की बात हो, चाहे स्टेट ट्यूववेल की बात हो।

वहां एक कोआपरेटिव शुगर मिल बनाने की बात है और अजीतमल प्रोजेक्ट के सैचुरेशन देने की तरफ काम चल रहा है। मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि आप वहां जाकर देखें कि जून-जुलाई के महीने में गर्मी की लपटें खाते हुए लोग अपनी गुजर कसे करते हैं। वहां का कोई मन्त्री नहीं बना, वहां का कोई वी0 आई0 पी0 नहीं है, इसीलिए, 'मदर स्वायल आफ दि प्लानिंग' होते हुए भी इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। मान्यवर, आप शतायु हों, और वर्षों तक शासन में सक्रिय रहें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब कि मैं स्टूडेंट लीडर था तब से आपसे मेरा सम्पर्क रहा है और मैं निश्चित रूप से आपकी कार्यकुशलता एवं उदार हृदयता का प्रशंसक रहा हूं। इसलिए कह सकता हूं कि उस क्षेत्र का मैं एक वकील के नाते कि वहां की बहुत बड़ी उपेक्षा की गयी है इसलिए आप इस क्षेत्र के विकास करने की कृपा करें। मैं निजी पत्र द्वारा भी समय-समय पर आपका ध्यान इधर आकृष्ट करता रहूंगा इन शब्दों के साथ मैं सिचाई सम्बन्धी अनुदान का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, आपन बड़ी कृपा की कि मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मन्त्री महोदय ने जो सिचाई का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद यह देखने में आया है कि सिचाई के साधन बढ़ाए जा रहे हैं। जितनी भी पंच-वर्षीय योजनायें बनायी गयी हैं उनमें कहा गया है कि किसानों को सुविधा देने के लिए हर प्रकार की प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। पिछले वर्ष मान्यवर, जितने भी ट्यूबवेल विभाग ने बनाने का आश्वासन इस पवित्र सदन में दिया था और जिलों को एलाटमेंट भी भेजा गया था लेकिन न जाने किस कारण से वह रोक दिए गये। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिन-जिन जिलों का कोटा काटा गया था वह कोटा और इस बार का कोटा वहां भेजा जाय ताकि जो काम पिछड़ा गया था वह तेजी से हो सके। एक समय था जब पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल की चर्चाएं ही होती थीं, लेकिन आज

100-125 ट्यूबवेलों का आबंटन एक-एक जिलों में किया गया है। मैं मन्त्री जी को उनकी महानता के लिए धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं। मान्यवर, इसमें 2 राय नहीं हैं कि जहां काम होत है वहां गड़बड़ी भी होती है। यदि विभाग के अधिकारी भूलवश या दवाब में आकर कोई गलत काम कर देता है तो उसे सजा भी मिल जाती है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करूंगा मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय उस पर ध्यान देंगे। पिछले वर्ष मान्यवर, मैं इस्टीमेट कमेटी के द्वारा कुछ पश्चिमी जिलों के अन्दर दौरा करने गया था। उस समय मुझे जो अनुभव हुआ उसे मैं यहां रखना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे यह मालूम हुआ कि हरिद्वार में सिंचाई विभाग में एक बहुत पुरानी परम्परा चली आ रही है, आई0 डी0 स्पेशीफिकेशन। जो कि बहुत पुरानी परम्परा है जिसको बहुत पहले बनाया गया था। इसमें यह है कि जब किसी नहर में ईंटें लगायी जाती हैं तो ईंटों को हथौड़ी से बजाया जाता है। टन-टन की आवाज आती है तो उसको ठीक मानते हैं।

मान्यवर, आज के वैज्ञानिक युग में इसकी कोई जरूरत नहीं है। हर जगह, पी0 डब्ल्यू0 डी0 में और अन्य विभागों में वजन से ताकत की माप हो सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इतनी पुरानी परम्परा को समाप्त करके इन्जीनियरों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाय, ऐसे इन्स्ट्रूमैंट्स दिए जाएं जिससे ईंट का वजन लेकर या तौलकर उसकी ताकत का अन्दाजा लगाया जा सके कि कितने दिन यह ईंट स्थिर रह सकती है, और कितने दिन गलेगी नहीं? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस पुरानी व्यवस्था को आज के बहुत से इन्जीनियर जानते भी नहीं हैं। ऐसे बहुत से पुराने लोग इन्जीनियर जो मैदानों से आकर डाइरेक्ट्रेट में बैठ गए हैं उनको तो अनुभव हो सकता है लेकिन जो नौजवान इन्जीनियर हैं वह शायद इसको जानते भी नहीं होंगे, ऐसा मुझे अनुभव है और ऐसा बतलाया गया है। मान्यवर, यह मेरी शिकायत नहीं है बल्कि यह एक सुझाव है आशा है कि इस पुरानी व्यवस्था को दूर करने की तरफ ध्यान देंगे।

मान्यवर, डिवीजनों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। वहां पर मुझे मालूम हुआ कि एक साल में एक इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को 46 लाख रुपए का काम कराना होता है लेकिन देखा यह जा रहा है कि एक इन्जीनियर के द्वारा बड़े-बड़े कार्यक्रम हैं, 15-15 करोड़ रुपए की स्कीमें बनाई जा रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज इस बेकारी के युग में जब इतने इन्जीनियर पढ़ कर निकल चुके हैं तो डिवीजनों का और विस्तार किया जाय। इतना ज्यादा काम एक इन्जीनियर को न दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर मन्त्री महोदय इस पर विचार विमर्श करें। एक साल में 46 लाख से अधिक का काम नहीं दिया जाना चाहिए। एक ही इन्जीनियर को इतना काम देने से समय लगता है और झगड़ा होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, आज आप देख रहे हैं कि कितनी डिवीजनों की मीटिंग होती हैं, कितनी जिले में मीटिंग्स होती हैं और इन्जीनियरों को उसमें जाना आना पड़ता है जिससे उनकी इनर्जी वेस्ट होती है? इसकी जगह पर नहरों पर, साइट पर, मौके पर अगर वह कार्य में अपनी इनर्जी को वेस्ट करें तो मैं समझता हूं कि अच्छा हो। इसलिए निवेदन करूंगा कि मीटिंग्स का सिलसिला कम किया जाय। क्योंकि हमारी प्रधान मन्त्री जी का भी कहना है, 'काम अधिक बातें कम।

एक सदस्य—

'काम अधिक बातें कम' इस सिद्धान्त को आप भी मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य समाप्त करने की कृपा करें।

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

मान्यवर, 1 मिनट और लूंगा।

मान्यवर, विभाग में एक यह भी पुरानी व्यवस्था है कि एक ओवरसियर को 6 आन का कागज, पेंसिलं और रबर दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आज के हिसाब से विचार किया जाय कि 6 आने में पेंसिल नहीं खरीद सकते और ठेकेदार से वह लेते हैं। यदि वह उससे लेता है तो उसका खमियाजा भी देना पड़ेगा। इन सुझावों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि मन्त्री जी काफी उत्साही नवयुवक और कार्यक्षम व्यक्ति हैं जिसका परिणाम है कि गतवर्ष में केवल 80 ट्यूबवेल बने थे। लेकिन इन्होंने अपने प्रयास से हजारों ट्यूबवेल लगाने के लिए अपने भाषण में कहा है। साथ ही लगभग सात लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई की व्यवस्था विभिन्न साधनों से करने की योजना इस साल रखी है। मैं बुनियादी बातों की ओर अब ध्यान देना चाहता हूं और वह यह है कि संविधान द्वारा प्रदत्त हमारा समानता का अधिकार है। उस समानता के अधिकार में विषमता उत्पन्न होती है जो क्षेत्रीय विषमता होती है। मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने से, हमारे पश्चिमी जिले के भाई बुरा नहीं मानेंगे मैं उनके प्रति जरा भी द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं रखता हूं केवल न्याय की बात कहना चाहता हूं, समानता का सिद्धान्त अंग्रेजों ने तोड़ा था। पूर्वी जिले को कुली क्षेत्र बनाकर यहां के मजदूर दूसरे देशों में हर कहीं भेजे जाते थे जहां काम कराने की आवश्यकता थी, जबकि पश्चिम जिले में पहले गंगा नहर निकाली गयी थी और तमाम सिंचाई के साधन उत्पन्न किए गए थे। मान्यवर, वह विषमता दूर होनी चाहिए। संविधान के समानता के आधार पर सभी को बराबरी मिलनी चाहिए। यदि माता के चार पुत्र हैं और उनमें एक बीमार है तो वह उसके लिए विशेष पौष्टिक आहार तथा दवा करती है, वैसे ही सरकार का कर्त्तव्य है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको समानता के स्तर पर लावे और उसके बाद सबका सर्वांगीण समान विकास किया जाय।

मान्यवर, जो पूर्वी जिले हैं और मध्य के जिले तथा बुन्देलखंड के जिले हैं वह बाढ़, सूखा आदि समस्याओं से ग्रस्त हैं। कृषि हमारी आर्थिक उत्थान की रीढ़ है। इसलिए उसमें सिंचाई का सबसे पहला स्थान होता है। सिंचाई के लिए और कृषि की उन्नति के लिए साधन हमको सरकार को देना है और बाढ़ से सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। दो वर्ष पूर्व हमने सर्वप्रथम जलकुंडी योजना बनाने के लिए नेपाल सरकार का सहयोग लेने हेतु इस सदन में कहा था। हाल में नेपाल के राजदूत आए थे लेकिन जलकुन्डी योजना के स्थान पर बालू बंका नामक वह दूसरी योजना पर विचार कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इस सरकार से और इसके द्वारा भारत सरकार से कि जलकुन्डी, पंचकुंली योजना और करनाली योजना न बनाने से उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए उनको बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।

साथ ही मान्यवर, मैं कुछ अपने क्षेत्र और जिला बस्ती के विषय में कहना चाहता हूं। मन्त्री जी ने कहा कि 50 ट्यूबवेल बान गंगा नहर पर दे रहे हैं। इनसे पानी निकालकर नहर में डाला जायगा क्योंकि नैपाल ने अपनी सीमा में कोई बांध बना लिया है। पहली बात तो यह है कि इन 50 नलकूप से कितना पानी निकलेगा जिसे यह नहर में डालेंगे। दूसरे यह कि यह

ट्यूबवेल नहर में पानी डालने के लिए दे रहे हैं तो इनको हमारे जिले बस्ती में मिलने वाले इस वर्ष के ट्यूबवेल्स के साधारण कोटे में न जोड़ा जाय साथ ही मेरा यह निवेदन है कि प्रति घंटे की दर से जो सिंचाई कर देना पड़ता था उसके स्थान पर अब प्रति एकड़ 40 रुपया दूसरी फसलों के लिए, 50 रुपया आलू के लिए और 60 रुपया गन्ने की फसल के लिए किया गया तो इसमें एक शंका उठती है कि अगर मशीन खराब हो गयी या ट्रान्सफारमर चोरी हो गया तो पानी चलेगा नहीं और किसान पर कर लग जायेगा मान्यवर, ऐसा देखा गया है कि अगर जरा सा भी पानी नहर के किनारे खेत में चला गया और पूरी सिंचाई नहीं हुई तो भी पतरौल कर लगा देते हैं । तो इस ओर मन्त्री जी विचार कर लें। मान्यवर, बस्ती का उत्तर राप्ती सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। यहां बूढ़ी राप्ती, बान गंगा, चरंगहवा, भांवर, दबलाठी, सातेवा, बिलार तथा रोहिन आदि-आदि नदी नाले हैं जिनसे पूरा उत्तर राप्ती क्षेत्र तबाह हो जाता है। गोन्डा से लेकर गोरखपुर तक पूरी नौगढ़ तहसील, डुमरिया तहसील, बांसी तहसील तबाह हो जाती है तो इसके लिए कोई मोहाना बनावें और सर्वे करावें दो वर्ष से मैं कहता आ रहा हूं, लेकिन कोई ध्यान शासन ने नहीं दिया। मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि 200 नलकूप सहकारी चीनी मिलों के एरिया में गन्ना उत्पादन के लिए देने जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र रमवापुर कली में भी एक सहकारी खंडसारी चीनी मिल है, वहां भी हिस्सा मुताबिक पर्याप्त ट्यूबवेल बनवाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने को अवसर दिया। मैंने त्रिपाठी जी के भाषण को सुना तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि एक महान् पिता के वह एक महान् पुत्र हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई योजना के सम्बन्ध में हमारी प्रधान मन्त्री ने जो चाहा है उसको वह तीव्रता और लगन से कर रहे हैं। लेकिन जहां मैं यह सब चीजें उनके भाषण में सुनता रहा तो मुझे एक आशंका है। जितने ट्यूबवेल्स आप बना रहे हैं जिससे कि जो जल धरती का ऊपर आ रहा है, एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि उस धरती का पानी सूख जाय और आपके ये ट्यूबवेल्स फेल हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

क्या इस आशंका से ट्यूबवेल्स का लगाना बन्द कर दिया जाय ?

श्री प्रेमदत्त––

मेरा यह कहना है कि पानी जो नीचे है उसका भी सर्वेक्षण करते रहना चाहिए। जैसे कि अमरीका में होता है कि धरती के नीचे पानी का रीफिलिंग भी किया जाता है। अगर यहां पर भी रीफिलिंग नहीं होगी तो आगे चलकर कठिन स्थिति किसी समय पदा हो सकती है। जिस पेड़ के द्वारा वर्षा का जल धरती के नीचे चला जाता है और अगर धरती के नीचे वह न जाय तो पानी का स्ट्रेटा कम हो जाएगा। इसलिये यह कार्य भी करना आवश्यक है। जैसा कि आपने शारदा, गन्डक और रामगंगा परियोजनाओं के बारे में बताया कि उसके बारे में यह निवेदन करना है कि आपके विभाग में नहर का एक कमान्ड एरिया बन जाता ह। यह भी शिकायतें होती हैं कि वहां पर ट्यूबवेल्स नहीं लग पाते हैं आप यह सर्वे करवा लें कि जिन एरियाज में नहरों के द्वारा पानी 5 साल से अधिक से नहीं पहुंचा है वहां पर ट्यूबवेल्स लगाने की व्यवस्था की जाय या दूसरे साधन उपलब्ध करवाए जाएं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रेमदत्त]

हमारे प्रदेश में धनाभाव है। आर्य जी भी बैठे हैं। जो सर्विस रोड्स हैं नहरों के किनारे उनको पक्की करवाया जाय। इससे आवागमन के साधन सुलभ होंगे साथ ही सिचाई की सुविधा में भी सहायता मिल जाएगी। इन नहर रोड्स को पक्का जरूर करवाया जाय, साथ ही वे स्थान जहां से नहरें निकलती हैं वहां के दुर्गम मार्ग भी व्यवस्थित और पक्के करवाए जायं।

इसी प्रकार जो इसमें दफा 70 है कैनाल ऐक्ट में, उसमें जो सजा का प्राविधान किया गया है, वह बहुत ही कम है। होता यह है कि काश्तकार काट लेता है और उसके ऊपर 100 रुपए का जुरमाना होता है। बस इतनी ही सजा का प्राविधान है। मेरा यह सुझाव ह कि नहरों का पानी काटने वाले को 6 महीने की सजा दी जानी चाहिए और यह नान-बेलेबुल आफेन्स होना चाहिए जिससे फिर कोई नहरों को काटने का साहस न कर सके। इसी प्रकार से यह निवेदन है कि जो ट्यूबवेल्स लग रहे हैं उनमें यह दिक्कत पड़ती है कि कहीं-कहीं तो ट्रान्सफारमर्स नहीं हैं या फिर स्टार्टर ही नहीं है। बात यह है कि विद्युत् विभाग का इसमें समन्वय बहुत कम है, जो होना चाहिए। ट्यूबवेल्स से विद्युत् विभाग का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है और इसमें कोआर्डिनेशन का होना बहुत आवश्यक है। जिससे कि यह बहाना न हो सकें कि ट्रान्सफारमर्स या स्टार्टर नहीं मिल रहे हैं। ऐसा होने से जनता को और काश्तकारों की परेशानी दूर हो जाएगी।

नहरें जो बांटी जाती हैं उन पर बहुत बड़ा अधिकार अधिकारियों का है। इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई जाय उसमें विधायकों को भी रखा जाय, जिनको इन्सपेक्शन करने का अधिकार हो और वे रिपोर्ट दें। मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में भी यह कहना चाहता हूं। कि जमुना से 16 किलोमीटर उत्तर में राजस्व विभाग ने कानपुर, इटावा, इलाहाबाद तथा फतेहपुर का जो इलाका पड़ता है, उसे बुन्देलखंड की परिभाषा में माना है। सिचाई विभाग ने उसे कोई महत्व नहीं दिया है जब कि वहां पानी की कमी पाई जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

इलाहाबाद, आगरा का कुछ क्षेत्र बुन्देलखंड एरिया में ले लिया गया है।

श्री प्रेमदत्त—

यह सही है। राजस्व विभाग ने जिस एरिया को बुन्देलखंड एरिया माना है अगर उसको बुन्देलखंड की योजना में ले लिया जाय तो जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा यह भी निवेदन है कि इसके साथ जमुना की जो बेल्ट है इसका सर्वेक्षण करा दें ताकि सिचाई की कोई योजना बन सके। क्योंकि वहां सिचाई के साधन न होने से वहां की फसल अच्छी नहीं हो पाती है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि दो नहरें बनी हैं, डाड़ामोली व दपसौरा। वहां लिफ्ट योजना बनाने की आवश्यकता है। हमारे यहां एक गांव है कोरवा, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर वहां पर अगर नाला बड़ा कर दिया जाय तो हर साल जो दो-तीन गांव डूब जाते हैं वे डूबने से बच जायेंगे। इसके लिए सर्वेक्षण कराने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र उन्नाव जिला नहरी क्षेत्र का जिला है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां नहरों से पानी नहीं पहुंच पाता है वहां कोई सिचाई की सुविधा नहीं है। पूरे लखनऊ मन्डल में उन्नाव जिले में ट्यूबवेल सब से कम हैं। पिछले साल उन्नाव को कोई ट्यूबवेल नहीं दिया गया था लेकिन इस साल केवल 8 ट्यूबवेल दिए गये हैं।

श्री लोकपति—

40 दिए गए हैं।

श्री भीखा लाल—

32 और बढ़ा दिए गए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरे मुझे यह निवेदन करना है कि सिंचाई विभाग ने शारदा सहायक परियोजना चलाई और हमें उम्मीद है कि यह नहर एक डेढ़ साल में बन कर तैयार हो जाएगी और इसके बन जाने से सिंचाई का रकबा काफी बढ़ जायगा। लेकिन शारदा सहायक परियोजना से भविष्य में जो असर पड़ने वाला है इसकी बाबत विभाग को कुछ सोचना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि विभाग ने कुछ सोचा न होगा। लेकिन उस पर हम समझते हैं कि अभी तक कोई अमल शुरू नहीं हुआ है। समस्या यह है कि शारदा सहायक परियोजना पूरी हो जाने से शारदा कैनाल की लखनऊ ब्रांच राय-बरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से आगे नहीं जाएगी और इस प्रकार उसका पानी सरप्लस हो जाएगा। अभी तक इसका पानी राय बरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर तक जाता था। इस लिए मैं मांग करूंगा कि उसके रजबहे और माइनर नए निकाल जाएं। विभाग इसके लिए सर्वे कराए। हमारे यहां 2-3 माइनर्स की डिमान्ड्स बहुत दिनों से चली आ रही हैं। एक इलाका वहां पर ऐसा है जहां कि कोई भी सिंचाई की सुविधा नहीं दी गई है। लखनऊ ब्रांच के मील नम्बर 75 और 76 पर ढकवा से एक माइनर निकालने की मांग ह जिससे रामपुर, खंजरी, लहरू, ताल्ही, अल्दो इत्यादि गांवों की सिंचाई होगी जो कि बिलकुल सूखे पड़े हुए हैं। इसी प्रकार मील नं0 97, 98 से इस माइनर की मांग जिससे संकरा, दोना, गहलवारा, इब्राहीमगंज, पुरैना, गढ़ीचुनाती इत्यादि गांव की सिंचाई होगी। इन नहरों की बड़ी डिमान्ड है। अतः मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि विभाग इनकी तरफ सोचे और नई डिमान्ड्स जो आएं उनके लिए योजना बनाये। साथ ही जो मौजूदा रजबहे और माइनर्स हैं उनको भी चौड़ा किया जाय और लम्बाई बढ़ाई जाय ताकि जो सरप्लस पानी हो, उसका ठीक तरह से उपयोग हो सकें। इसी प्रकार उन्नाव जिले में कई असिंचित क्षेत्र हैं जिनके लिए योजनायें बनायी जानी चाहिए। यही दो बातें मुझे निवेदन करनी थी।

*श्री राजपाल (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रस्तुत बजट बहुत प्रगतिशील है। हमारी जानकारी में यह पहला बजट है जब कि विस्तृत रूप से सिंचाई की योजनाएं चालू की गई हैं। मैं सिंचाई मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और यह आशा करता हूं कि जो बजट उन्होंने पेश किया है उसकी रूपरेखा को देखते हुए हृदय में यह बात आयी कि वे कुछ करना चाहते हैं। हमें आशा है कि वे उन कमियों पर ध्यान देंगे जैसा कि हमारे भाई कह रहे थे कि मेरठ में वेस्ट में नहरें पहले थीं उनकी अब क्या दशा है? तो यह भी देखने की चीज है। मुझे अपने सिंचाई मन्त्री से पूर्ण आशा है कि वे इस तरफ अवश्य ध्यान देंगे। गंगा नहर हमारे क्षेत्र से होकर बह रही है लेकिन इसके रख-रखाव की जो आज दशा है वह शोचनीय है। यह बिलकुल स्पष्ट बात है कि एस0 ई0 और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर जो हैं वे दौरा नहीं करते हैं। क्योंकि वे तो पक्की सड़कों पर दौरा करते हैं कच्ची सड़कों में वह कैसे जा सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि अगर कोई रास्ता पक्का है जैसे मेरे गांव निवाड़ी मुरादनगर जाना है तो यह नहर की पटरी से 13 किलोमीटर है और मोदीनगर से जाना हो तो वहां से 18 किलोमीटर है। तो ये लोग पक्की रोड में जायेंगे, कच्ची रोड में नहीं जायेंगे। गूलों और रजबहों पर तो जाने का कोई सवाल नही नहीं है। नहर का इन्सपेक्शन हाउस है, उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजपाल]

ठहरने और उसकी देखभाल का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये इन्सपेक्शन हाउस किसी जमाने में बहुत अच्छे थे, आज वे बहुत खराब दशा में हैं। इनमें केवल असामाजिक तत्व ही रात में ठहरते हैं और पटरियों पर भी वही लोग चलते हैं। चार-पांच महीने पहले एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर मंसूरी इन्सपेक्शन हाउस में ठहरे तो रात में 7, 8 बजे बिजली फेल हो गई वह जाकर दूसरी इन्सपेक्शन हाउस में गए वहां भी बिजली फेल हो गई तो वहां से भी वह भागे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सिंचाई के बारे में सुझाव दें, समय सिर्फ दो मिनट रह गया है।

श्री राजपाल---

उसी से सम्बन्धित बात कह रहा हूं। वहां देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ओवरसियर की बात कहता हूं। मेरे जिले का हेडक्वार्टर मेरठ है वह सब वहीं लगे रहते हैं और मौके पर सिंचाई का ध्यान नहीं देते हैं। कटिंग भी होती है और नहरें साफ भी नहीं होती हैं। इस तरह से वह वीक प्वाइन्ट बन जाते हैं। जानवरों के चलने के वह टूट जाती जाती है उसकी रिपेयर नहीं होती है। इससे किसानों का नुकसान होता है। किसानों को पाले से नुकसान होता है, ओले से नुकसान होता है और साथ ही साथ नहरों के टूटने से भी नुकसान होता है। मैं आपको तारीख भी बतलाना चाहता हूं कि मेरे यहां 3 मई, 1976 को नहर टूट गई। वीक प्वाइन्ट की मरम्मत न होने से वहां पर टूट गई और उससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से नवम्बर, 1975 में टोकरी में नुकसान हुआ। वहां पर देखभाल करने वाल कोई नहीं है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर वह ध्यान दें।

अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक एस0 डी0 ओ0 कैनाल कोई सज्जन भेजे गए जिन्होंने बुलन्दशहर को डुबाया था। वह बड़ी सिफारिश के बाद वहां भेजे गए। उनको लाने में ओवरसियरों का हाथ था। इस तरह के ओवरसियर जो हैं वह सुपीरियर हो गए हैं और वह इनफीरियर हो गए हैं। इसलिए वहां पर कोई काम-काज नहीं हो रहा है सिवाय उनके कि उनका व्यक्तिगत काम हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप समाप्त करें समय हो गया है। आप बैठें। कोई प्वाइन्ट रह जाता है तो उसे लिख कर दे दें।

श्री राजपाल---

चूंकि समय नहीं है। इन बातों को कहने के बाद मैं सिंचाई मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपके माध्यम से मुझ से कुछ बातें आवपासी के बारे में माननीय मन्त्री जी से कहने का अवसर मिला। आवपासी की बात को महज आवपासी तक रखकर बहस करना शायद नामुमकिन होगा। पावर और इर्रीगेशन का चोली और दामन का साथ है। वर्तमान बजट पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे मन्त्री बधाई के पात्र है। लेकिन इस सदन को इस बात को महसूस करना होगा कि आज आवपासी इस देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है आज अगर इसका विस्तार हम नहीं करेंगे तो हम अपना आजादी की रक्षा भी नही कर सकेंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष 114 मिलियन टन अनाज पैदा होगा शायद इससे भी ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो। इस सदन को याद होगा कि सन् 1974 में हमने आशा की थी कि हम 10 लाख टन गेहूं प्रोक्योर कर सकेंगे। लेकिन पांच लाख टन तक ही पहुंच पाये और इस पांच लाख टन के लिए भी किसानों में कितना गुस्सा पैदा हुआ यह आपको मालूम ही है। इस मर्तबा हम उससे आगे बढ़े हैं और आशा की जाती है कि 10 लाख टन तक हम जाएंगे। देश को 114 मिलियन टन से डेढ़ सौ मिलियन टन तक जाना है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश को, जिसकी आबादी 10 करोड़ है, अपने आप को किसी प्रकार से समर्थ करना होगा। मन्त्री जी ने जो विस्तार आवपाशी का किया ह, क्या वह बजट में रकम दे देने से हो जाएगा? आपका जो इर्रीगेशन और पावर का ढांचा है, वह जर्जर है, आधुनिक भारत में, आधुनिक निर्माण के लिए इस ढांचे को आपको बदलने की भी चेष्टा करनी होगी। उससे जो उपलब्धियां किसानों को होनी है, उसके लिए आपको भरसक प्रयास करना होगा। अगर केवल नौकरशाही पर आप उसे छोड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि किसान बहुत संकट में है। किसानों के दाम गिरे हैं, जबकि पानी के दाम, बिजली के दाम हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी फसल के दाम गिरेंगे और दूसरी ओर उसके इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से किसानों का संकट बढ़ेगा। आपको यह भी देखना होगा कि उसके किसान को फायदा होगा या नहीं, उसकी दिक्कतें दूर होती हैं या नहीं? मेरा सुझाव है कि हर क्षेत्र में किसानों की कमेटी बनाकर कुछ नियन्त्रण इर्रीगेशन के अमले पर जनता का रहना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो मैं जानता हूं कि पतरौल रिश्वत लेता है, इन्जीनियर अपने आप को भगवान समझता है, विशेष कर सिंचाई के समय में, तो देश का विकास नहीं होने वाला है। आप किसान को उसके अधीन करेंगे अथवा जब आप उसका डर उसके ऊपर बढ़ाएंगे तो उसका गुस्सा आपको राजनीति में नजर आएगा। आवपाशी बढ़ाकर आप देश का उत्पादन बढ़ायेंगे, देश की आजादी को सुदृढ़ बनाएंगे, लेकिन विस्तार करने के बाद आप वर्तमान ढांचे को नहीं बदलेंगे तो एक हाहाकार मच जाएगा। कितनों को बिजली उपलब्ध होगी, कितनों के बिल कैसे जाएंगे, जनता की नित्य की सैकड़ों शिकायतें कैसे दूर होंगी, इसके लिए आपको कोई गम्भीरता से सोचना है और कदम उठाना है। जब गंगा नहर में पानी आ गया है और कितने करोड़ रुपया लगाकर आप उसकी सफाई करवा पाए तो उसका कितना नुकसान हुआ था।

जैसे-जैसे विस्तार होगा, आपको उस पर जनता के शिकंजें को मजबूत बनाना पड़ेगा। नहीं बनायेंगे उसे जनतान्त्रिक ढंग से नहीं चलायेंगे, तो न उत्पादन बढ़ेगा और न उससे जनता को फायदा पहुंचेगा इसलिए मेरा सुझाव है कि आप डिवीजन्स में किसानों की कांफ्रेंस कीजिए, उसमें आवपाशी के सवाल को उठाइए और उसको इस प्रदेश के विकास के साथ जोड़कर रखिए, यदि किसान में आप यह चेतना पैदाकर सकेंगे कि वह देशभक्त है, उसने 114 मीलियन टन गल्ला पैदा करके देश के लिए एक गौरव का काम किया है और वह 150 मिलियन टन तक जाए तथा आवपाशी का जो अमला है वह उस देशभक्त किसान की सेवा करने के लिए, तो आप एक नया वातावरण पैदा कर सकेंगे। लेकिन, आप कुछ 40 नलकूप खोलकर देश को ऊंचा उठाना चाहे, तो उठा नहीं सकेंगे। इसके साथ में आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को भी जोड़ना पड़ेगा। आप सोचें कि क्या कारण ह कि हरियाणा जैसे राज्य में इर्रीगेशन और बिजली का इतना अधिक विस्तार हो गया है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आवपाशी के काम को देश के विकास के साथ जोड़ कर रखा जाए। इसके साथ जोड़कर या इसके उद्देश्य को आप किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो अपोजीशन के लोग आपके खिलाफ जनता में प्रचार करेंगे, उनको आपके खिलाफ खड़ा कर देंग। चरण सिंह जसे नेता आज तक यही राजनीति करते रहे हैं। आवपाशी के सवाल

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

के पीछे जो राजनीति है, देश को बचाने को उसके लिए आपको जनता को साथ लेकर चलना चाहिए।

चौधरी पुरुषोतम दास (जिला मिर्जापुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सिचाई विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं। मान्यवर, मैं ईंट स्पेसिफिकेशन के विषय में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ईंट अच्छे किस्म का हो, उसकी कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ आवश्यकतानुसार हो तथा ईंट साउन्ड हो, उसके लिए ईंट की टनटन की आवाज आवश्यक है, झनझन की आवाज नहीं है। मान्यवर, जो यह कहते हैं उनको शायद ईंट का ज्ञान नहीं है। मान्यवर, जो इस प्रकार से कहते हैं, उनको शायद ईंट के मुत्तालिक कोई जानकारी नहीं है। यदि टन-टन की आवाज ईंट के स्पेसिफिकेशन से निकाल दिया जाय तो देश का बहुत अहित ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी यह व्यंगात्मक भाषा जो है, समझने में दिक्कत होती है।

चौधरी पुरुषोत्तम दास---

मान्यवर, मैं व्यंगात्मक भाषा नहीं बोल रहा हूं। मान्यवर मेरा निवेदन यह था माननीय मन्त्री जी से, वैसे तो उन्हें चप्पे-चप्पे का ज्ञान है और हर जगह घूम कर और भी ज्ञान है। मान्यवर, करोड़ों की सम्पत्ति का मिर्जापुर जिले में एक अड़वा डैम बनवा कर खड़ा कर दे रहे हैं। तो हमेशा के लिए देश के उत्थान के लिए अमर कर दे रहे हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र छानवे मिर्जापुर कांस्टीट्वेंसी में छनवर इलाका है, यहां हर साल बाढ़ आया करती है और खरीफ की फसल नष्ट हो जाया करती है, शायद ही किसी साल खरीफ की फसल मिलती है। यहां तक कि वहां के मवेशियों को खाने तक की मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, निवेदन मैं यह करना चाहता था कि माननीय मन्त्री जी हमारे फ्लड की तरफ ध्यान दें। यह फ्लड हमारे यहां खरीफ की फसल को बिलकुल नष्ट कर देती है। इसके अलावा रबी की फसल के बारे में भी कुछ शिकायतें मान्यवर, हैं। मान्यवर, रबी की फसल पानी न मिलन के कारण नष्ट हो जाया करती है। मान्यवर वहां पर काफी मात्रा में ट्यूबवेल्स लगवा दिए जायं जिससे वहां पर जो यह पानी के न मिलने से फसल सूख जाती है, उसे बचाया जा सके। मान्यवर, अगर हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ का हिस्सा है, उसे बाढ़ से बचा लिया जाता है और जो फसल रबी में सूख जाती है उसके लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायं तो उस क्षेत्र का कल्याण हो जायगा।

मान्यवर, हमारे जिले में जैसा कि यहां के इन्जीनियर्स ने अध्ययन भी किया है कि सी० सी० डैम को अगर नहरों से अपर खजूरी से मिला दिया जाय, तो पानी वहां से खींच कर दिया जा सकता है। इससे मान्यवर, किसानों का बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा। इससे वहां के किसानों का आगे के लिए संकट खत्म हो जाएगा। अडवा डैम मान्यवर, एक बना हुआ है हमारी कांस्टीट्वेंसी में। वह सही समय से और सही ढंग से बनवा दिया गया। मान्यवर, वह सही कीमत पर बनवा दिया गया है। मान्यवर, इससे क्षेत्र की जनता का बड़ा ही कल्याण होगा। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि शासन जो भेजा डैम को 20 फुट ऊंचा करने जा रहा है, मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि उसको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाये जिससे समय रहते यह कार्य भी पूर्ण हो जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामजी सिंह (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, आपने जो मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। साथ ही जो बजट माननीय मन्त्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, उसको देखने से और पढ़ने से मालूम पड़ता है कि वह काफी प्रगतिशील बजट है।

मैं इधर-उधर की बातें न कह कर गाजीपुर से सम्बन्धित कुछ समस्याओं को उठाना चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से अपील भी करूंगा कि वे नोट करके समाधान करने की कोशिश करें। पहली बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जमानिया तहसील एक ओर गंगा नदी से घिरी है, दूसरी ओर उसके कर्मनासा नदी है। वहां पर हर साल वर्षा की ऋतु में कटान इतनी तेजी से होता रहता है कि जमानिया के तारीघाट की सड़क और सरइया गांव 10-15 मीटर ही रह गया है और अगर शीघ्र कुछ प्रबन्ध न हुआ तो आगामी बरसात में यह सब इलाका जल में विलीन हो जायगा।

दूसरा सुझाव मेरा यह है, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि नारायणपुर में पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाई जाएगी, उससे मेरा विरोध नहीं है। इस नारायणपुर योजना में गाजीपुर को भी शामिल कर लिया गया पर यह व्यवहार में देखा गया है कि इससे जमानिया तहसील और गाजीपुर को एक बूंद भी पानी नहीं मिल सकेगा। कारण उसका यह है कि नारायणपुर और जमानिया की दूरी लगभग 50-60 मील पर है और इतनी दूरी पर लिफ्ट का पानी पहुंचना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। चकिया और चंदौली तहसील से होकर पानी पहुंचता है। मुसाघाट और चन्द्रप्रभा के पानी की गाजीपुर और जमानिया में जाने की बात आई तो वह नहीं पहुंच पाता है और वहां पर हर साल सूखा पड़ जाता है। इस साल भी सूखा पड़ा है। वहां पर सूखे से बड़ी तबाही होती है।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र, दिलदार नगर से आता हूं वहां पर हमारे राज्य सिंचाई मन्त्री जी दौरे पर गये थे। जमानिया में अब भी क्या स्थिति है, उसे उन्होंने देखा है। उस इलाके में कोई स्टेट ट्यूबवेल नहीं है। हमारे क्षेत्र में कर्मनासा नदी है अगर उस पर लिफ्ट इरीगेशन की योजना चालू कर दी जाय तो इस इलाके को भी लाभ पहुंचेगा और साथ ही जो नदियों से हर वर्ष कटाव होता है, उसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के जो बड़े-बड़े इन्जीनियर्स हैं, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से और इन इन्जीनियर्स से आग्रह करना चाहता हूं कि सचमुच में इस प्रदेश की बहबूदी में उनका बड़ा सहयोग रहा है। 1836 में जब अंग्रेजों ने अपर गैन्जेज कैनाल निकाली और समूची गंगा के पानी को नहर में लाकर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को सिंचाई की सुविधा दी तो बहुत बड़ा काम किया। वास्तव में भगवान और भागीरथ के बाद उस इन्जीनियर का ही ओहदा माना जाता है। और आज उसी इन्जीनियरिंग स्किल के लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सचमुच में भगवान के बाद कोई ओहदा और दर्जा है प्रकृति पर काबू पाने का तो आपका है और अगर आप चाहें तो उत्तर प्रदेश का सारा इलाका देश का सबसे ज्यादा सरसब्ज इलाका बन सकता है। मैं मानता हूं कि इन्जीनियरिंग स्किल की कार्य-प्रणाली में हमारा पोलिटिकल इन्टरफियरेंस बाधक है। मैं देख रहा था, माननीय जगन्नाथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र---]

चौधरी बैठे हैं, उनके पास जो आंकड़े हैं, मैं इन्जीनियर लोगों और आपकी नैतिकता को बड़ी ऊंची मानता हूं। आपकी नैतिकता का तकाजा है कि उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र है, सिंचाई के सिलसिले में, उसका अवलोकन करें। पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिलो में कितना महान अन्तर है। सिचाई के साधन---कैनाल और ट्यूबवेल्स--पश्चिमी जिलों में भी हैं। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि जबकि पश्चिमी जिलों का 70-75 परसेन्ट क्षेत्र सिंचित है, पूरब में 20-25 परसेन्ट ही है। आपकी नैतिकता और स्किल इतनी ऊंची होते हुए इतना हेर-फेर और विषमता उत्तर प्रदेश की बेहबूदी का ख्याल करते हुए क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूं।

प्लानिंग कमीशन कहता है रीजनल इम्बैलैंसेज दूर होने चाहिए, विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में सिंचाई आधार शिला है। मैं मन्त्री जी और इन्जीनियरों से जानना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को क्यों नही उपयोग में लाते हैं क्यों नहीं जलग्रिड और ट्यूबवेल ऐसी योजना बनायें जबकि पश्चिमी जिलों में 1976 तक 7,112 ट्यूबवेल कर दिए, पूरब में केवल 5 हजार ही लगवायें और फिर आप पूर्वी जिलों में 107 देने जा रहे हैं जबकि पश्चिमी जिलों में 122 दे रहे हैं, यह किस आधार पर, कौनसी आपकी बुद्धि इन्जीनियरिंग स्किल इस तरह के प्रोपोजल और प्लान बनाने के लिए आपको प्रेरित करती है? मैं कहना चाहूंगा कि जब तक उत्पादन का सवाल है, आप जांच करावें कि पूरब के जिलों की गंगा और घाघरा की जमीन पश्चिमी जिलों के मुकाबले में 3 गुनी उपजाऊ है, मैं मिट्टी की जांच की बात कह रहा हूं। लेकिन हम यह शिकायत कर सकते हैं कि पूर्वी जिलों के लोग ट्यूबवेल को ज्यादा घंटे प्रयोग में नहीं लाते तो उत्तर प्रदेश की बेहबूदी के हक में मैं कहूंगा कि मन्त्रि मन्डल में सवाल पेश होना चाहिए कि ट्यूबवेल के कमान्ड एरिया के अन्दर जो किसान नागरिक ऐसा करेगा उस पर जुर्माना, कलेक्टिव फाइन, सिंचाई दर लगायी जाएगी, चाहे वे पानी लें या न लें। उत्तर प्रदेश की बेहबूदी के हक में इस तरह का कानून बनाना लाजमी होगा।

मैं ज्यादा समय न लेकर केवल यह कहूंगा कि हो सके तो साल दो साल के लिए आपके सामने सही नक्शा रहना है। केन्द्र का इलाका, पूर्वी रीजन, पश्चिमी रीजन इन सबकी स्थिति आप देखें और कुछ इलाकों में बिलकुल पैसा खर्च करना सिंचाई के सम्बन्ध में बन्द कर दें जब तक बुन्देलखंड और पूरब के इलाके पश्चिमी इलाके की बराबरी में नहीं आ जाते हैं। यह कदम उत्तर प्रदेश के हित और पैदावार बढ़ाने के हक में होगा और प्रदेश और सारे देश की बेहबूदी के लिए होगा कि आप इस तरह की योजना बनावें।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मन्त्री की अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि सिंचाई मन्त्री जी ने मन्डलीय स्तर पर मीटिंग कर ली और वहां पर हम काफी सुझाव दे चुके, इसलिए आपका बहुत थोड़ा समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव क्या है, इसलिए कि शासन से जानकारी नहीं प्राप्त होती और गांव में जाकर पता चलता है कि क्या घटना घट रही है।

अबकी पता चला कि नलकूप विभाग अपने कमान्ड एरिया में जिन खेतों को सींचेगा उनसे तो सिंचाई लेगा ही, जिनको नहीं सींचेगा उनसे भी कुछ सिंचाई लेगा। लेकिन यह न्याय की तुला उस वक्त होनी चाहिए जब सरकार यह गारन्टी दे कि हम पानी के अभाव में उनकी फसल को बरबाद नहीं होने देंगे। आपकी नहरों ने पहले पानी दिया और किसानों ने गन्ना बो दिया, लेकिन फिर पानी नहीं मिला और सारा गन्ना सूख गया। क्या सरकार उन किसानों को मुआविजा देने के लिये तैयार है? आज बिजली की ट्रिपिंग होती है। पिछले साल की घटना मैं बताता हूं। एक किसान नलकूप से 6 घंटे पानी ले गया और

बिजली की ट्रिपिंग हो गयी। सारे यूनिट्स उस पर लग गए, खेत असिंचित, मैंने पूछा तो विभाग के लोगों ने बताया कि यह तो हाईडिल डिपार्टमेन्ट जाने। लेकिन किसान तो उस सरकार से सवाल करता ह जिसका नलकूप है, हाईडिल है जिसकी नालियां हैं। नालियां खराब हैं, लीकेज हैं लेकिन सिंचाई चार्ज पड़ जाता है किसान के ऊपर। जब सरकार अपनी गलतियों का मुआविजा नहीं दे सकती तो उसको एक तरफ से सबके ऊपर सिंचाई कर लगाने का क्या हक है ?

एक बात और कहना चाहता हूं चकबन्दी हुई, सरकारी ट्यूबवेल की नालियों का ही रास्ता छोड दिया। दूसरी नाली नहीं दी। अब विभाग ने कह दिया कि इस नाली में से कोई पानी नहीं ले जा सकता। प्राइवेट वाले पानी कहां से ले जायं ? आप तो यूनिटों पर चार्ज लेते हैं। उसमें नहर की तरह से यह भ्रम तो हो नहीं सकता कि दूसरा भी पानी उलीच लेगा हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम कदम-कदम पर किसान के रास्ते में रोड़ा न बनें। आपके विभागीय कर्मचारी एक भ्रम पूर्ण कर लागू कर देंगे और फिर उन गरीब किसानों को तबाह कर देंगे। सरकार इसको फिर सोच ले कि बिना सिंचाई किए हुये खेतों से वह तभी सिंचाई ले जब यह गारन्टी करें कि हम पानी न देंगे तो किसान की फसल की नुकसानी का मुआविजा दे देंगे और इसका अधिकार कलेक्टर को हो, इन्जीनियर जांच के अधिकारी न हो नहीं तो इस व्यवस्था में बड़ा कोहराम मच जायगा। मेरे जिले में पिछले साल एक किसान ने ट्यूबवेल लगाना चाहा। इन्जीनियर ने कहा कि नलकूप के कमान्ड में नहीं लगने देंगे। कलेक्टर ने कहा कि अगर आप गारन्टी लिख दें कि पानी देंगे तो हम इजाजत नहीं देंगे। किन्तु वह नहीं लिख सके तब कलेक्टर ने लगाने की इजाजत दे दी। जहां चकबन्दी हो गयी वहां शारदा नहर के किनारे के किसान तबाह हो रहे हैं। बहुत से लोग बे-चक हो गए। ऐसी व्यवस्था करें कि पुन : चक एडजस्ट करा दें थोड़ा-थोड़ा सब का कटे और वे बरबाद न हों। अब मैं एक बात अपने क्षेत्र की कह देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

जब समय हो गया तब अपने क्षेत्र की याद आयी।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह ---

बल्दीराय ब्लाक में सोरांव से लेकर कूडेभार तक ड्रेन होनी चाहिए और दक्षिण मे गोमती नदी में जो बाढ़ आती है जहां कटाव है, उसमें बन्धा बनना चाहिए। ऐसा होने से काम चल जायगा और हमारा क्षेत्र भी तबाही से बच जाएगा। मैंने मन्त्री जी से ट्यूबवेल की मांग की थी तो उन्होंने वादा किया है कि जितने ट्यूबवेल लगा सकेंगे उतने देंगे, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो मांगें रखी हैं और भाषण भी दिया तो उनके भाषण को सुनकर और उनके बजट को देखने से वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि 20 सूत्री कार्य-क्रम के कार्यान्वियन की दिशा में वास्तव में यह एक सही कदम उठाया गया है।

(इस समय 4 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं तथा उनके मातहत जो कर्मचारी व अधिकारी काम करने वाले हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में वे अवश्य सक्षम होंगे। ऐसा समझा जाता है कि पहाड़ों

[श्री बालकृष्ण सनवाल---]

पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। मान्यवर, ऐसा समझना गलत ह। जिन नदियों में 12 महीने पानी भरा रहता है वहां भी सिंचाई की आवश्यकता अवश्य होती है। वह चाहे भागीरथी हो, अलकनन्दा हो, सरयू हो, राम गंगा हो या कोई भी नदी हो, जो भी पहाड़ों से निकलती हैं अपने पानी से गंगा और जमुना के दोआब को सींचती हैं। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उस सतत बहने वाले पानी को एकत्र किया जाय और उसका प्रयोग मैदानी इलाकों में सिंचाई के लिए किया जाय। इसके लिए टेहरी बांध जैसी बड़ी-बड़ी योजना भी स्वीकृत की गयी है। पर्वतीय क्षेत्र की यह सबसे बड़ी योजना है। एक कोसी बैराज की व बांध की योजना बनी, मगर उसका (बांध) कहीं जिक्र नहीं है। उसको शीघ्र बनाया जाय इससे बहुत लाभ हो सकेगा। इससे पानी को एकत्र करके सिंचाई के काम में लाया जा सकता है, और बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद आदि जिलों में सिंचाई की जा सकती है और खाद्य समस्या को हल किया जा सकता है। मत्स्य पालन के लिए भी उस जल का प्रयोग किया जा सकता है।

मान्यवर, जमनानी बांध की योजना है जिसको वाटर एन्ड पावर बोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया तथा प्लानिंग कमीशन ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस कार्य को शीघ्र शुरू करा दें। इसके अलावा कालागढ़ में जो बांध बनना है उसके संयत्र रखे हुए हैं, वहां जो इन्चार्ज आप नियुक्त करें, उसको आदेश दें कि वहां का ढांचा तैयार करवा कर वहा कार्य शीघ्र शुरू हो जाय। उससे बरेली, रामपुर और मुरादाबाद आदि जिलों में सिंचाई हो सकेगी। हमारे अल्मोड़ा जिले में गरुड़ एक पहाड़ी हिस्सा है जहां अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो वहां के काश्तकार कृषि पंडित हो सकते हैं।

सिंचाई के लिए मान्यवर, दो तरह की योजना बना कर लाभ हो सकता है--एक तो नदी की घाटी में योजना बना कर दूसरे ऊंचाई की जगह लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना बनाकर, यह बिजली के द्वारा चलायी जाएगी। दूसरे एक हाईड्रम की योजना है उसमें खर्च कम होगा। उसमें नीचे से पानी ऊपर पहुंचाया जाता है। उसमें खाली निर्माण में ही खर्च आएगा बाद को नहीं होगा। पहाड़ों में लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना लाभदायक रहती है। वहां इस योजना को शुरू करना चाहिए। पहाड़ों में आर्टीजन वेल भी बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उसमें धरती के नीचे से पानी अपने आप ऊपर की ओर आता है। इसलिए सिंचाई विभाग से मेरा निवेदन है कि चाहें स्रोतों से निकलने वाला पानी हो, चाहे हिमालय से वर्फ बह कर आने वाला पानी हो, चाहे धरती के नीचे का पानी हो, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो। पिछले वर्ष भी कुछ योजनायें बनी थीं पहाड़ों में प्रत्येक सोते से जिसमें थोड़ा सा भी जल हो, उसको एकत्र करके अधिक से अधिक हिस्से में सिंचाई करने की योजना बनी थी। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी उस दिशा में भी कदम उठावेंगे।

एक और निवेदन यह है कि जमनानी बांध संगठन को शीघ्र बनाना बहुत आवश्यक है। पहाड़ों पर सिंचाई विभाग के लिए एक आवश्यक चीज और करनी है कि वहां पर जो गूल वगैरह हैं, बरसात के दिनों में पहाड़ों के खिसक जाने से थोड़े-थोड़े दिनों के बाद ही उनकी मरम्मत करानी पड़ती है। इसके लिये उनको अधिक लोगों को रखना चाहिए, अधिक बेलदार रखने चाहियें और इस तरह से वहां स्टाफ बढ़ाने की कृपा करें। इसके अलावा एक और योजना जो बनी हुई है उसको भी माननीय मन्त्री जी शीघ्र प्रारम्भ कराने की प्रयास करें इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान की मांग रखी है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। चूंकि सन् 1952

के बाद इस सदन में खासतौर से सिंचाई के सम्बन्ध में जो योजना प्रस्तुत की गयी है, बीच में वैसी योजना सदन के सामने प्रस्तुत नहीं की गयी थी। हमने इस बजट को पूरी तरह से चारो दिशाओं में देखने की कोशिश की है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मन्त्री जी चारो दिशाओं में धरती की प्यास बुझाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रदेश जो कि कृषि प्रधान प्रदेश है, जब तक उसे सिंचाई के साधन सुलभ नहीं होंगे, तब तक यह प्रदेश स्वावलम्बी नहीं हो सकेगा। बहुत से जिले हैं जो अभावग्रस्त जिले हैं। कृषि के लिए सिंचाई की कमी के कारण ही वे अभावग्रस्त हैं। अन्यथा अगर उनको पानी मिलता, बिजली मिलती तो पानी और बिजली के सहयोग से पूर्वी जिले के किसान जो किसी जमाने में कमजोर और निष्कर्मण्य माने जाते थे, आज वे काफी सतर्क हैं और कृषि में मेहनत करके उतना ही गल्ला पैदा करना चाहते हैं जितना कि उस प्रदेश के विकसित माने जाने वाले हिस्से के किसान। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्वी जिले सदा से उपेक्षित रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गवर्मेंट आयी है, तब से उसने इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया। खासतौर से सन् 1952 से जब कि हमारे देश और प्रदेश के नेता, माननीय पंडित कमलापति जी त्रिपाठी सिंचाई मन्त्री हुए तो उन्होंने अवश्य हर साल गंगा और घाघरा की बाढ़ से प्रभावित होने वाले पूर्वी जिलों को बचाने को कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि उनके सुयोग्य पुत्र भी इस काम को जरूर विशेष ध्यान रखते हुए पूरा करेंगे।

अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पूर्वी जिले सदा नदियों के कटाव से भयाक्रान्त रहते हैं। आप जाकर देखें कि हजारों-हजारों परिवार नदी के कटाव से खानाबदोशों की भांति जिन्दगी व्यतीत करते हैं, पेड़ों के तले जिन्दगी व्यतीत करते हैं, न रहने को घर न खाने को कोई सामान, न रोजगार न रोजी। ऐसे जमाने में गंगा और घाघरा जैसी नदियां बड़ी बेरहमी के साथ खेतों और आबादियों को काटती हैं और हजारों घरों को बरबाद करती है। उन पर भी लगाम लगाना चाहिए। 3 करोड़ रुपए का प्राविधान नदियों के कटाव को रोकने के लिये किया गया है। 3 करोड़ से 6 करोड़ हो गया है तो इस 6 करोड़ रूपये से क्या होने वाला है? मैं इस दिशा में परजोर अपील करना चाहता हूं कि कि अच्छा यह होगा कि एक डेपुटेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से जिसमें विधायकों को मिलाया जाय, दिल्ली गवर्नमेन्ट के पास जाना चाहिये। दिल्ली सरकार को मजबूर करना चाहिये कि वह नदियों के कटान को रोकने के लिये करोड़ों रुपयों की मदद दे। जब तक इस काम को युद्ध स्तर पर तत्परता के साथ नहीं किया जायगा तब तक नदियों का कटान रुकने वाला नहीं है। इस कटान से लाखों लोग हर साल बेघर-बार होते हैं। हमारे जिले आजमगढ़ में 3 योजनायें हैं। शारदा कैनाल, टांडा, दोहरी घाट पम्प कैनाल। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं उस क्षेत्र में कोई पम्प नहर नहीं है। इस नाते मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वह बड़ा उपेक्षित क्षेत्र है और साथ ही साथ वहां नलकूपों का नितांत अभाव है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सगड़ी क्षेत्र में नलकूपों का कोटा और ज्यादा होना चाहिये।

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जो को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा है कि जो नदियों को नहरें बनाने और उसकी शाखायें बनाने में जहां बहुत जमीन चली गयी है, या ली जा रही है, वहां फिर से चकबंदी द्वारा छूट देंगे। दुबारा चकबंदी कराने से वहां के किसानों को कुछ राहत मिलेगी। मेरा निवेदन यह भी है कि जहां पर आप नहरों का निर्माण करते हैं वहां पर, जहां पानी का लगाव होता है, उधर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। नदियों से पानी का लगाव, ताल तलैयों के लगाव से, नदियों के पानी के लगाव से हजारों परिवार

[श्री राम सुन्दर पान्डेय]

प्रतिवर्ष तकलीफ उठाते हैं। बरसात में आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। सन् 52–53 में कुछ गांवों को ऊंचा किया गया था। जिसका नतीजा यह हुआ था कि बाढ़ में उन गांवों तक पानी नहीं जा सका। इसके साथ-साथ कुओं को भी ऊंचा करना चाहिये जिससे पीने के पानी की सुविधा मिल सके।

दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि नदियों के पाट चौड़े होते चले जा रहे हैं। कटाव होने से पाट चौड़े होते चले जा रहे हैं। घाघरा नदी का पाट काफी समय पहले 1 फर्लांग का था अब वह कटाव होने से 6 फर्लांग का हो गया है। इस तरह से नदियों के किनारे की तमाम जमीन हर साल कटती जा रही है। आज जब बाढ़ आती है तो कुछ चना, दियासलाई और गेहूं बांटकर सब्र कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि गेहूं, दियासलाई, चना बांटने से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। कल ही डिवीजनल मीटिंग में मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन किया था और आग्रह को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। मान्यवर, जो कछार का इलाका, चाहे वह, गोमती का हो, गंगा का हो या जमुना का हो, कछार एरिया में छोटे–छोटे नलकूप बोरिंग करके लगायें जायं।

श्री अध्यक्ष––

छोटे–छोटे नलकूप क्यों लगाये जायं ?

श्री राम सुन्दर पान्डेय––

मान्यवर, वहां 150 फीट की गहराई पर ही पानी निकल आता है। ज्यादा बोरिंग नहीं करनी पड़ती।

श्री अध्यक्ष––

अगर गहरे लगाये जायेंगे तो वाटर लागिंग (गर्की) कम होगी।

श्री राम सुन्दर पान्डेय––

मान्यवर, दूसरी जगह तो 1600 फीट तक बोरिंग करनी पड़ती है लेकिन कछार में 150–200–300 फीट तक पानी मिल जाता है। गहरी बोरिंग की जरूरत नहीं पड़ती।

तो मैं कहना चाहता हूं कि कछार के इलाके में नलकूपों का जाल बिछा दिया जाय। मार्च के महीने में किसान के खेत खाली होते हैं। लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। अगर नलकूप हो जायेंगे तो बरसात आने के पहले जायद फसल किसान ले सकते हैं और उसके बाद खरीफ की फसल उगा लेगा। इस प्रकार साल में एक फसल मिलती है और दोनों फसल उगाकर हर साल भीख मांगने की बात होती है। इसलिये वह समाप्त हो जाय, इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इसक साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)––

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और हर्ष की बात है कि इस बजट में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिये बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं पर पैसा लगाया जा रहा है और बहुत सी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पहले से सिंचाई के साधन बहुत उपलब्ध थे इस साल भी उन क्षेत्रों में सिंचाई की अधिक योजनायें अपेक्षा पूर्वी जिलों के दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में सबसे उपेक्षित क्षेत्र हमारा जनपद बलिया है और उसमें भी हमारा विधान सभा क्षेत्र, दुआबा है। सिंचाई की बड़ी–बड़ी योजनायें हैं जैसे शारदा सहायक, गंडक योजना, रामगंगा और टेहरी की योजनायें हैं। इसके अलावा मध्यम और लघु सिंचाई की योजनायें इतनी हैं जिनको देखकर प्रसन्नता होती है कि सिंचाई की कई योजनायें हैं। लेकिन इस बात से अपार कष्ट होता है कि उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजनाओं में पूर्वी क्षेत्र को वह स्थान और महत्व नहीं दिया गया है और विशेषकर बलिया जिला अरबों की बड़ी-बड़ी योजनाओं से पूर्णरूप से बंचित है। एक योजना सिर्फ दोहरी-घाट की है। उस से मैं समझता हूं कि बलिया के केवल पश्चिमी हिस्से में थोड़ी सी सिंचाई की सुविधा की वृद्धि हो सकेगी और वह भी 300-400 क्यूसिक से अधिक की नहीं होगी। पूर्वी क्षेत्र में शारदा सहायक योजना बलिया में नहीं पहुंची किन्तु तराई के क्षेत्रों में उससे लाभ हो रहा है। पूर्वी जिले में बलिया जिला इससे बिल्कुल बंचित है। मंत्री जी से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि शारदा सहायक को बलिया के पूर्वी छोर तक ले जायेंगे। यदि ऐसा हुआ तो बलिया के लिये प्रसन्नता की बात है। लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि यह योजना बलिया क्षेत्र-में पहुंच पायेगी।

मान्यवर, बलिया में लिफ्ट की कोई योजना नहीं है जबकि तीन तरफ से घाघरा मिलती है। दुआवा में भी कोई योजना नहीं है। बादलपुर में पम्प नहर की योजना निर्माणाधीन है लेकिन काफी दिनों से देख रहे हैं कि पाइप रखे हैं किन्तु वह योजना बिल्कुल बन्द है। कई वर्षों से कोई कार्य नहीं हो रहा है। मुझे बतलाया गया है कि यह योजना अब नहीं चलायी जायेगी। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि यह निर्माणाधीन योजना कैसे रखी गयी है। ऐसी स्थिति में जबकि वह क्षेत्र कटान से पीड़ित है। वहां रबी की फसल होती है, उसमें भी सिंचाई की व्यवस्था न हो तो किसानों की दशा बहुत ही दयनीय है। इसलिये मन्त्री जी के समक्ष मैं अपने सुझाव रख रहा हूं कि सारे क्षेत्र में छोटे-छोटे नलकूपों का जाल बिछा दिया जाय और चप्पे-चप्पे में सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि बाढ़ से जो शत प्रतिशत बरबादी होती है, वह मई-जून में फसल लेकर और जानवरों के लिए चारा तैयार करके बचायी जा सकती है। साथ हमारे यहां क्राप पैटर्न भी चेन्ज किया जाय। जहां तक जमीन की बात है वह बहुत उपजाऊ है। हमारा क्षेत्र गंगा और घाघरा कटान पर है। जय प्रकाश नगर बांध टूट गया। उसकी मरम्मत हो रही है लेकिन बहुत धीमी गति से हो रही है। अगर यह समय से ठीक न हुआ तो बीसों गांव डूब जायेंगे। इसलिए इसको जल्दी पूरा कराया जाय। इसी के साथ यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ का विभाग जो कटानों पर काम करता है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारे यहां डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन उसमें काफी पैसा ठेकेदार और अधिकारियों की जेब में चला गया। झावा, सदा बहार और कूड़ा करकट नदी में दिखला कर बहुत सा पैसा उनकी जेबों में चला गया, इसको दिखवाया जाय। अन्त में यह निवेदन करना है कि जिस प्रकार बलिया को बचाया है उसी पटर्न पर मास्टर प्लान बनाकर हमारे यहां भी कार्य किया जाना चाहिए।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

पश्चिम वालों को बुलवाइए।

श्री अध्यक्ष--

पूरब पश्चिम का कोई सवाल नहीं है। मैं जानता हूं कि अपने स्वार्थ के लिए, बोलने के हक को प्राप्त करने की कुचेष्टा में यह बात कही जाती है। यह आपकी अभ्युक्ति निन्दनीय है और असंसदीय है। पूरब पश्चिम के दबाव में स्पीकर को बाध्य करने की कुचेष्टा को मौका दिया जाय, इसकी मैं निन्दा करता हूं। जितने खड़े हुए, मैंने कहा कि सबको जल्दी-जल्दी मौका देंगे।

हाफिज मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने इस सिंचाई के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया हम कोई भी चर्चा करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं बीस सूत्रीय प्रोग्राम का

[हाफिज मोहम्मद असलम]

जिक्र आ जाता है । इस प्रोग्राम की जो अहमियत है वह यह कि हम खेत की पैदावार को बढ़ावें । इसको बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया सिचाई है। आज अगर हम अपने प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में मुकाबला करते हैं तो हमारा पड़ोसी सूबा हरियाना है जहां कि हमारे मुकाबले चाहे खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो दुगनी होती है। हमारा सूबा एक बहुत बड़ा सूबा है और हर जगह पर अलग-अलग किस्म की अलग-अलग जमीने हैं। बहुत से ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां पर सिंचाई का बहुत कम ध्यान दिया गया है । इन जगहों पर आसानी के साथ ट्यूबवेल्स, प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाये जा सकते हैं । ऐसे बहुत से स्थान है जहां पर और ज्यादा ट्यूबवेल्स को लगाया जाना चाहिए वहां पर नहीं लग पाए हैं । सरकार को अगर ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको पहले लेना चाहिए और उन पर पहले ध्यान देना चाहिए । कैबिनेट का यह जो फैसला है कि मन्त्रि मन्डल की बैठकें हर मन्डल में हुआ करेंगी इसका हम सभी स्वागत करते है । इससे वहां की जो समस्यायें हैं, उनकी भी जानकारी उनको होती है।

मान्यवर, मैं सहारनपुर जिले से आता हूं वहां पर जो पहाड़ क्षेत्र है वहां कोई भी ट्यूबवेल नहीं है। आज माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने 10 ट्यूबवेल का लान बनाया है जिससे कि वहां की जनता को इससे बहुत प्रसन्नता होगी और उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं। हमारा वह इलाका जहां पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, वहां पर आज भी 20, 30 किलो अनाज एक एकड़ मे पैदा होता है और यहां तक कि वहां पर पीने का पानी भी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ कागजी बात न रह जाय और इस पर अमल हो। मन्त्री जी हमारे जिले में गए थे तो उन्होंने कहा था कि पैसा देना हमारा काम है और अगर वक्त पर काम पूरा नहीं होगा तो जो इन्जीनियर्स हैं उनके इसके लिये सजा दी जाएगी। इस योजना के लिए जो वक्त दिया गया है वह तो तभी पूरा हो सकता है जब अधिकारी लोग थोड़ा इस तरफ ध्यान दें। मान्यवर, हमारे जिले में बाढ़ की भी बड़ी भारी समस्या है। वहां पर 65 नदियां है। 5, 6 योजनाओं के बारे में तो मैंने भी कहा है । वहां पर बांध का बनाना बहुत जरूरी है और यह बांध वर्षा के पहले ही बन जाने जाहिए तभी गांव और आदमियों की बचत हो सकती है।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने पश्चिम और पूर्व की बात कह दी। हमारी जानकारी के मुताबिक जो पूर्व के लोग हैं, वे उतनी मेहनत नहीं करते हैं. जैसे कि जो ठाकुर लोग हैं वे हल को हाथ लगाना पाप समझते हैं, इसमें वे अपनी तौहीनी समझते है। पश्चिम का बड़े से बड़ा किसान भी अपने हाथ से हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है और वह इसमें खुशी महसूस करता है लेकिन पूरब के काश्तकार अपने हाथ से खेती का काम करना तौहीन समझते. है। वैस्ट और ईस्ट का खेती का कानून तो एक ही है। ट्यूबवेल्स तो दोनों ही तरफ बनते हैं। ईस्ट के काश्तकारों ने कोई प्राइवेट ट्यूबवैल नहीं लगाए जब कि पश्चिम में न मालूम कितने ट्यूबवेल्स प्राइवेट लगे हैं । मान्यवर, एम0 एल0 एज0 भी ईस्ट के ज्यादा हैं, मिनिस्टर भी ईस्ट के ज्यादा हैं। मैं तो यह कहता हूं कि मिश्रा जी वहां जाकर तो खें कि पीने का पानी तक हमारे उस क्षेत्र में नहीं हैं, जो पोजीशन बननारस और मिर्जापुर में है वही पोजीशन वहां पर है। मौजूदा मन्त्री ने जो जो इलाके वहां लिए हैं, वह वही इलाके लिए हैं जहां वास्तव में ट्यूबवेल लगने चाहिए .....

श्री अध्यक्ष—

माननीय असलम, पूर्व और पश्चिम का सवाल नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा कहना है कि पूरब के लोग जितनी मेहनत करते हैं, उतनी पश्चिम के लोग नहीं करते। इस पर बहस हो जाय। कलकत्ता, आसाम में नाव का खेना, कुलीगीरी का काम पूर्व के लोग ही करते हैं।

हाफिज मोहम्मद असलम---

मैं यह कह रहा था कि माननीय मन्त्री जी ने वहीं ट्यूबवेल दिए हैं, जहां पर उनकी जरूरत थी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं

श्री अध्यक्ष---

यह पूरब और पश्चिम का सवाल नहीं है। इस समय सिंचाई प्रणालियों के विकास का सवाल है। सवाल यह है कि सिंचाई की दृष्टि से प्रदेश चार भागों में बंटा हुआ है। एक गंगा-जमुना क दक्षिणी भाग, दूसरा गंगा-जमुना के बीच का भाग, तीसरी गंगा और घाघरा के बीच का हिस्सा और चौथे सरयू पार का इलाका। सिंचाई की दृष्टि से चार भागों में बटा है और इस दृष्टि से ही सिंचाई के सवाल को देखना चाहिए, पूरे सूबे को दृष्टि में रखते हुए, पूरब और पश्चिम की दृष्टि से नहीं।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरब और पश्चिम का सवाल नहीं उठना चाहिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को भी इसका अनुभव होगा कि पश्चिम के अन्दर सिंचाई के सरकारी साधन उतने नहीं हैं, जितने किसानों के निजी साधन हैं। मैं इस बात के आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस पर कोई अलग से बहस चलानी हो तो बात दीगर है, लेकिन अभी तो सवाल केवल इतना है कि सिंचाई का क्या प्रबन्ध हो। आप अपनी बात कहें न कि पूरब और पश्चिम की।

श्री ईश्वरी सिंह---

मैं आपसे सहमत हूं, पूरब और पश्चिम का सवाल उठाना खर दिमागी है, बेहूदगी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य शब्द बेहूदगी नहीं कह सकते।

श्री ईश्वरी सिंह---

मैं वापस लेता हूं। सिंचाई के साधन का जहां तक सम्बन्ध है, इसका पूरे प्रदेश से सम्बन्ध है और यह राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि कहां कितने साधन उपलब्ध कराये जायं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि शंका को हटा कर अगर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि पश्चिमी जिलों में सरकारी साधनों के बजाय निजी साधनों पर किसान ज्यादा निर्भर करते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

7 हजार सरकारी ट्यूबवेल पश्चिमी जिलों में लगे हुए हैं जब कि 5 हजार ट्यूबवेल ही पूर्वी जिलों में लगे हुए हैं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

काशीनाथ जी को बिठाइए, यह बीच में बेकार ही हस्तक्षेप कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ईश्वरी सिंह—

काशीनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि पहले वह मेरी बात सुन लें तब शायद उनकी समझ में मेरी बात आ जाय। मैं यह बतला रहा हूं कि जितनी एकड़ सिंचाई सरकारी साधनों से होती है उससे ज्यादा एकड़ सिंचाई निजी साधनों से होती है। मान्यवर, मैं बुलन्दशहर की आपको मिसाल देता हूं जो कि उत्तर प्रदेश के गेहूं का 20 प्रतिशत आपको देता है।....

श्री काशीनाथ मिश्र—

फिर गलत बोल रहे हैं। हर बात गलत बोली जाय और हम सुनते रहें तो यह कैसे हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—

अगर पूर्वी जिलों के प्रवक्ता मात्र काशीनाथ जी होंगे तो मामला ठीक नहीं रहेगा।

श्री ईश्वरी सिंह—

आज भी जितनी सरकारी गेंहूं की खरीद होती है, उसका 20 प्रतिशत बुलन्दशहर से आता है। क्यों देता है? क्योंकि वहां पर सिंचाई के निजी बहुत साधन हैं। वहां के किसान हाई-ईल्डिग वेराइटी से उत्पादन करते हैं। तो यह तो एक क्रम है। यह सही है कि सिंचाई के साधन बराबर मिलत रहने चाहिए और जरूर मिलने चाहिए। सरकार पर दोष नहीं लगाया जा सकता है। मुझे स्थिति मालूम है कुछ जिलों में बिजली पहुंचाई गई और किसानों से कहा गया कि बिजली लो लेकिन किन्हीं कारणों से किसान बिजली लेने को तैयार नहीं थे। सिंचाई मन्त्री जानते होंगे कि इधर के किसानों के सात हजार प्रार्थना-पत्र बुलन्दशहर के जिलों में बिजली लगाने के लिये उनको मिले हैं और वेटिंग लिस्ट में हैं। यह अकेले हाईडिल विभाग के हैं जो कि ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वस्तु स्थिति पहले समझ लेनी चाहिए। सरकारी साधनों के अतिरिक्त निजी साधन होने भी बहुत जरूरी है। सिंचाई के साधनों के लिए पहले जो बुनियादी चीजें जैसे बिजली है, उनकी सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए। निजी ट्यूबवेल लगने चाहिए और जब तक यह नहीं लगेंग तब तक आप कहें कि सरकार ही हमारे खेत में पानी भी डाल दे तो यह नहीं हो सकता। स्वयं भी प्रयत्न करना होगा। निजी प्रयत्न जब तक नहीं किया जायगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पश्चिमी जिले आपको अन्न भी दे रहे हैं और वहां का सिपाही भी आपके काम आ रहा है।

*श्री प्यारे लाल—

मान्यवर, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सारे प्रदेश में सिंचाई के साधन होने चाहिए। जहां सिंचाई के साधनों की कमी हो, वहां वह होने चाहिए। सारे प्रदेश को मौका मिलना चाहिए।

(श्री काशीनाथ मिश्र के कुछ कहने पर।)

मान्यवर, पश्चिमी जिलों के लोग अपनी शक्ति पर निर्भर करते हैं। आप निठल्ले हैं, इसलिए आप पिछड़े रह गए.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

वहां पर अंग्रेजों ने ज्यादा सुविधायें दी थीं।

श्री प्यारे लाल—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि....

श्री अध्यक्ष—

"आप निठल्ले हैं" यह आप नहीं कह सकते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्यारे लाल—

मैं वापस लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां नहर नहीं है, रजबहे नहीं हैं, वहां ट्यूबवेल लगाए जायं। अंग्रजों के जमाने में जो नहरें वहां पर....

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

पहले से ही वहां नहरें हैं। काहे को पूर्वी जिले वालों को गाली दे रहे हो?

श्री प्यारे लाल—

मान्यवर, जब तक नहर के किनारे ट्यूबवेल नहीं बनाए जाएंगे, तब तक वहां के लोग चोए से बहुत परेशान रहेंगे। क्योंकि कभी-कभी ये चोए बहुत बड़ी बाढ़ का रूप धारण कर लेते हैं। और सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नदियां हर साल अपना पाट बदलती जा रही हैं। लाखों एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश की नदियों के पेट में समा रही है। अतः नदियों के किनारे बांध बनवाए जायं जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में नदियों के किनारे सड़कें और बांध बनाए गए हैं तो उससे आने-जाने की भी सुविधा हो जाएगी और रजवाहों को काट कर किसान पानी भी नहीं ले पाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि रजवाहों के किनारे पक्की सड़कें बनाई जाएं जिससे किसानों को पानी भी मिल जाया करे और सड़कें भी बन जायेंगी।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप ट्यूबवेल भी बना ही रहे हैं। अब से करीब डेढ़ साल पहले हिन्दुस्तान के विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट आई थी कि जमीन का पानी खत्म हो रहा है। आप ट्यूबवेल लगायें परन्तु उसके साथ ही नदियों के पानी का ज्यादा प्रयोग करें। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो फिर ट्यूबवेल की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर ट्यूबवेल हमें लगाना है तो उसका प्रयोग नहरों में डाल कर उनका लैवल बनाए रखने के लिये करना चाहिए।

इसके साथ-साथ कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए मेरे साथी ने कहा था कि नहरों को बनाने में 25 परसेन्ट कमीशन कट जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह 25 परसेन्ट कमीशन तो टेन्डर के वक्त लिया जाता है जब पेमेंट होता है उस वक्त भी 25, 30 परसेन्ट कमीशन लिया जाता है। जब पेमेन्ट होता है तो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर इस नाम पर लेता है कि उन्हें एस0 ई0 और चीफ इन्जीनियर को भी देना होता है। इसका मतलब यह है कि चीफ इन्जीनियर तक यह कमीशन जाता है। तो इसे रोका जाय। जब 50 परसेन्ट कमीशन दिया जाएगा तो कुछ ठेकेदार भी खाएगा। इस तरह से काम क्या होगा? खाली रुपया देने से काम नहीं होगा। इस कमीशन को रोकने की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री प्यारे लाल—

एक बात और कहना चाहता हूं। यह जो बांध बने हुए हैं उनमें सिल्ट चला गया है इनको निकालने का प्रबन्ध किया जाय अगर इसको नहीं निकाला गया तो बांध उथल हो जायेंगे। इसके अलावा मेरे और श्री राजपाल जी के यहां हसनपुर और मंसूरी में 4, 5 हजार एकड़ जमीन खराब हो गई है। पहले जहां पर तीन फसलें होती थीं वहां अब दो ही फसलें हो पाती हैं इसलिए पानी को निकालने का प्रबन्ध होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ध्रुव नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सूझबूझ के साथ प्रस्तुत किया है। देखने से मालूम होता है कि इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। सिंचाई मन्त्री जी ने जो यह बात स्पष्ट की है कि घाघरा, करनाली और जलकुन्डी योजना का सर्वे चल रहा है, इससे हम लोगों को काफी प्रसन्नता हुई है।

मान्यवर, सिंचाई का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें सिंचाई पर ज्यादा बल दिया गया है। लेकिन अभी जो बात चल रही थी पूर्वी और पश्चिमी जिलों की, उस पर मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे पश्चिमी जिलों के साधन ज्यादा है और पूर्वी जिलों में कम हैं। अतः सिंचाई के साधन पूर्वी जिलों को ज्यादा मिलने चाहिए ताकि वह भी आगे आ जायं। पूर्वी अंचल की आबादी यू0 पी0 के आधे के करीब है या कुछ कम हो, लेकिन यहां सिंचाई के साधन कम हैं जिससे ये जिले आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मान्यवर, मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की दृष्टि से अभी गोरखपुर में 49 प्रतिशत के करीब भूमि की ही सिंचाई होती है। इसी प्रकार से बस्ती और आजमगढ़ की समस्यायें हैं। अभी पिछले साल गोरखपुर में एक भी स्टेट ट्यूबवेल नहीं मिला, आजमगढ़ को दो-एक मिला और बस्ती को शायद कुछ नहीं मिला था। इससे हमें मायूसी होती है। अभी-अभी मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में एक डिवीजनल मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि सुविधा दी जाएगी और नलकूप भी दिए जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूर्वांचल जिलों—गोरखपुर, बलिया, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, में आप ट्यूबवेल्स ज्यादा से ज्यादा दें, तभी हमारी खेती आगे बढ़ सकती है।

एक निवेदन और करूंगा कि राप्ती और घाघरा की बाढ़ से हमारे बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, और बलिया के जिले साल ब साल बरबाद होते जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मन्त्री जी सेन्टर से बात करें और जितनी जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है, उन पर अलग से लगान या अन्य कुछ लेकर जलकुन्डी और दूसरी करनाली योजना को सफल बनावें, तभी हमारे इन जिलों की तरक्की हो सकती है। गोरखपुर में कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र है, जिसका तीन बटे चार क्षेत्र राप्ती की बाढ़ से हर साल बर्बाद होता है। इस क्षेत्र में 45 मील लम्बी राप्ती नदी बहती है। इस क्षेत्र के किनारे पर दूसरी नदी आमी बहती है। इसकी रोक-थाम के लिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मउवापार से बेला बांध और मलौली से गजपुर बांध राप्ती के किनारे और आमी के दाहिने किनारे पर और बायें किनारे पर बांध बनवाया जाय और आमी नदी के किनारे पर बांध बनाकर पानी को रोका जाय, नहीं तो बाढ़ की विभीषिका से यह होता है कि खड़ी फसलें देखते–देखते बर्बाद हो जाती हैं। अभी जो पुराना बांध बना हुआ है, वोकटा परवार बांध है, उस के रख-रखाव के लिए मिट्टी पड़ रही है, लेकिन कई जगह नदी पास आ गई है। इसलिए ठोकर लगाना जरूरी है और मलौली बांध को भी नदी काट रही है, वहां पर भी ठोकर बनाना बहुत जरूरी है। जैसा हमने बताया 45 मील तक नदी हमारे क्षेत्र में बहती है, जिससे बहुत सा क्षेत्र कट रहा है। उन गांवों में से विशेष कर यह गांव हैं सकटा बखार बांध के बगल में है और मलौली बांध के बगल में है। चनऊ उर्फ बेतुवा तथा कत्यारी हरिजन बस्ती को नदी काट रही है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन गांवों में अविलम्ब ठोकर लगवाई जाएं। एक समस्या रामगढ़ ताल है, जो गोरखपुर में शहर के पूर्व की तरफ है। मलौली बांध के बन जाने से 50 गांव सभाएं बर्बाद होती हैं और बरसात का पानी वहां जमा होता है, जिससे फसलें बह जाती हैं। अतः इसबरसाल पानी के निकास के लिए गुर्रा और राप्ती के बीच में एक बांध बनवाया जाय और हमारी 50 ग्राम सभाएं सुरक्षित हो सकें। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ मन्त्री जी ने जो अनुदान मांगे हैं, उनका समर्थन करता हूं।

श्री लोकपति—

श्रीमन्, एक अनुरोध है . . .

श्री अध्यक्ष—

15 मिनट का समय बढ़ा देता हूं।

*श्री लोकपति—

मान्यवर, हमारे आजमी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है और हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत से बहुमूल्य सुझाव सिंचाई विभाग के बारे म दिए हैं। श्रीमन्, इन सुझावों का चार वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है। एक तो हमारे किसानों की सुविधा के सम्बन्ध में था। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, शासन ने यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल, 1976 से जब हमारी इस वर्ष की रबी की फसल की सिंचाई समाप्त होती है और आने वाली खरीफ के पहले प्रदेश में जितने कृषक हैं उनको सिंचाई की पास-बुक बांट दी जाय ताकि वह जो पानी लेते हैं, चाहे नलकूप के द्वारा लें, बन्धियों से या तालों से, जहां से भी सिंचाई विभाग के द्वारा पानी उन्हें उपलब्ध हो, उस पास-बुक में वह पानी उपलब्ध कर दिया जाय और जो उसका रेट या सिंचाई की जो दर हो, उसको अंकित कर दिया जाय। इससे शायद हमारे कृषकों की बहुत सी परेशानी जो हमारे अमीन और पतरौलों के माध्यम से होती है, वह दूर हो जाएगी।

दूसरा मान्यवर, सुझाव आया नलकूपों के बारे में हमारे माननीय गर्ग साहब ने बिजली की समस्या उठाई। यह सही है कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों में बिजली की कठिनाई रही है। यह भी सही है श्रीमन्, कि योजना के द्वारा प्रदेश में जैसा कि हमारे विद्युत मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था इस वर्ष 600 मैगावाट बिजली अतिरिक्त उपलब्ध हो रही है और प्रति वर्ष प्रदेश की आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध हो जाएगी और जितनी हमारी सिंचाई योजनाएं चल रही हैं नलकूप की या डाल योजना, वह विद्युत परिषद् के सम्पर्क से चल रही हैं और जितनी विद्युत की आवश्यकता होगी, उतनी बिजली विद्युत विभाग हमको देगा। इसके पूर्व श्रीमन्, यह था कि राजकीय नलकूप जिन क्षेत्रों में बनाए जाते थे उन क्षेत्रों में जो बिजली की लाइन जाती थी, उन लाइनों के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया जाता था। अब एक कठिनाई यह है कि राजकीय नलकूपों से जो ग्रामीणों को बिजली दी जाती है, जिन राजकीय नलकूपों पर बिजली कम पहुंचती है, उसका प्रयास किया जा रहा है कि राजकीय नलकूपों की डायरेक्ट लाइन कर दी जाय। जो करेंट का उतार-चढ़ाव चलता है और जिसकी शिकायत यह की गयी कि कहीं पर स्टार्टर खराब हो गया, कहीं पर बिजली की मोटर खराब हो गयी और यों ऐसे मौके पर खराब हो गयी जब कि सिंचाई की आवश्यकता रही। नलकूपों पर यह उतार-चढ़ाव जो है नलकूपों का यह रोका जाय।

तीसरी समस्या हमारी नहरों की है। कुछ हमारे माननीय सदस्यों को यह भ्रम है कि यह बनने वाली शारदा सहायक की योजना, इससे नहर राम गंगा की नहरें उन क्षेत्रों तक पहुंचती हैं। यह श्रीमन्, मन्डल बैठक में बता चुका हूं और हम यह भी बता चुके हैं कि जिन भागों में यह नहरें नहीं पहुंचेंगी वहां सिंचाई की सुविधा देने के लिए राजकीय नलकूप लगाए जाएंगे। एक कछार की समस्या उठाई गई कि वहां पर भी सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जायं। यह बहुत ही आवश्यक है। इस पर भी विचार किया गया है और यह निर्णय किया जा रहा है कि हमारे जो कछार के क्षेत्र हैं, उनमें बोरिंग करा दी जाय और बरसात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लोक पति]

के दिनों में उसको बन्द कर दिया जाय। बरसात के बाद उनके मुंह खोल दिए जायं और उस क्षेत्र के कृषकों को कह जाय कि वे अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर लें। वर्ल्ड बैंक तथा अन्य साधनों से किसानों को पम्पिग सेट्स के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तो शासन द्वारा ट्यूबवेल का बोरिंग कराने के बाद कछार की जो समस्या है और जैसा कि माननीय ईश्वरी सिंह जी ने कहा कि वहां पर छोटी-छोटी योजनायें चलाई जाएं और निजी क्षेत्र में चलाई जाएं। तो शासन ने निर्णय लिया है कि इन क्षेत्र में बोरिंग करा दी जाय।

बाढ़ और ड्रेनेज की समस्या तथा नहरी क्षेत्र में वाटर लौगिंग और पानी का जल ऊंचा उठाने की समस्या है। जहां तक बाढ़ और ड्रेनेज की समस्या है, इस पर विचार विमर्श किया गया और उत्तर प्रदेश की इन समस्याओं के निराकरण के लिए लगभग 300 करोड़ ड्रेनेज का कार्य हो रहा है। परन्तु बाहर के जो क्षेत्र हैं, इसमें गति लाने के लिए शासन ने यह प्रयास किया है कि और हमारे माननीय सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया है कि उत्तर प्रदेश के विधायकों का एक दल केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय से मिले और प्रदेश की समस्या को, बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए उनसे कहे कि अगर केन्द्र से हम अधिक रुपया मिल सके तो हम इस समस्या को हल कर सकेंगे। हम अपने माननीय सदस्यों के इस सुझाव का आदर करते हैं और अवश्य ही हम अपने माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग लेंगे। हमारा भी प्रयास होगा कि प्रदेश की बाढ़ का अभिशाप जल्द से जल्द दूर हो। इसके लिए एक दो वर्ष या 5 वर्ष की अवधि पर्याप्त न होंगी कि इसे रोका जा सके। इसके लिए हमें 10 वर्षीय कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और इसमें यह दृष्टि रखनी पड़ेगी कि हम कितना धन उपलब्ध करा पाते हैं उसी के अनुरूप कार्य किया जायगा। कार्य इस समय भी हो रहा है लेकिन जो हो रहा है उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है।

चौथी बात विभागों की अनियमितताओं की बात कही गई। हमारे माननीय सदस्य, जफर साहब ने कुछ व्यक्तियों के बारे में कहा कि उसमें सानवाल साहब जो एस0 ई0 हैं अग्रवाल साहब की चर्चा की गई जो एस0 ई0 हैं, प्रकाश बहादुर और सरन साहब की चर्चा भी हुई। इन लोगों के कार्यकलापों के बारे में विजीलेंस से जांच चल रही है और उनकी जो संस्तुति होती है वह विभाग द्वारा स्वीकृत ली जाती है। अभी तक विजीलेंस द्वारा उनके ऊपर जितनी कार्यवाही करने की बात आई है, वह विभाग द्वारा कर दी गई है।

अभी यहां पर कोयले की चोरी की बात आई कोई मिश्रा साहब के खिलाफ। ऐसी कोई सूचना विभाग के पास नहीं है। इसके बारे में जांच कराई जायगी और अगर ये तथ्य सही होंगे तो अपराधी को दन्ड दिया जायगा और यही शासन की नीति रही है, जिसके अनुरूप इस मामले में भी कार्यवाही की जाएगी।

कुछ लोगों ने श्री राजेश चन्द्र, ई0 ई0 बरेली के बारे में कहा गया कि वे 9 वर्ष से बरेली में ही हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य को सही सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये श्री राजेन्द्र साहब उन्नाव डिवीजन में दिनांक 16 अगस्त, 1968 से 3 जुलाई, 1969 तक रहे। इसके बाद रोहेलखंड कैनाल डिवीजन, बरेली में वे दिनांक 13 जुलाई, 1969 से 26 सितम्बर, 1971 तक थे। फिर ट्यूबवेल डिवीजन, बुलन्दशहर में दिनांक 1 नवम्बर, 1971 से 10 दिसम्बर, 1971 तक थे। फिर शारदा सहायक, खंड 2, पीलीभीत में उनकी पोस्टिंग हुई और दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 से 7 जनवरी, 1972 तक वहां थे। फिर हरिपुर रिजरवायर में दिनांक 24 जनवरी, 1972 से अब तक हैं। जगरानीपुर योजना का कार्य आरम्भ किया जा रहा है और ये जनरार में पोस्ट कर दिए जायेंगे। मेरे विभाग में ऐसी बात नहीं है कि अनियमिततायें नहीं हुई। अनियमिततायें हुई और इससे विभाग का और उत्तर प्रदेश का सब का सिर शर्म से झुक जाता है, मगर अपराधी को दन्ड देना चाहिए। अतएव, इस तरह के 197 व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की गयी है। 55 अधिकारी और 79 [illegible]नियर इन्जीनियर्स हैं। 49 आदमियों

को सेवा काल से पूर्व निवृत्त कर दिया गया है। आगे भी अनियमितताओं की शिकायतें आयेंगी तो आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी अपराधी होगा, उसको अवश्य दन्डित किया जाएगा।

एक प्रश्न उठा कि हमारी योजनाओं का कोई अवधि नहीं है कि कितने दिनों में यें पूर्ण होंगी और ये योजनाएं लम्बी होती चली जाती हैं। तो श्रीमन्, शारदा सहायक योजना जो प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि भारतवर्ष में इस समय यह सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसके पूरा होने की अवधि 1980 में थी, जिसको प्रयास करके 2 वर्ष कम कर दिया है और पिछले दिन सदन में इस बात को मैंने बताया था कि 30 जून, 1978 तक शारदा का कार्य पूरा कर दिया जायगा और इससे सिंचाई उपलब्ध होने लगेगी, उन क्षेत्रों को जहां पर यह योजना पहुंच रही है। हमारे एक माननीय सदस्य, भाई बनवारी रा ने कहा कि शारदा बलिया में नहीं जा रही है तो वह वहां भी जा रही है और मैं आश्वासन देता हूं कि उनके क्षेत्र में भी जायगी और वह चाहेंगे तो एक आध उनका बाड़ भी दे देंगे। क्योंकि उसमें पानी इतना चलेगा कि जितना गोमती नदी में बाढ़ के अवसर पर चलता है यानी 23 हजार क्यूसेक्स। आज कल उत्तर प्रदेश में गंगा में जो चल रहा होगा वह 10-12 हजार क्यूसेक्स से अधिक नहीं होगा और इसमें 23 हजार चलेगा। तो माननीय सदस्य, फतेहपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ आदि जितने हैं सबको आश्वस्त होना चाहिए कि जहां-जहां इसका जल जायगा अधिकांश जनपदों का भाग इससे सिंचित हो जायगा। श्रीमन्, रामगंगा और गन्डक इन दोनों परियोजनाओं के लिए 30 जून, 1977 का समय निर्धारित किया गया है कि तब तक ये कार्य समाप्त करेंगी। प्रदेश सरकार की यह नीति हो गयी है कि जो भी कार्य आरम्भ हो सिंचाई से सम्बन्धित, उसक. निर्माण समाप्त होने का एक लक्ष्य, एक तिथि निर्धारित हो कि उस तिथि तक वह पूर्ण हो जाय। इसी को दृष्टि में रख कर वह कार्य किया जा रहा है। मैं पुनः अपने विधान सभा के माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत बहूमूल्य सुझाव दिए।

बुन्देलखंड के नलकूपों की चर्चा हुई। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी माननीया विधायक, बेनी बाई ने मऊ रानीपुर और गरौठा क्षेत्र के लिए नलकूप की बात कही है। यह बात तो उनसे जब मन्डली बैठक हुई थी उसमें कह दी गयी थी कि इस क्षेत्र में इस वर्ष नलकूप का सर्वेक्षण करायेंगे और अगर वह सफल हुआ तो अवश्य उस क्षेत्र में नलकूप दिया जायगा।

जहां तक जल विवादों का प्रश्न है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, तो यह प्रयास हो रहा है कि एक बैठक शीघ्र हो जाय और हमारे विवाद चाहे नए निर्माण के सम्बन्ध में हों, चाहे पुरानी नहरों के सम्बन्ध में हों, उन पर एक निर्णय लिया जाय ताकि भविष्य में उस क्षेत्र के हमारे कृषक भाईयों को परेशानी न हो।

हमारे भाई गौरीशंकर जी ने एक सुझाव दिया पंचनद के बारे में। इस परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है और यह परियोजना भारत सरकार को दे दी गयी है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीन प्रदेश आते हैं। बहु-प्रदेशीय यह योजना है और जैसा मैंने कहा हम यह प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, जिनसे भी हमारी सरहद मिलती है और जिनसे जल विवाद है एक बैठक शीघ्र हो ताकि उन विवादों का निपटारा हो। उस बैठक में पंचनद परियोजना पर भी विचार किया जायगा।

[श्री लोकपति]

इटावा तथा प्रदेश के अन्य बीहड़ क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, इस वर्ष जो प्रदेश में 730 नलकूप दिए गए हैं, उनमें से उस क्षेत्र में भी नलकूप दिए गए हैं ताकि उन क्षेत्रों के नागरिकों को भी यह आभास मिले कि वह स्वतन्त्र भारत के नागरिक हैं और इस देश का नेतृत्व हमारी प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के हाथ में है।

आपके माध्यम से मैं अपने सम्मानित मित्र आजमी साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लें और इन अनदानों को यह सदन पास करे।

श्री जफर आजमी—

माननीय, जिस हौसले और उम्मीदों के साथ, जिस यकीन देहानी के साथ माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने विश्वास दिलाया ह कि वह उन तमाम कामों को आगे बढ़ायेंगे इस रोशनी में, मैं यह कह कर अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहूंगा कि अगर यह काम आप अन्जाम देते रहे तो मैं कह सकता हूं कि —

तुम्हे चांद पर जा के रुकना नहीं है
तुम्हारी है मंजिल सितारों से आगे ।

और इसके साथ मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय जफर आजमी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(सदन की अनुमति से कटौती के सभी प्रस्ताव वापस हुए।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदा। संख्या 57—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,30,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,40,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किय गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण का पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,14,49,82,000 रुपए से अनधि क धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,85,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
10 मई, 1976।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 262 पर)

वर्ष 1974-75 का गन्ना मूल्य की बकाया की दिनांक 31 मार्च, 1976 तक की स्थिति :—

क्रम-सं0	चीनी मिल का नाम	वर्ष 1974-75 में अवशेष गन्ना मूल्य का विवरण (लाख रुपयों में)
1	2	3
1	इकबालपुर	2.00
2	लक्सर	3.50
3	सहारनपुर	53.39
4	खतौली	0.27
5	सखौती	0.40
6	जसवंत	0.80
7	मोहीउद्दीनपुर	0.22
8	अमरोहा	1.09
9	बिलारी	3.30
10	रामपुर	19.65
11	बिजनौर	18.97
12	बहेड़ी	18.95
13	बरेली	22.40
14	रोजा	16.51
15	हरदोई	2.74
16	महोली	35.59
17	विस्वां	0.97
18	बुढ़वल	1.11
19	मोतीनगर	0.55
20	शाहगंज	0.36
21	बभनान	0.16
22	तुलसीपुर	11.73
23	जरवल रोड	12.37
24	बस्ती	0.07
25	धुघली	0.04
26	सिसवाबाजार	15.68
27	बैतालपुर	0.03
	कुल योग	242.85

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 262 पर)

विधान सभा सदस्य, सर्वश्री सत्य प्रकाश तथा हरिश्चन्द्र खन्डेलवाल द्वारा दिये गये शापन दिनांक 28–8–75 से संबंधित ब्योरा—

मुख्य सुझाव एवं शिकायतें	की गई कार्यवाही का ब्योरा अथवा टिप्पणीं
1—बिक्री-कर कार्यालय से बगैर अपना रिकार्ड ठीक किये और करदाता को पूर्व किसी सूचना के बिना रिकवरी निकाल दी गई। रिकवरी की प्रतिलिपि भी करदाता को नहीं दी गई। कार्यालय में रिकार्ड ठीक नहीं है। कार्यालय से रिकवरी जाने के पूर्व करदाता को एक नोटिस देकर एक निश्चित तारीख को बुलाया जाय। करदाता के स्पष्टीकरण के पश्चात् यदि कोई अन्तर है तब कार्यालय अपना रिकार्ड दुरुस्त कर लेगा।	बसूली प्रभाण-पत्र जारी करने के पूर्व बिक्री-कर विभाग द्वारा अपने रिकार्ड की जांच कर ली जाती है और त्रुटि उसी दशा में होती है जहां वसूली अधिकारियों के यहां से भुगतान संबंधी विवरण या चालान नहीं प्राप्त होता है। साइटेशन नोटिस आदि जारी होने पर, बकाये की अदायगी के तकाजा के समय, भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर वसूली प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जाता है। गत वर्ष ऐसे आदेश दिये गये हैं कि पुराने बकाये के लिये वसूली प्रमाण–पत्र दो प्रतियों में जारी किये जायं जिसकी एक प्रति बकायादार पर इस आशय से तमील की जाय कि निश्चित अवधि में बता सके कि उल्लिखित धनराशि जमा तो नहीं हुई है या अपील आदि में कम तो नहीं हो गयी है। इस सम्बन्ध में विभिन्न बिक्री-कर कार्यालयों में मई 1 से मई 10, 1976 तक इस प्रकार का अभियान भी चलाया जा रहा है कि बकायादार की उपस्थिति में उनके पास प्राप्त रसीदें और कागजातों को देख कर बिक्री-कर कार्यालय के रिकार्ड ठीक कर लिये जायं।
(2) 1–12–73 से केवल 39 वस्तुएं बहुसूत्रीय थीं जिन पर एक प्रतिशत से लेकर 3 1/2 प्रतिशत तक कर था। जनरल रेट 3 1/2 प्रतिशत की बजाय 7 प्रतिशत कर दिया गया। सं0 1948 में जो व्यवस्था चालू की गई थी, वही रखी जावे। जनरल रेट 3 1/2 प्रतिशत रखी जावे।	बिक्री-कर प्रणाली के अभिनवीकरण एवं उसमें सरलीकरण लाने के उद्देश्य से सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है कि बहुपदीय कर व्यवस्था को समाप्त करके एक–पदीय कर व्यवस्था लागू की जाय। बहुपदीय कर व्यवस्था में बिक्री के प्रत्येक स्तर पर कर देय हो जाता था और प्राय: एक से अधिक बिक्री होने के कारण कर का आपात 7 प्रतिशत से अधिक पड़ता था। इसी आधार पर बिक्री-कर की सामान्य दर 7 प्रतिशत रखी गयी है यद्यपि कतिपय वस्तुओं पर, जो बहुपदीय कर योग्य थीं, कर की दर 7 प्रतिशत से कम भी रखी गयी है।

मुख्य सुझाव एवं शिकायतें	की गई कार्यवाही का ब्योरा अथवा टिप्पणी
(3) आयातकर्ता के ऊपर 25,000 रु0 की छूट लागू नहीं होती । इसका अर्थ यह होगा कि चाहे उसकी बिक्री 25,000 रु0 से कम है उसे तिमाही रूप पत्र दाखिल करने पड़ेंगे और सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में उसकी बिक्री 25,000 रु0 से कम है । धारा 12–बा के अनुसार करदाता के ऊपर बर्डन आफ प्रूफ है और धारा 12(2) के अनुसार निर्माण का पूरा हिसाब रखना अनिवार्य कर दिया गया है । धारा 12–बा और 12 (2)को रद्द किया जाय । महंगाई चार गुने से भी ज्यादा हो गई। अत: लिमिट 48,000 रु0 रखी जाय ।	वर्ष 1956–57 से न्यूनतम कर देय सीमा 12 हजार रुपये वार्षिक प्रभावी थी । दिनांक 1–4–1975 से यह सीमा बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई । आयातकर्ता के लिये न्यूनतम कर देय सीमा पहले भी प्रभावी नहीं थी, स्थिति अब भी यही है । आयातकर्ता से तात्पर्य उस व्यापारी से है जो दूसरे प्रदेश से माल आयात करता है । सामान्यत: छोटे व्यापारियों द्वारा इस प्रकार आयात नहीं किया जाता है । अत: न्यूनतम कर देय सीमा का लाभ छोटे व्यापारियों को प्राय: मिलता ही है । यदि उनका वार्षिक विक्रय धन उपरोक्त सीमा से कम है तो उनको बिक्रीकर विभाग में अपना पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती और न तिमाही रूप पत्र ही दाखिल करना पड़ता है । केवल ऐसे मामलों में उनके विरुद्ध कर निर्धारण की कार्यवाही की जाती है जिसमें सर्वे आदि के दौरान यह पाया गया हो कि उनका वास्तविक विक्रय धन उपरोक्त सीमा से कम नहीं था । न्यूनतम कर देय सीमा कुछ समय पूर्व बढ़ाई गयी थी । इस समय उसे और बढ़ाने का विचार नहीं है ।
	अधिनियम की धारा 12(2) निर्माता के लिए ही प्रभावी होती है, सामान्य व्यापारियों के लिये नहीं । यह प्राविधान बिक्रीकर नियम 72 (2) में बहुत पहले से मौजूद रहा है । धारा 12–क उन व्यापारियों के लिये प्रभावी है जो अपनी कुल बिक्री/खरीद या उसके किसी भाग के कर मुक्त होने का दावा करते हैं । ऐसे मामलों में दावे की पुष्टि का साक्ष्य वे ही दे सकते हैं इसलिये सामान्य विधि सिद्धान्तों के आधार पर यह प्राविधान किया गया है ।
(4) व्यापारी की पत्रावली पूर्ण नहीं होती। उसमें रूप पत्र चालान व अन्य संबंधित कागज गायब रहते हैं। अपील या रिवीजन की सुनवाई के समय में 10 केसों में 4–6 ही फाइलें पहुंचती हैं । सुनवाई स्थगित हो जाती है । पत्रावलियों को दुरस्त कराने का विशेष प्रयत्न करना चाहिये ।	यह प्रयास किया जा रहा है कि मुकदमों की पत्रावलियों का रख रखाव ठीक प्रकार हो और उन्हें अद्यावधिक रखा जाय ।

मुख्य सुझाव एवं शिकायतें	की गई कार्यवाही का ब्योरा अथवा टिप्पणी
(5) एक विशिष्ट मामले में एस0 आई0 बी0 द्वारा सर्वे दिनांक 22–1–70 को किया गया। 23–3–75 को आदेश पारित किया गया। शासन को ऐसे वादों को निस्तारण करने के लिये समय निर्धारित करना चाहिये था। सेक्टर में आने के बाद 45 दिन के अन्दर ऐसे वादों का निस्तारण किया जावे। रिमान्ड वाद एक साल में निस्तारण कर दिये जावें।	एस0 आई0 बी0 द्वारा प्रतिप्रेषित केसों में पूरी छान-बीन करनी पड़ती है और कर निर्धारण अधिकारी को अपना स्वतंत्र मत स्थापित करना पड़ता है। इस का प्रयास किया जा रहा है कि कर निर्धारण जल्दी पूरा किया जाय और अधिकारियों की भर्ती करके उनकी कमी दूर की जा रही है। सर्वे के बाद 45 दिन के अन्दर कर निर्धारण आदेश पारित करना व्यावहारिक नहीं हो पाता क्योंकि सत्यापन आदि में काफी समय लगता है। रिमान्ड वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।
(6) अब कुछ वर्षों से न्याय पालिका यानी सहायक आयुक्त (न्याय) जज रिवीजन के नियंत्रण से निकाल कर बिक्री कर आयुक्त के अधीन कर दिये गये ह। आम कर दाता में विश्वास की भावना जाग्रत करने के लिये सहायक आयुक्त (न्याय) को पुन: जज रिवीजन जज क अधीन किया जावे।	मौजूदा व्यवस्था को बदलने का विचार नहीं है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 275 पर।)

बरामद किये गये सामान की सूची

1—एक अदद तमंचा देशी ।
2—लोहे की संड़सी एक बड़ी साइज तथा दो औसत साइज ।
3—चार अदद रेती ।
4—एक अदद लोहा काटने की आरी ।
5—एक अदद लकड़ी काटने की आरी ।
6—दो अदद हथौड़ी ।
7—सात अदद बर्मा के फल।
8—दो अदद कीली ।
9—चार अदद सुम्मी ।
10—एक अदद सरसी फंसाने का कड़ा ।
11—छः अदद स्प्रिग ।
12—एक अदद बर्मा चलाने का डंडा मय रस्सी ।
13—दो अदद चौकोर लोहे की सुम्मी व छेनी ।
14—एक अदद निहाई लोहे की ।
15—एक अदद बसूली लकड़ी बेरी लगी ।
16—एक अदद बट की लकड़ी अधबनी ।
17—करीब एक तोला सोहागा ।
18—एक अदद बर्मा मय फल ।

कारखाने का पता कब और कैसे लगा

दिनांक 27–10–75 को अभियुक्त अब्दुल खालिक पुत्र मुनब्बर, निवासी मोहल्ला शाहगंज, थाना कोतवाली धारा 25 शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 873, धारा 25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ। इस अभियुक्त के पास से अवैध देशी पिस्तौल व कारतूस बरामद हुये। पूछताछ के दौरान इस अभियुक्त ने ग्राम धीर खेड़ा, थाना अजगैन के कुंवारे उर्फ राम कुमार बढ़ई से खरीदा जाना बतलाया। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कोतवाली, श्री कृपाल सिंह ने दल-बल से 27–10 75 को ग्राम धीर खेड़ा, मजरा संदाना, थाना अजगैन में राम कुमार के घर पर दबिश दी। उपरोक्त राम कुमार उस समय अवैध शस्त्रों को अपनी पत्नी श्रीमती कृष्णा की सहायता से बना रहा था। पुलिस को देख कर राम कुमार भाग गया। पुलिस ने उसकी पत्नी श्रीमती कृष्णा को गिरफ्तार किया तथा अवैध शस्त्र बनाने का कारखाना मय सामान दिनांक 27–10–75 को बरामद किया।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 275 पर।)

नकल चिक गैर द0 नं0 305, थाना कलवारी, बस्ती ।

सूचना तिथि व समय--दिनांक 23-10-75, समय 6-30 सुबह

वादी--श्रीमती राम पता स्त्री छविलाल हरिजन, सा0 नरहरपुर, थाना कप्तानगंज, बस्ती।

2--प्रतिवादी--नन्हकू सिंह पुत्र बालकिशुन सिंह, सा0 इजरगढ़, था0 कलवारी, जिला बस्ती ।

3--धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0

4--घटना का स्थान, तिथि व समय--दिनांक 22-10-75; समय 8 बजे सुबह घटनास्थल ग्राम इजरगढ़।

5--गवाहों के नाम पता 1--दया राम पुत्र लेखई हरिजन, सा0 इजरगढ़
2--गनेशी पुत्र झिन्नू ,, ,,
3--भीनू पुत्र भरोस ,, ,, आदि
थाना कलवारी बस्ती।

6--घटना का संक्षिप्त विवरण: --

वादिनी ने बयान किया कि मेरा नैहर ग्राम इजरगढ़ में है मैं अपने नैहर गई थी मेरे पिता मर गये हैं मेरी मैभा महतारी है उसके पास करीब एक बीघा खेत है वह खेत नन्हकू सिंह मेरी मैभा मां को फुसलाकर जोत रहे हैं और लिखाने की तैयारी कर रहे हैं मैने अपनी मैभा मां से कहा कि क्यों तुम नन्हकू सिंह को दे रही हो जब तुम्हारे पट्टीदार दयाराम ने जो पिता के मरने पर काम किया है तो उसे क्यों नहीं दे रही हो, यह बात किसी ने नन्हकू सिंह से जाकर कह दिया। नन्हकू सिंह गाली देते हुए मेरे दरवाजे पर आये। मैं अपने घर नरहरपुर जाने की तैयारी कर रही थी नन्हकू सिंह कहे कि पूका मारों खेत लेने आई हो और मेरा चोचा पकड़ कर पटक दिए तथा लात मूका से मारने लगे वहां भगौती सिंह एक पैना लेकर खड़े थे उस पैना को छीन कर मेरे बायें पैर के पन्जे पर एक पैना मारे तथा मेरे सीने पर भी लात मूका की चोट व सर पर थप्पड़ से मारे हैं इतने में गवाहान उपरोक्त आकर बीच बचाव किए तथा घटना को भलीभांति देखें इत्तला को आयी हूं तथा जानमाल की धमकी दिये हैं।

नि0 अं0 श्रीमती रामपता

लेखक एफ0 आई0 आर0-हे0 कां0 राजकुमार यादव

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 276 पर।)

सितार-गंज कृषि शिविर

वर्ष	कुल कितनी एकड़ भूमि पर कृषि हुई	कितनी एकड़ भूमि बंजर पड़ी रही
1	2	3
1960-61 ..	2806	2737
1962-63 से 1967-68 तक	2882	2384
1968-69 से 1972-73 तक ..	3910	1343
1973-74 से 1975-76 तक ..	2963	1155

नत्थी 'ब'

(देखिये नत्थी 'च' पीछे पृष्ठ 284 पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई0 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948 की धारा 3-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(1) धारा 3-कक या धारा 3-घ में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी द्वारा देय कर—

(क) किसी होटल या जलपान-गृह या उसके भाग में कैबरे या फ्लोर-शो की व्यवस्था के साथ उपभोग के लिये प्रस्तुत खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों के सम्बन्ध में, विक्रय-धन पर, ऐसी दर पर, जो चालीस प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा; और

(ख) प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट स्थल पर, ऐसी दर पर, जो पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, कर लगाया जायगा और उक्त अनुसूची को प्रविष्टि में समाविष्ट भिन्न-भिन्न माल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अनुसूची से किसी माल से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि निकाल सकती है, और इस प्रकार निकाली गई किसी प्रविष्टि को इसी तरह पूर्ववत् रख सकती है और किसी प्रविष्टि के निकालने या पूर्ववत् रखने की कोई ऐसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर उक्त अनुसूची, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तद्नुसार संशोधित समझी जायगी।"

धारा 3-ङ का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-ङ के स्थान पर निम्नलिखित धार रख दी जायगी, और सदैव से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्:—

"3-ङ—प्रत्येक व्यापारी जो 21 मई, 1974 को या इसके पश्चात् किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से, उन परिस्थितियों में, जिनमें ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा कोई कर देय न हो या रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से कोई कर-योग्य माल खरीदता है तो वह ऐसे माल के क्रय-मूल्य पर, उसी पर, जिस पर ऐसे माल के विक्रय-मूल्य पर कर देय होता यदि

उपरिलिखित परिस्थितियां विद्यमान न हों तो, कर का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल पर बिक्री के केवल एक स्थल पर कर देय हो और यदि ऐसा व्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह साबित कर दे कि खरीदे गये माल पर कर इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन पहले ही लग चुका है या लगाया जायगा तो इस धारा के अधीन कोई कर देय न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि ऐसे माल का क्रय छब्बीस मई, 1975 के पूर्व किया गया हो तो पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड का यह अर्थ लगाया जायगा कि शब्द "कर इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन" के पश्चात शब्द "या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन" बढ़ा दिये गये हैं।"

धारा 3-6 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 3-छ में, उपधारा (2) के अन्त में, शब्द 'या यदि से विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम का कोई कार्यालय या अधिष्ठान उत्तर प्रदेश में स्थित न हो," बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा चार का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 4 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और दिनांक 2 मई, 1974 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:--

"(क) पानी, दूध, नमक, समाचार-पत्र, संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री करारोपण अधिनियम, 1939 में यथा-परिभाषित मोटर स्प्रिट, डीजल आयल और अलकोहल या किसी अन्य माल की बिक्री या खरीद पर, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा छूट दे; या।"

धारा 4-ख का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 4-ख में:--

(1) उपधारा (1) के खंड (क) में, शब्द और अंक "यदि धारा 3-घ के अधीन कर योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाय जो उक्त धारा के अधीन, यथास्थिति, अपने क्रय या प्रथम क्रय के क्रय धन पर कर का देनदार हो" के स्थान पर शब्द और अंक "यदि धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन कर योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाय जो उक्त धारा के अधीन, यथास्थिति, क्रय या प्रथम क्रय के क्रय-धन पर कर का देनदार हो या यदि कोई माल किसी व्यापारी द्वारा उन परिस्थितियों में खरीदा जाय जिनमें ऐसा व्यापारी धारा 3-ङ के अधीन उसके सम्बन्ध में क्रय-कर का देनदार हो," रख दिये जायेंगे और दिनांक 21 मई, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे ;

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में, शब्द "किसी अन्य धारा के अधीन" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन" रख दिये जायेंगे और दिनांक 21 मई, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे ; और

(3) उपधारा (4) के खंड (1) के उप-खंड (ग) में, शब्द; कोष्ठक और अंक "उपधारा (3) के अधीन" के स्थान पर

शब्द, अंक और अक्षर "धारा 8–ग के अधीन" रख दिये जायेंगे और दिनांक 1 मार्च, 1973 से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 8–क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 8–क में, उपधारा (1–क) में, खंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे और दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

"(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में, व्यापारी द्वारा पचास रुपये का शुल्क देय होगा। प्रत्येक ऐसे कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त नवीकरण कराया जाना है, पच्चीस रुपये का शुल्क देय होगा।

(घ) जो व्यक्ति, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिये निर्धारित अवधि के भीतर प्रार्थनाप्त्र न दे, उसे धारा 14 या धारा 15–क के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपेक्षित शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये, जिसमें व्यतिक्रम पूर्ववत् बना रहे, 25 रुपये का अथ-दंड देना होगा।"

धारा 8–ख का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 8–ख में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक 1 अप्रैल 1976 से रखी गई समझी जायगी, अर्थात् :—

"(2) अन्तिम रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र निर्धारित रीति से सत्यापित किया जायगा, और उसके साथ प्रथम कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त वह दिया गया हो, पचास रुपये, और प्रत्येक अनुवर्ती कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये जिसके निमित्त वह दिया गया हो, पच्चीस रुपये का शुल्क भुगतान करने का सन्तोषजनक प्रमाण होगा।"

धारा 11 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (1) में, अंक और शब्द "100 रु0" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"32—(1) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 9 के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र और अधिनियम के अधीन अन्य प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क निम्नलिखित होगा :—

(क) धारा 9 के अधीन अपील के ज्ञाप–पत्र पर	विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदंड की धनराशि का दो प्रतिशत, किन्तु कम से कम पांच रुपया और अधिक से अधिक दो सौ पचास रुपया।
(ख) धारा 10 के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र पर जो, कर शुल्क या अर्थदंड की वसूली के स्थगन के लिये प्रार्थना–पत्र न हो।	विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि का साढ़े सात प्रतिशत, किन्तु कम से कम पन्द्रह रुपया और अधिक से अधिक पांच सौ रुपया।

(ग) धारा 35 के अधीन प्रार्थना-पत्र पर — पचास रुपय ।

(घ) किसी अन्य प्रार्थना–पत्र पर :—

(1) जब वह बिक्री कर कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को सम्बोधित हो । — तीन रुपया

(2) जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो। — दो रुपया

(2) इस धारा में और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी अन्य उपबन्ध में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान—

(क) उत्तर प्रदेश के किसी खजाने में या उप–खजाने या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा में जमा करके किया जायगा और उस दशा में खजाने के चालान की एक प्रति, जिसमें अपेक्षित शुल्क की जमा धनराशि दिखाई गई हो, ज्ञाप–पत्र या प्रार्थना–पत्र से संलग्न की जायेगी; या

(ख) चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिया जायगा, और उस दशा में उसको खजाने के चालान की तीन प्रतियों के साथ ज्ञाप–पत्र या प्रार्थना–पत्र से संलग्न किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां देय शुल्क की धनराशि दस रुपये से अधिक न हो, वहां व्यापारी अपनी स्वेच्छा से उसका भुगतान, यथास्थिति, ज्ञाप पत्र या प्रार्थना–पत्र पर न्यायालय फीस स्टाम्प लगाकर कर सकता है।

(3) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई शुल्क देय न होगा—

(क) बिक्रीकर कमिश्नर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र ; और

(ख) ऐसा प्रार्थना–पत्र जिसमें केवल सूचना मांगी गई हो,और जिसमें किसी विनिर्दिष्ट अनुतोष की प्रार्थना न की गई हो।"

नई धारा 35 का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण

"35 (1) यदि न्यायालय के समक्ष अथवा धारा 7 या 21 के अधीन कर–निर्धारक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से अन्यत्र कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, कि क्या, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ,—

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसाइटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यापारी है; या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य–विशेष स्वतः या परिणामतः माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय ह और यदि हां, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है, ; या

(घ) किसी व्यापारी विशेष से रजिस्ट्रीकरण कराना या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र देना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है और यदि हां, तो उसकी दर क्या है ;

तो संबंधित व्यक्ति या व्यापारी, धारा 32 में विनिदिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे लेख्यों सहित जो निर्धारित किये जायं, बिक्रीकर कमिश्नर को प्रार्थना–पत्र दे सकता है ।

(2) बिक्रीकर कमिश्नर, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार उत्पन्न प्रश्न को, जैसा वह उचित समझे विनिश्चत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा विनिश्चय देने के पूर्व बिक्रीकर कमिश्नर स्व–विवेकानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारी से ऐसी जांच करने के लिये कह सकता है जिसे वह उस प्रश्न के विनिश्चय के लिये आवश्यक समझे ।

(3) इस धारा के अधीन बिक्रीकर कमिश्नर के विनिश्चय से किसी कर निर्धारक अधिकारी, अपील सुनने वाले अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश की विधि मान्यता का उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) कोई प्रश्न, जो अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हों, इस धारा के अधीन अवधारण के लिये ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(5) इस धारा के अधीन बिक्रीकर कमिश्नर द्वारा दिया गया कोई विनिश्चय, उच्च न्यायालय को अपील के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

(6) इस धारा के अधीन दिये गये विनिश्चय की एक प्रति प्रार्थी और सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी को भेजी जायेगी।"

12––मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में––

(1) क्रम–संख्या 26, 32, 39, 62 और 112 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :––

प्रथम अनुसूची का संशोधन

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
26	चेहरा, त्वचा, बाल, नाखून, नेत्र या भौंह की शोभा या देख-भाल के लिये सभी प्रकार की सौन्दर्यवर्धक एवं प्रसाधन सामग्री, किन्तु इसमें साबुन, सेफ्टीरेजर ब्लेड, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और अन्य मंजन, टूथब्रश और कुम–कुम सम्मिलित नहीं हैं ।	नि0 अथवा आ0

1	2	3
32	समस्त बिजली का सामान, यंत्र, उपकरण, साधित्र और समस्त ऐसी वस्तुयें जिनका प्रयोग विद्युत् शक्ति के बिना नहीं हो सकता है और जिसके अन्तर्गत पंखा, प्रतिदीप्त ट्यूब (जिसके अन्तर्गत इनके स्टार्टर, चोक, फिक्सचर, फिटिंग्स और सम्बद्ध सामान भी हैं) बिजली के मृत्तिका पात्र और पोर्सीलेन और अन्य सम्बद्ध सामान और सहयोगी भाग हैं, जो चाहे पूर्णतः या अंशतः बेचे जाते हैं, किन्तु उसमें विद्युत् शक्ति का जनन, वितरण और पारेषण के लिये अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र और उनके सम्बद्ध सामान, इलेक्ट्रिक मोटर और उसके भाग, टार्च, टार्च सेल, टार्च बल्ब, ड्राईसेल बैट्री और फिलामेन्ट लाइटिंग बल्ब सम्मिलित नहीं हैं।	नि0 अथवा आ0
39	कांच के बने समस्त सामान और बर्तन, किन्तु इसके अन्तर्गत सादा कांच फलक, चश्मों के शीशे, हरीकेन लालटेन की चिमनी, बोतल और शीशी, कांच की गुरियां (बीड्स), क्लिनिक सिरिंज, थर्मामीटर और कांच के बने वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण सम्मिलित नहीं हैं।	नि0 अथवा आ0
62	(क) मोटर कार	उपभोक्ता के हाथ बिक्री अथवा उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिये वित्त व्यवस्था करने वाली क्रय विक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री ।
	(ख) मोटर ट्रक और मोटर बस जिसके अन्तर्गत उनके चेसिस और उन पर बनाई गई मोटर बाडीज भी हैं।	तदेव
	(ग) सभी मोटर गाड़ियां जिसके अन्तर्गत उनके चेसिस भी हैं, और सभी आकार और डिजाइन की मोटर बाडीज (जिसके अन्तर्गत मोटर कारवां और टैंकर भी हैं), चाहे वे चेसिस पर बने हों या अलग से।	उपभोक्ता के हाथ बिक्री अथवा उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिये वित्त व्यवस्था करने वाली क्रय–विक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री ।
112	(क) इलेक्ट्रानिक का सामान, सज्जा, उपकरण और उनके भाग तथा सम्बद्ध सामान किन्तु इसमें टेलीविजन सेट सम्मलित नहीं हैं।	नि0 अथवा आ0
	(ख) टेलीविजन सेट	नि0 अथवा आ0

(2) क्रम-संख्या 89 के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और दिनांक 2 मई, 1974 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब, जिसमें मेथाइल अल्कोहल सम्मिलित है किन्तु देशी शराब सम्मिलित नहीं है और जिसमें संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल कराधान अधिनियम, 1939 में यथापरिभाषित अल्कोहल भी नहीं है।"

कतिपय नियमों का संशोधन

13—उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियम, 1948 ई० में,—

(1) नियम 12-क में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(4) कोई सादा रूप-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यापारी द्वारा 25 रूप-पत्रों की प्रति पुस्तिका के लिये 3.75 रुपये या प्रति रूप-पत्र के लिये 15 पैसे की दर से शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो।";

(2) नियम 12-ख में, उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(3) कोई सादा रूप-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी द्वारा 50 रूप-पत्रों की प्रति पुस्तिका के लिये 7.50 रुपये या प्रति रूप-पत्र के लिये 15 पैसे की दर से शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो।"

(3) नियम 19 के खण्ड (क) में, शब्द "सरकारी खजाने में चालान के सहित" निकाल दिये जायेंगे;

(4) नियम 20-ख में:—

(क) शब्द 'खजाने का ऐसा चालान भी होगा' के स्थान पर शब्द 'ऐसा प्रमाण भी होगा' रख दिये जायेंगे; तथा

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "खजाने का चालान भी होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसा प्रमाण भी होगा" रख दिये जायेंगे;

(5) नियम 25-क में, —

(क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(3) उप नियम (1) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में 50 रुपये का शुल्क देय होगा, और प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त मान्यता को नवीकृत कराना है, 25 रुपये का शुल्क देय होगा।";

(ख) उप नियम (5) में, अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर अल्प विराम रख दिया जायगा और उसके पश्चात्

निम्नलिखित बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"और उस कर निर्धारण वर्ष के, जिसमें वह जारी किया जाय, अन्त तक प्रभावी होगा। यदि व्यापारी उसका नवीकरण कराना चाहता है तो वह उसकी समाप्ति के दिनांक के पूर्व उप नियम (1) के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा जिसके साथ उप नियम (3) में निर्धारित शुल्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा। यदि बिक्री कर अधिकारी का समाधान हो जाये कि प्रार्थना–पत्र नियमानुसार है और शुल्क जमा कर दिया गया है तो वह एक बार में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये, जैसा नवीकरण के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित हो, प्रमाण-पत्र का नवीकरण करेगा।";

(ग) उप नियम (ii) में, शब्द और अंक "5 रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक" 10 रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(6) नियम 25–ख में, उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्:—

(2) कोई व्यापारी, जिसके पास मान्यता का प्रमाण-पत्र हो और जो धारा 4–ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट रियायत लेना चाहता हो, उस बिक्री–कर अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर उसके व्यापार का मुख्य स्थान स्थित हो, घोषणा का सादा प्रपत्र जारी करने के लिये प्रार्थना–पत्र देगा। बिक्रीकर अधिकारी द्वारा घोषणा का सादा प्रपत्र तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि उसके 25 प्रपत्रों की प्रति पुस्तिका के लिये 3.75 रुपये या प्रति प्रपत्र के लिये 15 पैसे की दर से शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो। प्रार्थना-पत्र पर नियम 25–क के उप नियम (1) में उल्लिखित किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा।";

(7) नियम 41 में, उपनियम (1) में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यथोक्त विवरण–पत्र प्रस्तुत करने के बजाय व्यापारी, ठीक पहले वाले वर्ष में अपने विवरण पत्र में स्वीकृत विक्रय धन के आधार पर, उस वर्ष का विक्रय धन अनुमानित कर सकता है, उस पर देय कर का धनराशि आकलित कर सकता है और प्रत्येक तिमाही के प्रथम दो मास में प्रत्येक मास में उसके बारहवें भाग के बराबर धनराशि जमा कर सकता है, तथा प्रसंगौचित तिमाही के लिये अपने विवरण–पत्र में, जो इस उप नियम में व्यवस्थित रीति से तैयार और प्रस्तुत किया जायगा स्वीकृत विक्रय–धन पर देय कर का अवशिष्ट भाग जमा कर सकता है।";

(8) नियम 46–क में, शब्द और अंक "1 रु0 25 पैसे" के स्थान पर शब्द 'दो रुपये' रख दिये जायेंगे ;

(9) नियम 46–ख में, शब्द और अंक "1 रु0" के स्थान पर शब्द "दो रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(10) नियम 54 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक प्रार्थना–पत्र के साथ अधिनियम में विनिर्दिष्ट शुल्क और अर्थदण्ड, जहां देय हों, जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा ।" ;

(11) नियम 58 में, उपनियम (1) में शब्द और अंक "और खजाने का चालान संलग्न होगा, जिससे ज्ञात हो कि 10 रु0 का शुल्क खजाने में जमाकर दिया गया है" के स्थान पर शब्द "और शुल्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा" रख दिये जायेंगे ;

(12) नियम 61 में शब्द और अंक "जिसके साथ खजाने का चालान इस बात का भेजा जायगा कि सरकारी खजाने में 2 रुपये का शुल्क जमा कर दिया गया है" के स्थान पर शब्द और अंक "जिसके साथ 10 रु0 का शुल्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा" रख दिये जायेंगे ;

(13) नियम 63 निकाल दिया जायगा ;

(14) नियम 70 में, उपनियम (2) में, शब्द और अंक "1 रु0 25 पैसे" के स्थान पर शब्द "दो रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(15) नियम 77–ग में,—

(क) उप नियम (1) में, शब्द "पच्चीस नये पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उप नियम (3) में, शब्द "पचास नये पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपये रख" दिये जायेंगे ;

(16) नियम 85 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(3) विक्रीकर अधिकारी द्वारा कोई सादा घोषणा–पत्र तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि प्रति प्रपत्र के लिये पन्द्रह पैसे या 50 प्रपत्रों की एक पुस्तिका के लिये 7.50 रुपये की दर से शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया गया हो। प्रार्थना–पत्र पर नियम 54 के उप नियम (1) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति या नियम 77–क के अधीन यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा ।"

(17) नियम 86 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(3) कोई प्रमाण–पत्र तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि प्रति प्रमाण–पत्र के लिये बीस पैसे के शुल्क का भुगतान न कर दिया जाय ।"

कतिपय विज्ञप्तियों का संशोधन और वैधीकरण

14—(1) मूल अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति संख्या एल0 टी0–2–6623/दस–1012–1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में

शब्द "(1) पुस्तकें तथा पत्रिकायें, और (2) कापियां (Exercise Book") यदि वे उत्तर प्रदेश में खरीदे गये कागज से बनाई गई हों, बशर्ते कि व्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दें" के स्थान पर "पुस्तकें तथा पत्रिकायें" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(2) मूल अधिनियम की धारा 3–क के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–6624/दस–1012–1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में, उसकी सूची की क्रम संख्या 4 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"4 कापियां———————— 5 प्रतिशत"

(3) उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व इस धारा द्वारा यथासंशोधित उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के अधीन आरोपित, निर्धारित, उद्गृहीत या वसूल किया गया कोई कर, किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, विधि के अनुसार विधिमान्यतः आरोपित, निर्धारित, उद्गृहीत या वसूल किया गया समझा जायगा, मानों इस धारा द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त विज्ञप्ति सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थी जब ऐसा कर आरोपित, निर्धारित उद्गृहीत या वसूल किया गया था।

वैधीकरण

15—किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही (जिसमें जारी की गई कोई विज्ञप्ति भी सम्मिलित है), जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो वैसी ही वैध और विधिपूर्ण होगा, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई0 की धारा 3–क में पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक दर पर बिक्री–कर लगाने की व्यवस्था ह । ऐसा अनुभव किया गया है कि होटलों या जलपान गृहों में कैबरे या फ्लोर शो की व्यवस्था के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों पर चालीस प्रतिशत से अनधिक दर पर कर लगाया जाना चाहिये । कतिपय पदार्थों पर कर की दर कम करने की आवश्यकता भी अनुभव की गई ।

2––अधिष्ठान और आकस्मिकता पर बढ़े हुये व्यय को पूरा करने के लिये यह भी आवश्यक समझा गया कि कतिपय सेवाओं के लिये निर्धारित फीस में पुनरीक्षण करके उसे बढ़ाया जाय ।

3––इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि विवादग्रस्त प्रश्नों को निपटाने के लिये बिक्री–कर कमिश्नर को शक्ति प्रदान की जाय ।

4––अधिनियम के कार्यान्वयन में अनुभव की गई कतिपय अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी इस अवसर का लाभ उठाया जा रहा है ।

5––तदनुसार उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पुरःस्थापित किया जाता है ।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मंत्री ।

नत्थी 'छ'

(देखिये नत्थी 'छ' पीछे पृष्ठ 284 पर।)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन मोटर गाड़ियों के वर्तमान अनुज्ञा-पत्रों के सम्बन्ध में और उक्त ऐक्ट के अध्याय 4-ए के अधीन अधिसूचित अथवा अधिसूचित होने के लिये अभिप्रेत योजनाओं, मार्गों और क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ अस्थायी उपबन्ध करने, तथा सम्बद्ध विषयों के लिये प्राविधान करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रयुक्त

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह अधिनियम केवल इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) अध्याय 4-ए के अधीन अनुमोदित अथवा अनुमोदित होने के लिये अभिप्रेत योजनाओं व अधिसूचित अथवा अधिसूचित होने के लिये अभिप्रेत क्षेत्रों और मार्गों और मूल अधिनियम के अधीन उक्त प्रारम्भ के पूर्व निर्गत अनुज्ञा-पत्रों के सम्बन्ध में लागू होगा।

परिभाषायें

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,—

(क) पद "अनुमोदित योजना", "अधिसूचित क्षेत्र" और "अधिसूचित मार्ग" के वही अर्थ होंगे जो मूल अधिनियम की धारा 68-डी में दिये गये हैं ;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी से है ;

(ग) "निगम" का तात्पर्य स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1960 की धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से है ;

(घ) "मिनि-बस" का तात्पर्य उस "आम्नी बस" से है जो ड्राइवर को छोड़ कर 35 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये निर्मित या अनुकूलित हो ;

(ङ) "विनिर्दिष्ट सीमा" का तात्पर्य ऐसी सीमा या ऐसे क्षेत्र मार्गों से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो यहां पर प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित हैं और मूल अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो मूल अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

सक्षम प्राधिकारी

3—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकारी का गठन करेगी जो "सक्षम प्राधिकारी" कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का महाप्रबन्धक ;

(दो) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ;

(तीन) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव।

(2) सक्षम प्राधिकारी की किसी बैठक में, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का प्रतिनिधित्व उप महाप्रबन्धक, उप परिवहन आयुक्त और उप सचिव

से अनिम्न श्रेणी के सम्बन्धित अधिकारी कर सकते हैं, और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मत देने का अधिकार होगा और उस बैठक के प्रयोजनों के लिये उन्हें सक्षम प्राधिकारी का सदस्य समझा जायगा ।

(3) एक सदस्य को सक्षम प्राधिकारी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित किया जायगा ।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी सदस्य के परिवर्तन से या उपधारा (2) के अधीन किसी प्रतिनिधि के परिवर्तन से कोई प्रभाव किसी विचाराधीन कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा, जो उस प्रक्रम के आगे, जब कि इस प्रकार का परिवर्तन हुआ, जारी रखी जा सकेगी ।

(5) सक्षम प्राधिकारी एक सचिव नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार या निगम का अधिकारी हो सकता है ।

(6) सक्षम प्राधिकारी के समस्त आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे, और प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य लिखत सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

कतिपय शर्तों पर विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर निजी मिनिबस के उपयोग का प्राधिकार देना

4—(1) जहां किसी व्यक्ति को, जो कोई संस्था या निगमित निकाय नहीं है, जिसके पास मिनि-बस है, ऐसी मिनि–बस को संविदा गाड़ी के रूप में उपयोग करने के लिये अनुज्ञा–पत्र दिया गया है, वहां सक्षम प्राधिकारी उसके आवेदन–पत्र पर अनुमोदित योजना के अन्तर्गत आने वाली विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर उसका उपयोग यात्री गाड़ी के रूप में करने के लिये ऐसे निर्बन्धन और शर्तों के अधीन, जो मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में या किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में हो सकते हैं, जैसा वह ठीक समझे, प्राधिकृत कर सकता है और ऐसी अवधि के लिये जिसमें ऐसा प्राधिकरण प्रवृत्त हो, अनुज्ञा–पत्र को ऐसे प्राधिकरण की सीमा तक उपान्तरित समझा जायगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्राधिकरण की यह शर्त होगी कि मिनि–बस का स्वामी निगम को ऐसी राशि देगा, जो सक्षम प्राधिकारी मार्ग के प्रकार और श्रेणी, समावृत्त दूरी, बैठने की जगह और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निश्चित करे, और निगम के ऐसे प्रशासकीय और परिचालन सम्बन्धी नियंत्रण के अधीन रहेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी समय–समय पर आदेश द्वारा निदेश दे ।

(3) यदि किसी समय सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि उन निबन्धनों और शर्तों का, जिनके अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण दिया गया था, उल्लंघन किया गया है, तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त प्राधिकरण का विखण्डन कर सकता है, और तदुपरान्त यह समझा जायगा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा–पत्र की स्थिति पूर्ववत् हो गई है जिसमें वह प्राधिकरण के पूर्व था ।

सम्पथ और अन्तर्राज्य मार्गों पर अन्य गाड़ियों का उपयोग करने का प्राधिकार देना ।

5—(1) किसी अनुमोदित योजना में समाविष्ट किसी बात के होते हुये भी, सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत कर सकता है कि—

(क) यात्री गाड़ी के अनुज्ञा–पत्र का कोई धारक अपनी यात्री गाड़ी को अधिसूचित मार्ग के ऐसे भाग पर, जो विनिर्दिष्ट किया जाय, और ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन, जो मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट बातों के सम्बन्ध में या किसी अन्य बात के सम्बन्ध में हो सकते हैं, जैसा वह ठीक समझे, चलायें ;

(ख) कोई राज्य परिवहन उपक्रम या उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य या संघीय राज्य क्षेत्र का सांविधिक निगम अपनी सार्वजनिक सेवा गाड़ियों को, उत्तर प्रदश क राज्य–क्षेत्र म अधिसूचित या अनधिसूचित मार्ग को समावृत करते हुये, किसी अन्तर्राज्य मार्ग पर ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन, जैसा वह ठीक समझे, चलाये ; और

(ग) जिस अवधि में ऐसा प्राधिकरण प्रवृत्त रहे, योजना ऐसे प्राधिकरण की सीमा तक उपान्तरित समझी जायगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे प्राधिकार की यह शर्त होगी कि, यथास्थिति, यात्री गाड़ी या सार्वजनिक सेवा गाड़ी का स्वामी निगम को ऐसी राशि देगा जो सक्षम प्राधिकारी मार्ग के प्रकार और श्रेणी, समावृत्त दूरी, बैठने की जगह और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निश्चित करे, और निगम के ऐसे प्रशासकीय और परिचालन सम्बन्धी नियंत्रण के अधीन रहेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी समय–समय पर आदेश द्वारा निदेश दे ।

विनियम

6––सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, धारा 4 या धारा 5 क अधीन प्राधिकरण प्राप्त करने की रीति और प्रक्रिया को नियंत्रित करने और सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बनायेगा ।

सेवाओं की संख्या का विनिर्देश धारा 68–सी या 68–डी की आवश्यक अपेक्षा नहीं होगी

7––मूल अधिनियम की धारा 68–सी या 68–डी की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी अनुमोदित योजना में व्यवस्था की जाने वाले सेवाओं की संख्या को विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की गई है या कभी की गई थी।

इस अधिनियम और इसके अधीन आदेश मूल अधिनियम के अध्याय 4 और 4–ए पर अधिभावी होंगे

8––इस अधिनियम और इसक अधीन दिये गये आदेशों के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले ही मूल अधिनियम के अध्याय 4 और 4–ए में या किसी ऐसे अनुज्ञा–पत्र, योजना, अधिसूचना या अन्य लिखत में, जिसका उक्त अध्याय के उपबन्धों के आधार पर प्रभाव है, कोई असंगत बात दी हो।

आदेशों का अन्तिम होना

9––(1) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आदेश सें व्यथित कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध राज्य सरकार को प्रत्यावेदन कर सकता है, और तत्पश्चात् राज्य सरकार उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और उसका आदेश अंतिम होगा ।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय धारा 4 या, धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी या मूल अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या न्यायाधिकरण में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायगा ।

निदेशों की अवज्ञा, बाधा तथा सूचना स इन्कार करना

10—इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से दिये गये किसी निदेश और इस अधिनियम के अधीन उस प्राधिकारी द्वारा किसी कृत्य के निर्वहन के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 113 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे ।

मूल अधिनियम की धारा 133-ए का लागू होना

11-(1) मूल अधिनियम की धारा 43-ए में, उप-धारा (6) में, शब्द और अंक "50 और 57" के स्थान पर शब्द और अंक "50, 57 और 68—एफ" रख दिये जायेंगे ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 133-ए, आवश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार वह मूल अधिनियम के उपबन्धों क सम्बन्ध में लागू होती ह ।

प्राधिकरण का समाप्त किया जाना

12—जहां राज्य सरकार, किसी समय लोक हित में अधिसूचना द्वारा निदेश देती हैं कि धारा 4 या धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये सभी या कोई प्राधिकरण अधिसूचित दिनांक स प्रभावी नहीं रहेंगे, वहा उक्त प्राधिकरण प्रभावी नहीं रह जायेंगे और किसी प्राधिकरण के समाप्त होने से राज्य सरकार या निगम या सक्षम प्राधिकारी याउसके सदस्यों के विरुद्ध प्रतिकर के लिये कोई दायित्व उपगत नहीं होगा ।

शंका का निराकरण

13—शंकाओं का निराकरण करने के लिये एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि धारा 4 या धारा 5 के अधीन कोई विनिश्चय करने या आदेश देने के पूर्व किसी प्रभावित पक्ष या अन्य व्यक्ति की सुनवाई करना सक्षम प्राधिकारी के लिये आवश्यक नहीं होगा ।

देयों की वसूली

14—धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसार निगम को देय किसी राशि को निगम के महाप्रबन्धक के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सका है ।

उन्मुक्ति

15—इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये और विशेषत: धारा 12 क अधीन दिये गये किसी निदश के आधार पर राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी या उसके सदस्यों क विरुद्ध या निगम के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जायगी ।

वैधीकरण

16—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, कोई योजना जो मूल अधिनियम की धारा 68-सी क अधीन निर्मित या प्रकाशित की गयी हो या धारा 68—डी के अधीन अनुमोदित या उपान्तरित हो, या निर्मित, प्रकाशित, अनुमोदित या उपान्तरित अभिप्रेत हो, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायगी या कभी अविधिमान्य नहीं रही होगी कि उसमें व्यवस्थित सेवाओं की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं है ।

उद्देश्य और कारण

अनेक मिनी बसों को संविदा गाड़ी के रूप में चलाने के लिये मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन अनुज्ञापत्र दिये गये थे। वास्तविकता यह है कि शायद ही कभी उनको संविदा गाड़ी के रूप में चलाया गया हो अन्यथा उनको सामान्यतया यात्री–गाड़ी के रूप में चलाया गया। विधि की इस प्रकार घोर अवहेलना को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि अनुज्ञा-पत्र की शर्तों को कड़ाई से लागू किया जाय। इससे अनेक मिनी-बस आपरेटर बेरोजगार हो गये और अनेक मिनी–बसें भी बेकार हो गयीं, जिनका लाभप्रद उपयोग किया जा सकता था। अतएव, यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मिनी-बसों के आपरेटरों को, कतिपय शर्तों पर, विनिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत मार्गों पर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ कतिपय वित्तीय और प्रशासकीय समझौता के अधीन रहते हुए, परिचालन की अनुज्ञा दी जा सकती है। कतिपय नये मार्गों पर और ऐक्ट की धारा 68–सी के अधीन प्रकाशित स्कीमों द्वारा नियंत्रित मार्गों पर उनके परिचालन के लिये अनुज्ञा देने का भी प्रस्ताव है। उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये विधि में विशिष्ट उपबन्ध करना आवश्यक है।

2—दूसरे, कतिपय ऐसे मार्ग हैं जिन पर प्राइवेट बसें चलती हैं और जिनकी परिधि में उक्त ऐक्ट के अध्याय 4–ए के अधीन अधिसूचित मार्गों में से भी कुछ आ जाते हैं। इन मार्गों पर प्राइवेट बसों को इस शर्त पर चलाने की अनुज्ञा दी जाती है कि वे अधिसूचित भाग के किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच न तो सवारी लेंगे और न उतारेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि किसी अनुमोदित योजना में किसी प्राइवेट आपरेटर द्वारा अधिसूचित मार्ग के किसी भाग पर अपनी यात्रा गाड़ी को चलाने के लिये विशिष्ट उपबन्ध न हो, तो इस प्रकार गाड़ी चलाना अवैध होगा। ऐसे "सम्पथ" पर ऐसी प्राइवेट बसों का चलाना बिल्कुल बन्द कर देने से मोटर आपरेटरों और जन-साधारण को भी अत्यधिक कठिनाई होगी। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ इस निमित्त कतिपय वित्तीय और प्रशासकीय समझौता के अधीन रहते हुए "सम्पथ" पर प्राइवेट बसों को चलाने की अनुज्ञा का दिया जाना, पूर्ववत् जारी रखा जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भी विधि में आवश्यक उपबन्ध किया जा रहा है।

3—हाल के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया है कि उक्त ऐक्ट की धारा 68-सी के अधीन निर्मित और प्रकाशित योजना को विधिमान्य योजना होने के लिये यह आवश्यक है कि लगाये जाने वाले चक्करों की संख्या उसमें विनिर्दिष्ट की जाय। अतएव, सभी वर्तमान योजनाओं को विधिमान्य बनाने के लिये विशिष्ट उपबन्ध करना आवश्यक हो गया है।

4—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

शिव प्रसाद सिंह;
परिवहन मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—एल० 118 वि० सभा—(245)—1976—8401